

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

O.A. No. 44/2024

CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

AVADHESH SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF MP & ORS.

.....RESPONDENT

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1.	Report of the Joint Committee in compliance to the Hon'ble NGT order dated 05/03/2024 in the matter of OA 44/2024 (CZ) Avadhesh Singh V/s State of M.P. & Ors		1-13
2.	The Geographical locations, photographs and visual observations	ANNEXURE-1	14-16
3.	The map provided by the Forest department to the Joint Committee during the inspection	ANNEXURE-2	17-18
4.	Copy of letter from Forest department vide letter no. 5067 dated 25/04/2024	ANNEXURE-3	19-49
5.	The reply submitted by Jagran Social Welfare Society dated 21/06/2024	ANNEXURE-4	50-144
6.	Vakalatnama		145

Date: 05.07.2024

Place: Bhopal

Submitted by MPPCB:-



through Counsel

Adv. Parul Bhadoria

Ph. No.: (+91)-8085977111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com

REPORT

Ref: Report of the Joint Committee in compliance to the Hon'ble NGT order dated 05/03/2024 in the matter of OA 44/2024 (CZ) Avadhesh Singh V/s State of M.P. & Ors.: -

1. Hon'ble NGT issued following instructions on dated 05/03/2024 in the matter of OA 44/2024 (CZ) Avadhesh Singh V/s State of M.P.& Ors.:-

- “1. The Issue raised in this application is encroachment over Gazette Notified Protected Forest, vide Gazette Notification dated 30.07.2021 bearing Khasra No. 73, 84 and 92 to the extent of 1.236, 0.846, 1.828 hectares respectively situated in village Chandanpura, Tehsil Huzur District Bhopal, Madhya Pradesh by Respondent No. 6. Aforementioned area was declared Protected Forest by the Government of Madhya Pradesh exercise of powers conferred under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, and even after multiple government agencies have carried out numerous demarcations and observed illegal encroachment of Respondent No. 6 over Protected Forest, in the tiger movement area no action has been taken by the authorities to remove the said illegal encroachment.*
- 2. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.*
- 3. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.*
- 4. Respondents are directed to submit their reply/counter affidavit through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the next date of listing.*
- 5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:*

(i) *One Representative from the Principal Secretary Environment Department, State of MP, Bhopal (M.P.)*

(ii) *One Representative from the Principal Chief Conservator of Forest, Bhopal (M.P.)*

(iii) *One Representative from the Collector Bhopal*

(iv) *One Representative from the Member Secretary State Pollution Control Board, (M.P.)*

6. *The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

2. In compliance to the order of Hon'ble NGT dated 05/03/2024, a joint committee consisting of the following officials of the concerned department has been constituted: -

No	Name of the Officer	Representative Department
1.	Shri Hemant Kumar Sharma, Director (Environment), MPPCB, Bhopal	Principal Secretary Environment Department, State of MP, Bhopal (M.P.)
2.	Shri Alok Pathak, DFO, Bhopal	Principal Chief Conservator of Forest, Bhopal (M.P.)
3.	Dr. Archana Rawat Sharma, SDM (T.T. Nagar), Bhopal	Collector, Bhopal
4.	Shri Brajesh Sharma, Regional Officer, RO, MPPCB, Bhopal	Member Secretary State Pollution Control Board, (M.P.)

3. The committee reviewed the petition and the points related to the Forest land and the land under the encroachment by Jagran Social Welfare Society is discussed to proceed for the inspection and data collection. The points raised by the applicant in his application are as under:-

3.1 Jagran Lake City University which is a private university situated at khasra no. 83/2/2 (S) and 83/2/3 (S), area 5.667 hectares, Village Chandanpura, Tehsil Huzur, District Bhopal, Madhya Pradesh, has illegally encroached over khasra no. 73, 84 and 92 to the extent of 1.236 hectares, 0.846 hectares, 1.828 hectares respectively situated in Village Chandanpura, Tehsil Huzur, District Bhopal, Madhya Pradesh, which have been declared Protected Forest under the provisions of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927.

3.2 The applicant has submitted that the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Principal Seat at Jabalpur has ordered to conduct a demarcation of encroachment on khasra no. 73, 84, 92 Village Chandanpura, Tehsil Huzur, District Bhopal, Madhya Pradesh time and again.

3.3 The applicant has alleged that the illegal encroachment has been repeatedly verified by demarcations carried out for intentional encroached area over khasra no. 73, 84 and 92 to the extent of 1.236 hectares, 0.846 hectares, 1.828 hectares by way of building a boundary wall around it under the supervision of Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Commissioner Land Records Gwalior, Revenue Department, Government of Madhya Pradesh and Collector, Bhopal.

- 3.4 It has been submitted by applicant that an inspection was carried out by Divisional Forest Officer, Bhopal dated 10/03/2022, which categorically stipulates that there is an illegally constructed concrete road, security hut and a gate over the encroached protected forest.
- 3.5 It is also averred that multiple complaints with CM Helpline were filed by the concerned residents of Bhopal against the illegal encroachment and in consonance of the same the Sub-Divisional Forest Officer wrote numerous letters for the removal the illegal encroachment of Jagran Social Welfare Society from khasra no. 73 and 84 situated in Village Chandanpura, Tehsil Huzur, District Bhopal, Madhya Pradesh.
- 3.6 Also, Jagran Social Welfare Society has initiated construction over the illegally encroached Protected Forest situated at khasra no. 73, 84 and 92 to the extent of 1.236 hectares, 0.846 hectares, 1.828 hectares respectively situated in Village Chandanpura, Tehsil Huzur, District Bhopal, Madhya Pradesh, without any permissions from the requisite departments and in the course of the same destroying the natural habitat of tiger in the area.

4. Field Observations

- 4.1 Joint committee on dated 14/06/2024 conducted a site visit of the Jagran Lake City University located at khasra no. 73, 84, 92 Village- Chandanpura, Tehsil - Huzur, Distt -Bhopal. Apart from the joint committee members following officers namely Ms. Prakamya Tiwari, Assistant Engineer, Regional Office, MPPCB, Bhopal, Shri Dheeraj Singh Chouhan, SDO Forest, Bhopal,

Shivpal Piparde, Range Forest Officer, Bhopal were present during the inspection. Also, the representative of Jagran Lake City University, Chandanpura, Bhopal, Shri Ashutosh Mahajan, Law Officer, was present. The intimation of visit was conveyed to the Advocate of Petitioner Shri Gaurvanvit Jain on his mobile number. The Geographical locations, photographs and visual observations were recorded during inspection. The Photographs and Google Maps are enclosed as **Annexure I**.

4.2 During inspection, Joint Committee visited the disputed site. The details observed during the inspection are mentioned as under: -

- 4.2.1 The site is located at Village Chandanpura, Tehsil Huzur, District Bhopal, Madhya Pradesh. The geographical location of the site is latitude 23° 10' 37.1172" N and longitude 77° 23' 21.2604" E.
- 4.2.2 The gate of Jagran Lake City University is on the north east of the site.
- 4.2.3 An existing bitumen road connects the Jagran Lake City University for access. The road passes through revenue Forest land. Jagran Lake City University is having only one approach road.
- 4.2.4 The surroundings of the access road and the main entry of the university are surrounded by forest land.
- 4.2.5 One "Nagar Van" developed by Forest department is situated adjacent to the University campus on south side of the main entrance of university.
- 4.2.6 The forest area is having very thick plantation and dense forest.

- 4.2.7 The Forest department officials provided the map which shows the hatched region as encroached land and had shown the committee members the encroached land which is Forest land and currently the University is having its entrance gate and approach road. The map provided by the Forest department to the Joint Committee during the inspection is enclosed as **Annexure II**.
- 4.2.8 This encroached area by the University is having green belt with ornamental plantation. No building construction is observed except the main gate, security hut and the entrance road.
- 4.2.9 The adjacent area which is presently in possession of the Forest department is secured by a 12 feet high wire mesh which separates the Forest land from the said encroached land by the University.
- 4.2.10 Within the campus of University the ornamental plants and green belt is developed all around the campus.

5. Information provided by the Forest Department

5.1 In references to the present petition, information was sought from the Forest department. Forest department vide letter no. 5067 dated 25/04/2024 has provided the information. The copy of letter is enclosed as **Annexure III**. The main points of this communication are mentioned as under:-

5.1.1 The encroachment in the past was found on the khasra number 73 by 1.236 hectares, on the khasra number 84 by 0.846

hectares and on the khasra number 92 by 1.828 hectares, totaling 3.91 hectares.

5.1.2 In the appeal case no. 08/Appeal/2019-20 in the court of Tehsildar Revenue T.T. Nagar, Bhopal, a joint action was taken and encroachment of area 1.042 hectares from khasra no. 73, 0.595 hectares from khasra no. 84 and 1.828 hectare from khasra no.92, totaling 3.465 hectares was removed by Forest department, Revenue department and Municipal Corporation, Bhopal.

5.1.3 The encroachment still remaining on the Forest land is 0.194 hectares on khasra no. 73 and 0.251 hectares on khasra no. 84, totaling 0.445 hectares which is still in possession of the respondent no. 6.

5.1.4 Application for Forest land diversion was submitted by the respondent no. 6 in Collector Office, Bhopal in the year 2019. Hence, the encroachment from 0.445 hectares was not removed by the Revenue department as the matter was pending in the Tehsil Court. That at present, land area on khasra number 73 is 0.194 hectare and area on khasra number 84 is 0.251 hectare which is still in the possession of the respondent no. 6.

5.1.5 Later on, Gazette notification F-25-61-10-3 dated 16/07/2021 published on 30/07/2021, a total of 238.141 hectares of Chandanpura land was declared as protected forest area by the Government. Apart from other khasras of Chandanpura, the khasra numbers 73, 84 and 92 also fall in the declared protected forest area.

5.1.6 The land diversion application that was submitted by Jagran

Social Welfare Society, Bhopal before the publication of the notification dated 30.07.2021 in the Collector's Office, Bhopal, prior to the declaration of that area as a protected forest. It thus appears that due to the pendency of land diversion application, the encroachment from this land was not removed and that land has now come under the control of Forest department.

5.1.7 The Forest department has mentioned in its letter dated 25/04/2024 that as there was an encroachment on the Forest land in khasra no. 73 and 84 by Jagran Social Welfare Society, Bhopal before it was handed over to the Forest department, and hence the action to remove the said encroachment has to be taken by the Revenue department only.

5.1.8 The Forest department also submitted that Circle Officer Samardha has issued letters to Tehsildar, T.T Nagar, Bhopal vide letter no. 392 dated 12.02.2018, 1817 dated 17.06.2019, 3157 dated 16.09.2019, 2727 dated 17.12.2021 for taking action regarding encroachment in khasra numbers 73 and 84 by Jagran Social Welfare Society, Bhopal. Similarly, letter was issued by Forest Division, Bhopal, vide no. M.V./91 dated 04.01.2021 to Sub-Divisional Officer, T.T. Nagar.

5.1.9 Also, Forest Division, Bhopal has issued letter vide no. 2/3385 dated 26/12/2023 and 1303 dated 12/04/2024 to Sub-divisional Officer, (Revenue) T.T. Nagar, Bhopal regarding the removal of encroachment done by Jagran Social Welfare Society, Bhopal on khasra no. 73, 84 to the extent of 0.194 hectare and 0.251 hectare respectively.

5.1.10 Meanwhile, online application to the Forest department vide

proposal no. FA/MP/OTHERS/149148/2021 has been made by Jagran Social Welfare Society, Bhopal for diversion on area of 0.9 hectares which is now a reserved forest area and action in this regard is under consideration with the Forest Department. The encroached area of 0.445 hectare is included in this application.

6. Information provided by the Jagran Social Welfare Society

6.1 In reference to the order of Hon'ble NGT dated 09/05/2024, an opportunity of hearing was provided to the respondent no. 6. The reply submitted by Jagran Social Welfare Society dated 21/06/2024 is enclosed as **Annexure IV**. The main issues raised by the respondent are mentioned as under:-

6.1.1 That the Jagran Social Welfare Society, Bhopal is holding 25 acres of land comprising khasra no. 83/2/2, 83/2/3, 83/2/4, 83/2/5 which was purchased by the society and its members.

6.1.2 That none of the said khasra no's. which are held by respondent no. 6 are part of the khasra no. of the forest block Chandanpura which have been declared as protected forest under section 29 of the Indian forest act 1947.

6.1.3 That thereafter, having purchased the said 25 acres of land the respondent no. 6 Jagran Social Welfare Society obtained the permission dated 09/04/2009 from the Town and Country Planning, Bhopal and the building permission dated 24/04/2009 from the BMC, for the

development of an integrated residential management school on the said land and initiated development on the said land in accordance with the said permission.

6.1.4 The respondent no. 6 also submitted that during the demarcation exercise which was undertaken by the revenue authorities in presence of forest authority in furtherance of a complaint before the Lokayukt as regards the encroachment on forest lands, it was revealed that out of the 25 acres a portion of 1.10 acres on demarcation has been found to be forest land and a part of khasra no. 73 and 84, and a portion and equivalent area of 1.10 acres of khasra no. 82/2/3 which is in the ownership of the society has been found in the possession of the forest department and that the equivalent portion of land having been mis-exchanged between the respondent society and forest department. This is not a result of any deliberate encroachment but has taken place owing to wrongful demarcation exercise at the time when the possession of the land was handed over to the respondent no. 6 by the land owners.

6.1.5 The respondent no. 6 also submitted before the committee his contentions pertaining to peculiar geometry of the site and that the Government land in possession of the respondent society and the respondent society's land in the possession of the Government is a result of an error in the demarcation exercise at the time the possession was handed over to the society. That may have happened

because the demarcation was done by way of chain-link demarcation process and the demarcation in the recent years is done by way of Total Station Method (TSM) and other advanced technologies, which may have been the reason for the said anomaly and is not any deliberate action.

6.1.6 It has also been submitted by the respondent no. 6 that on being made aware of the fact that land of the society is in possession of the Government and the land of the Government is in the possession of the society. The society applied for said lands to be exchanged; however the said process could not be completed owing to some changes in the policy of Government of M.P. However, the said matter was approved to an advanced stage and inspections were done to facilitate this land exchange.

6.1.7 Meanwhile, due to the Gazette notification F-25-61-10-3 dated 16/07/2021 published on 30/07/2021, the whole area was declared protected forest which was earlier revenue land.

6.1.8 It is requested by respondent no. 6 that the best solution in the interest of the environment and forest is to enable the exchange of the land in the possession of the society with the land in the possession of the Government, as the land of the society has already been developed as a “Nagar Van” and the said area is adjoining the khasra no. 92 on which “Nagar Van” has been established.

6.1.9 It has also been submitted by the Jagran Social Welfare Society that the allegation of encroachment on khasra no. 73 admeasuring 1.236 hectares, khasra no. 84 admeasuring 0.846 hectares, khasra no. 92 admeasuring 1.828 hectares is completely false and the said land never belonged to the respondent nor any wall was built by them to encroach the Government land.

7. Findings of the Joint Committee

- 7.1 As per the record of Forest department, the land which is still in possession of Jagran Social Welfare Society is 0.194 hectare on khasra no. 73 and 0.251 hectare on khasra no. 84, totaling 0.445 hectares.
- 7.2 The area which was previously Revenue land was declared as a reserved forest vide Gazette Notification dated 16/07/2021.
- 7.3 Now, Jagran Lake City University has submitted an application before the Forest department for the diversion of Forest land, which is pending before the DFO.
- 7.4 As per the submissions by Jagran Social Welfare Society, the land which has been encroached by the University is due to error in demarcation process of the land. Resultant that its land is in the possession of Government and the society is having possession of that Government land which is presently Reserve Forest land since 16/07/2021. It is however a matter of further verification whether the said land belonging to the Jagran Social Welfare Society is in possession of Government/Forest department.

7.5 In view of above points, Joint Committee is of the opinion that as the encroachments is found on Forest Land of 0.194 hectare of khasra no. 73 and 0.251 hectare on khasra no. 84 and the matter of diversion of land is in process with the Forest department, therefore the land matter be resolved as per the prevailing laws and procedure of Forest department.



Hemant Kumar Sharma
Director (Environment),
MPPCB, Bhopal



Dr. Archana Rawat Sharma
SDM (T.T. Nagar), Bhopal



Brajesh Sharma
Regional Officer,
RO, MPPCB, Bhopal



Alok Pathak
DFO, Bhopal


Inspection Photographs in OA 44/2024

Dated 14.06.2024





Google Earth Map of JLU, Chandanpura, Bhopal



MADHYA PRADESH FOREST DEPARTMENT
BHOPAL DIVISION



1:12,500

RANGE = SAMARDA

COM_NO = 231


Surveyed Area = 3.526

Legend


- Removed Encroachment
- SURVEYED AREA
- CITY FOREST
- MUNARA
- BLOCK_lin
- COMPARTMENT1

Present Encroached Areas

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, भोपाल



MADHYA PRADESH FOREST DEPARTMENT
BHOPAL DIVISION




RANGE = SAMARDA

COM_NO = 231

Surveyed Area = 3.526

1:12,500



Legend

- Removed Encroachment
- SURVEYED AREA
- CITY FOREST
- MUNARA
- BLOCK_lin
- COMPARTMENT1
- Present Encroached Area

(Signature)
वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, भोपाल



कार्यालय वनमण्डल भोपाल

74 बंगला, खेल परिसर लिंक रोड, कं.-1 भोपाल फोन नं. 2674359 (कार्या.) 2674322 (Fax)
E-mail: dfotbpl@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 5067

/भोपाल/दिनांक/
25-4-2024

प्रति,

रीजनल ऑफिसर,

भोपाल रीजन

मध्यप्रदेश नियंत्रण मण्डल,

एफ्को परिसर बोंसखेड़ी, भोपाल (म.प्र.)

विषय :- नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल भोपाल (सेंट्रल जोन बैंच) में दायर प्रकरण ओ.ए44/2024
श्री अवधेश सिंह विरुद्ध म0प्र0 शासन। (पुनरीक्षित प्रतिवेदन)

संदर्भ:- उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल भोपाल का पत्र क./शि.लि.-2/1342
दिनांक 24.04.2024

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि, संदर्भित पत्र के माध्यम से नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल भोपाल (सेंट्रल जोन बैंच) में दायर प्रकरण ओ.ए. 44/2024 श्री अवधेश सिंह विरुद्ध म0प्र0 शासन के प्रकरण में याचिका प्राप्त हुई है जिस संबंध में उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन संलग्न सहपत्रों के अवलोकनार्थ प्रेषित है। कृपया उक्त प्रकरण में नियमानुसार विधि अनुकूल कार्यावाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वनसंरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल भोपाल

पृ.क्रमांक/मा0चि0/

/भोपाल/दिनांक/

प्रतिलिपि :-

1. वनसंरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल की ओर प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि, उक्त संबंध में अपने कार्यालय स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।
2. उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारत्मय में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनसंरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल भोपाल

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल भोपाल

74 बंगला, खेल परिसर लिंक रोड, कं.-1 भोपाल फोन नं. 2674359 (कार्या.) मो.नं. 9424790552

E-mail sdofbhopal@mp.gov.in

क्रमांक/शि0लि0-2/ 1342

भोपाल/दिनांक 24/4/24

प्रति,

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल भोपाल

विषय :- नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल भोपाल (सेंट्रल जोन बैंच) में दायर प्रकरण ओ.ए. 44/2024 श्री अवधेश सिंह विरुद्ध म0प्र0 शासन। (पुनरीक्षित प्रतिवेदन)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/विधि/3046 दिनांक 04.04.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/शि.लि.-2/1327 दिनांक 19.04.2024 ।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल भोपाल (सेंट्रल जोन बैंच) में दायर प्रकरण ओ.ए. 44/2024 श्री अवधेश सिंह विरुद्ध म0प्र0 शासन के प्रकरण में याचिका प्राप्त हुई है जिस संबंध में पुनरीक्षित तथ्यात्मक प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

न्यायालय तहसीलदार, राज.परि.टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल के सीमांकन प्रकरण क्र. 11/अ-12/2017-18 (संलग्नक-1) में जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल का भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 1.236 हेक्टेयर, 84 में रकबा 0.846 हेक्टेयर एवं 92 में रकबा 1.828 हेक्टेयर अतिक्रमण होना पाया गया था, जिस पर तहसीलदार, राज.परि.टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल ने अपील प्रकरण क्र. 08/अपील/2019-20 (संलग्नक-2) में वन, राजस्व एवं नगर निगम भोपाल द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये ग्राम चंदनपुरा की भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 1.236 हेक्टेयर में से 1.042 हेक्टेयर, 84 में रकबा 0.846 हेक्टेयर में से 0.595 हेक्टेयर एवं 92 में रकबा 1.828 हेक्टेयर में से 1.828 हेक्टेयर अतिक्रमण हटाया गया और शेष भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर पर जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल द्वारा भूमि विनिमय का आवेदन कलेक्टर कार्यालय भोपाल में प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रकरण तहसील न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। वर्तमान में भी भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर पर जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल का अतिक्रमण है।

म0प्र0 शासन के द्वारा ग्राम चंदनपुरा हेतु अधिसूचना क्र. एफ-25-61-दश-3 दिनांक 16.07.2021 रकबा 238.141 हेक्टेयर, राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30 जुलाई 2021 (संलग्नक-3) के द्वारा ग्राम चंदनपुरा के अन्य खसरों के अलावा खसरा क्रमांक 73,84 एवं 92 की भूमि को शासन के द्वारा संरक्षित वन घोषित किया गया। चूंकि राजपत्र

प्रकाशन दिनांक 30.07.2021 के पूर्व से ही जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल द्वारा भूमि विनिमय का आवेदन कलेक्टर कार्यालय भोपाल में प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रकरण तहसील न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण राजस्व विभाग के द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर अतिक्रमण नहीं हटाया गया था जिस कारण वर्तमान में भी भूमि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 वन विभाग को स्थानांतरित होने के पश्चात जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल का भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर अतिक्रमण है।

वन भूमि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 में वन विभाग को मिलने के पूर्व से ही जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल अतिक्रमण था इसलिये उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा ही की जानी है।

जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल के द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 में किये गये अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही हेतु परिक्षेत्राधिकारी समर्धा द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/392 दिनांक 12.02.2018 (संलग्नक-4), 1817 दिनांक 17.06.2019 (संलग्नक-5), 3157 दिनांक 16.09.2019 (संलग्नक-6) एवं 2727 दिनांक 17.12.2021 (संलग्नक-7) से तहसीलदार, तहसील टी.टी. नगर भोपाल को पूर्व में लेख किया गया है। इसी प्रकार कार्यालय वनमण्डल भोपाल के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./91 दिनांक 04.01.2021 (संलग्नक-8) द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर भोपाल को ग्राम चंदनपुरा के वन शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर में किये गये अतिक्रमण पर कार्यवाही हेतु संयुक्त सर्वे कराने वावत् पूर्व में लेख किया गया। साथ ही इस कार्यालय द्वारा भी कार्यालयीन पत्र क्रमांक/शि.लि.-2/3385 दिनांक 26/12/2023 (संलग्नक-9) एवं 1303 दिनांक 12/04/2024 (संलग्नक-10) द्वारा जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल के द्वारा वनभूमि खसरा क्रमांक क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर में किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टी.टी. नगर भोपाल को लेख किया जा चुका है।

प्रतिवादी क्रमांक-6 के द्वारा पूर्व में उक्त अतिक्रमित क्षेत्र के व्यपवर्तन/विनिमय हेतु ऑनलाईन आवेदन Proposal क्रमांक FA/MP/OTHERS/149148/2021 किया गया है जिस संबंध में कार्यवाही वनमण्डल कार्यालय भोपाल स्तर पर विचाराधीन है।

उक्त ऑनलाईन आवेदन पर श्री चिन्नमये वाजपेयी निवासी 74 बंगलो भोपाल के द्वारा अपनी शिकायत में "ग्राम चंदनपुरा भोपाल में स्थित शासकीय वनभूमि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 की 0.98 हेक्टेयर आवंटन करने वावत् आपत्ति दर्ज करते हुये लेख किया गया कि "ग्राम चंदनपुरा में खसरा क्रमांक 73 एवं 84 से होकर कच्चा मार्ग पाया गया है एवं


उक्त मार्ग पड़ोस के ग्रामीणों व धारित कृषकों द्वारा वर्ष 1980 के पूर्व आने-जाने के उपयोग में आता रहा है, जिस कारण उक्त शासकीय वनभूमि पर से 1980 से पूर्व का सार्वजनिक मार्ग का आवंटन नहीं किया जा सकता।” उक्त आक्षेप पर उपवनमण्डलाधिकारी भोपाल के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन क्रमांक/1399 दिनांक 01.06.2022 के बिन्दु क्रमांक-1 में लेख किया गया कि “मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त, भोपाल के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./989 दिनांक 30.04.2019 द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कचनार ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी भोपाल को पत्र प्रेषित कर लेख किया है कि “ग्राम चंदनपुरा वीरान गांव की श्रेणी में आता है और यहां कोई भी निवास नहीं करता है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित कोर्डिनेशन रोड़ की जो बात की जा रही है, जो वनक्षेत्र से निकलने के कारण वैधानिक नहीं है। अतः ग्राम चंदनपुरा में प्रस्तावित समस्त कोर्डिनेशन रोड़ को तत्काल विलोपित करने का कष्ट करें”। इस कारण वर्तमान में मार्ग का कोई औचित्य नहीं है।”

प्रकरण के साथ संलग्न नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल भोपाल (सेंट्रल जोन बैंच) में दायर प्रकरण ओ.ए. 44/2024 श्री अवधेश सिंह विरुद्ध म0प्र0 शासन में बिन्दु क्रमांक-5 में एक समिति का गठन किया गया है जिसे वनमण्डल भोपाल की ओर से रिपोर्ट प्रेषित किया जाना है। प्रकरण में बिन्दु क्रमांक-6 में ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोडल एजेन्सी बनाया गया है बिन्दु क्रमांक-7 में आवेदक को माननीय न्यायालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों तथा बिन्दु क्रमांक-5 में उल्लेखित समिति को प्रस्तुत करने तथा उपरोक्त आधार पर माननीय न्यायालय में शपथ पत्र दिये जाने के दिशा निर्देश दिये गये हैं।

ग्राम चंदनपुरा की भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 1.236 हेक्टेयर में से 1.042 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.846 हेक्टेयर में से 0.595 हेक्टेयर एवं 92 में रकबा 1.828 हेक्टेयर में से 1.828 हेक्टेयर अतिक्रमण हटाया गया शेष अतिक्रमण भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु वनमण्डल कार्यालय भोपाल, उपवनमण्डल कार्यालय भोपाल एवं वन परिक्षेत्र कार्यालय समर्धा से कई पत्र राजस्व विभाग को लिखे जा चुके हैं। उक्त अतिक्रमण ग्राम चंदनपुरा हेतु अधिसूचना क्र./एफ-25-61-दस-3 दिनांक 16.07.2021 रकबा 238.141 हेक्टेयर, राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30 जुलाई 2021 के पूर्व से ही विद्यमान है। उक्त अतिक्रमित क्षेत्र के व्यपवर्तन/विनिमय हेतु प्रतिवादी क्रमांक-6 द्वारा ऑनलाईन आवेदन Proposal क्रमांक FA/MP/OTHERS/149148/2021 किया गया है जिस संबंध में कार्यवाही वनमण्डल कार्यालय भोपाल स्तर पर विचाराधीन है।

अतः उक्त आदेश के परिपालन में प्रतिवेदन पुनः सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (पृ.क्र. 01 से पृ.क्र. तक)


उप वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, भोपाल

सत्य प्रतिलिपि प्रकरण क्रमांक 11/21-12/17-18
 न्यायालय लखीमपुरा 21-21-2017 भोपाल

07/12/1520

समीक्षा क्रमांक-1

फार्म 'अ'

(परिपत्र 41-1 की कडिका 6 देखिये)
 राजस्व आदेश-पत्र (रेवेन्यू आर्डर शीट)

तहसीलदार, रा0परि0टी0टी0 नगर के न्यायालय में मामला क्रमांक 11/अ-12/2017-2018
 विषय- सीमांकन के संबंध में। प्रकरण के श्रेणी अ-12
 ग्राम- चंदनपुरा गन्दोवरत क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक
 तहसील हुजूर कलेक्टर कर क्रमांक अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक 148/टी-12/17-18
 तहसीलदार का क्रमांक नायब तहसीलदार का क्रमांक

आदेश क्रमांक
 वसूली की
 तारीख

भौतिकीय अधिकारी के हस्ताक्षर या अतिरिक्त पत्र अथवा कार्यवाही

जहाँ आवश्यक पक्षी
 अथवा वकीलो के
 हस्ताक्षर आदेशों का
 पालन करवा कर
 लिपिक के हस्ताक्षर
 और प्रकरण की
 तारीख
 (3)

0228R713-APP-1628
 0357/अ-12/2017-18 OK

19-01-2018


माननीय लोकायुक्त महोदय MOPRO के जांच प्रकरण 41/2016 में ग्राम चंदनपुरा की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 73, 84, 92 के अतिक्रमण के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें लोकायुक्त कार्यालय MOPRO के पत्र क्रमांक 9343/जा.प्र./41/2016 भोपाल दिनांक 13.12.2017 के माध्यम से यह निर्देशित किया गया है कि-

"प्रकरण के परिशीलन से दर्शित होता है कि प्रकरण में राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा पक्षकारों की उपस्थित में सीमांकन करने के लिए निर्देशित किया है, जिसका पालन राजस्व अधिकारी करेंगे। ऐसी स्थिति में राजस्व विवाद होने से शिकायत आवेदन फिलहाल माननीय लोकायुक्त महोदय के आदेशानुसार दिनांक 07.01.2017 को नस्तीवद्ध किया जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि सीमांकन के पश्चात् की स्थिति से संगठन को यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।"

2- माननीय लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक 41/2016 में शासकीय भूमि खसरा नं. 73, 84, 92 पर कब्जे के संबंध में शिकायत की गई है, जिसकी जांच एवं सीमांकन हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टी.टी.नगर वृत्त भोपाल के आदेश क्रमांक 62/अ.वि.अ./टी.टी.नगर/2017 भोपाल-दिनांक 04.01.2017 के माध्यम से दल गठित किया गया था। सीमांकन दल द्वारा अपना प्रतिवेदन सहपंचनामा एवं फील्डबुक प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर ग्राम चंदनपुरा की शासकीय भूमि खसरा नं. 73 व 84 में से रकबा 4.60 एकड़ पर जामरण सोशल वेल्फेयर सोसायटी द्वारा वाउन्ड्रीवाल निर्मित की जाना पाया गया।

3- सीमांकन दल के प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया जाने से आवेदनक जामरण सोशल वेल्फेयर सोसायटी के निरूद्ध तहसीलदार राजधानी परिसर नगर वृत्त भोपाल के न्यायालय में MOPRO में राजस्व सौदल 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 07/अ-12/2017 को किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई।

सत्य प्रतिलिपि
 9/21
 परि टी.टी.
 भोपाल



प्रक. पाठ के -

1/2

2

4- न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल के उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के विरुद्ध जागरण सोशल वेल्फेयर सोसायटी के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के द्वारा प्रकरण क्रमांक पी.बी.आर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3640 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 के द्वारा यह ठहराया गया कि-

"सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया है, क्योंकि अभिलेख में पक्षकारों को नोटिस जारी किये जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सीमांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सीमांकन प्रतिवेदन अनुसार सीमाओं का कौंस चेक नहीं किया गया है। इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जावे कि वे प्रकरण में विधिवत् पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुये सीमांकन की कार्यवाही करें।"

5- माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.11.2017 के माध्यम से प्रकरण में विधिवत् पक्षकारों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय राजस्व मण्डल के उपरोक्त आदेश की प्रति सहित इस न्यायालय का राजस्व प्रकरण क्रमांक 04/अ-68/2016-17 अप्राप्त है, किन्तु पक्षकारों द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के उपरोक्त पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की है।

6- ग्राम चंदनपुरा में अनावेदक जागरण सोशल वेल्फेयर सोसायटी के अतिक्रमण- गेट तथा बाउन्ड्रीवॉल को हटाने के संबंध में एक प्रकरण नगर पालिका निगम भोपाल (भवन अनुज्ञा शाखा) में भी प्रचलित रहा है जिसमें दिनांक 31.10.2017 को प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के समक्ष आयोजित बैठक में प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टी.टी. नगर वृत्त भोपाल, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल एवं मुख्य नगर निवेशक नगर पालिका निगम भोपाल का एक संयुक्त दल गठित किया गया था, जिनके द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 02.11.2017 एवं बैठक दिनांक 06.11.2017 एवं 18.11.2017 को आयोजित की गई। उक्त बैठकों के परिणाम स्वरूप कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल के पत्र पंजीकरण क्रमांक 4048/जी.जी./2017 भोपाल दिनांक 20.12.2017 के द्वारा

(1) ग्राम चंदनपुरा खपरवेल ब्लॉक 83/2/2183/2017 का खता 568 का प्रकरण भी न्यायालय के द्वारा सीमांकन प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

(3)

प्रकृताने:-

वाउन्डीवाल का निर्माण कॉडिनेशन रोड पर बाधित हो रहा है या नहीं ? की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी से चाही गई है।

उपरोक्त कार्यवाही की पूर्ति हेतु भी प्रश्नाधीन रथल का सीमांकन कार्य कराया जाना आवश्यक है।

7- ग0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के प्रावधान अन्तर्गत भूमि के सीमांकन संबंधी शक्तियां वर्तमान में राजस्व निरीक्षक को प्रदान की गई हैं तथापि प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये सीमांकन कार्यवाही दल गठित कर कराई जाना मायांकित प्रतीत होता है।

8- अतः ग्राम चंदनपुरा की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 73, 84, 92 एवं निजी भूमि खसरा क्रमांक 83/2/ख, 83/2/ग के विधि अनुसार सीमांकन किये जाने हेतु -

- (1) प्रकरण सीमांकन मद (अ-12) में दर्ज हो।
- (2) उपरोक्त भूमि के सीमांकन हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाना प्रस्तावित है :-
 - 1. श्री ए.मुरलीधरन, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
 - 2- श्री रामदास गोरले, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक
 - 3- श्री कुंवरलाल कुशवाह, राजस्व निरीक्षक
 - 4- श्री योगेश पारे, राजस्व निरीक्षक

प्रकरण उपरोक्तानुसार अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित।

19.01.2018
तहसीलदार

अनुविभागीय अधिकारी महो.

5/2/2018

प्रकरण तहसीलदार से प्रेषित कर दिया प्रस्ताव।
प्रकरण का आमोपान्त करके प्रेषित किया गया।
प्रतिवेदन से सहमत।

उपरोक्त कार्य हेतु दल गठन का आदेश जारी है।
प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष प्रकृतिलिपि
निदेशिका- प्रेषित
परि. टै. सी. नगर
मोपाल

प्रमाण सश्रीलाल स्वामी
प्रमाण प्रमाण नकार है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
राज्यपरिचालन
मोपाल (ग.प्र.)

456
7/2/18



(3/4)

11/ 2/ 2018-18

ग्रामचंदनपुरा

2

(4)


018/19

प्रकरण पेश।


2 माननीय लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. के पत्र क्र 9343/जा.प्र./41/2016 भोपाल दिनांक 13.12.2017 में दिये गये निर्देश तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्र पीवीआर/निगरानी/भोपाल/भू.स./2017/3640 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 के अनुसरण में ग्राम-चंदनपुरा की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का चिन्हांकन करने एवं जागरण सोशल वेलफेयर कोरपोरेशन द्वारा निर्मित बाउंड्रीवाल /गेट के विरुद्ध हुई अतिक्रमण संबंधी शिकायत पर परिपेक्ष में प्रमुख सचिव नगरी विकास एवं आवास विभाग भोपाल के समक्ष आयोजित बैठक में अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश एवं मुख्य नगर निवेशक नगर निगम भोपाल द्वारा लिये गये निर्णय के अंतिम में ग्राम-चंदनपुरा की शासकीय भूमि खसरा नं. 73, 84, 92 एवं निजी भूमि खसरा नं. 83/2/ख, 83/2/ग के सीमांकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.02.2018 द्वारा किये गये अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार दल तैयार किया जाना प्रस्तावित है:-

1. श्री ए नुरलीधरन, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
2. श्री रामदास गोरले, राजस्व निरीक्षक
3. श्री कुंअरलाल कुशवाहा, राजस्व निरीक्षक
4. श्री योगेश पारे, राजस्व निरीक्षक

उक्त आदेशिका दिनांक 05.02.2018 में किये गये अनुमोदन अनुसार आदेशिका में हस्ताक्षरार्थ प्रकरण सहित प्रेषित है।


तहसीलदार
टी.टी. नगर भोपाल

अनुविभागीय अधिकारी महोदय


तहसीलदार
टी.टी. नगर
भोपाल





राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति-पत्र
मामला कर्मांक

47
48

(2)

01/8/19

प्रकरण प्रस्तुत - जो आदेशार्थ नियत है।

प्रकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि कार्यालय कलेक्टर के आदेश कं. 1323/नजूल टी.टी.नगर/19 दिनांक 20/02/2019 द्वारा ग्राग चंदनपुरा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 73, 84, 92 एवं उक्त शासकीय भूमि से लगी निजी भूमि खसरा नंबर 83/2/ख एवं 83/2/ग के सीमांकन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख, कलेक्टर कार्यालय भोपाल के नेतृत्व में सीमांकन दल गठित किया गया। सीमांकन दल द्वारा विधिवत सीमांकन दिनांक 28/02/2019 से प्रारंभ कर दिनांक 01/03/2019 को समाप्त किया जाकर म.प्र.भू राजस्व संहिता की धारा 129 में विहित प्रावधान अनुसार विधिवत प्रतिवेदन मय पंचनामा, फील्डबुक, नक्शा एवं सूचनापत्र के इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

सीमांकन दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल म.प्र. के पत्र कं. 1323/नजूल/टीटीनगर/2019 भोपाल दिनांक 20/02/2019 के पालन में ग्राम चंदनपुरा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 73, 84, 92 एवं उससे लगे निजी भूमि खसरा नंबर 83/3/ख, 83/2/ग के सीमांकन हेतु गठित दल द्वारा सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ की गई। दिनांक 22/02/2019 को उक्त सीमांकन के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को सूचना पत्र विधिवत रूप से जारी किये गये, सूचना उपरांत सीमांकन हेतु नियत दिनांक को 28/02/2019 को गठित दल के अधीक्षक भू-अभिलेख के नेतृत्व में सदस्य मौके पर उपस्थित हुए। आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा गठित दल के द्वारा ग्राम चंदनपुरा के राजस्व नक्शे पर सर्वे उपरांत तैयार टॉवर्स शीट जिसमें लाल एवं हरे रंग से चिन्हांकित लाईन (टॉवर्स चिन्ह) सी.एच. 56, सी.एच. 55 जो कि संलग्न नक्शे का भाग है, को आधार मानकर ई.टी.एस. मशीन के द्वारा दिनांक 28/02/2019 को सीमांकन कार्यवाही प्रारंभ कर दिनांक 02/03/2019 को सीमांकन कार्यवाही पूर्ण की गई। जिसमें खसरा नंबर 73, 84 एवं 92 का सीमांकन कार्य उपस्थित व्यक्तियों से संपन्न किया गया। जिसमें नीचे लिखित तालिका अनुसार स्थिति पाई गई।

01/8/19

दिनांक

6
स्थ

ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकवा	मद	अतिकमण में पाया गया क्षेत्रफल	अतिकमण का प्रकार
चंदनपुरा	73	12.133	काबिल कास्त एवं अन्य शासकीय विभाग	1.236 हे०	बाह्यदीवाल से घेरकर
	84	5.462	वन शासकीय	0.846 हे०	
	92	5.937	अन्य शासकीय विभाग	1.828 हे०	

मौके पर खसरा नंबर 73, 84 एवं 92 की पूर्व की दिशा पर जिसे सीमांकन के दौरान उस भाग को लाल रंग से दर्शाया गया है। जिस पर पत्थर के अलंगो की पक्की दीवाल का निर्माण एवं मुख्य प्रवेश द्वार का भाग को शामिल करते हुए खसरा नंबर 73, 84 एवं 92 की पश्चिम दिशा नक्शे अनुसार संस्था जागरण वेलफेयर सोसायटी के आधिपत्य में भूमि संस्था के अनाधिकृत आधिपत्य में पाई गई। ग्राम चंदनपुरा के राजस्व खसरा नंबर 83/2/ख रकवा 4.858 हे० एवं खसरा नंबर 83/2/ग रकवा 0.809 हे० जो जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा हरिमोहन गुप्ता पुत्र स्व. श्री गुरुदेव गुप्ता द्वारा एम.पी.सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 कार्यालय 33 जागरण भवन निवासी प्रेस काम्पलेक्स जोन-01 भोपाल के नाम दर्ज है। हल्का-एन.एम.एस. अनुसार उक्त-खसरा नंबरों की भूमियों का बटान प्रकरण निरस्त होने के कारण नक्शे में बटान न होने की दशा में निजी भूमि का सीमांकन नहीं किया जा सका। अतः शासकीय भूमि खसरा नंबर 73 रकवा 12.133 हे० नोईयत काबिल कास्त एवं अन्य शासकीय विभाग कैफियत कॉलम नं. 12 के अनुसार म.प्र.शासन, वन विभाग हाईटेक प्लान्टेशन, सीलिंग भूमि एवं खसरा नंबर 84 रकवा 5.462 हे० नोईयत वन शासकीय कैफियत कॉलम नं. 12 के अनुसार म.प्र. शासन, वन विभाग हाईटेक प्लान्टेशन एवं 92 रकवा 5.937 हे० नोईयत अन्य शासकीय विभाग की भूमि के सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की जाकर पंचनामा, नक्शा एवं फील्डबुक तैयार कर प्रकरण संलग्न है।

प्रकरण में जागरण वेलफेयर सोसायटी एवं श्रीमती दीपा गुप्ता तथा शिकायतकर्ता श्री दिनेश सोलंकी द्वारा प्रकरण एवं सीमांकन पर आपत्तियां प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत आपत्तियों को आपत्तिकर्ताओं को समझित अपरार प्रदान करने के

दिनांक 19/08/2019 के द्वारा निराकृत की गई।

49

प्रकरण का सूक्ष्म अनुशीलन किया गया। सीमांकन दल द्वारा ग्राम चंदनपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 73, 84 एवं 92 का सीमांकन प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1, पंचनामा प्रदर्श पी-2, फील्ड बुक पृष्ठ क्रं. 01 लगायत 45 प्रदर्श पी-3, नक्शा प्रदर्श पी-4 एवं सूचनापत्र प्रदर्श पी-5 अनुमोदित किये जाते हैं। सीमांकन दल का प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी-1 लगायत पी-5 आदेश का अंग होगा। सीमांकन प्रतिवेदन में निम्नानुसार अतिक्रमण दर्शित है-

ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा	मद	अतिक्रमण में पाया गया क्षेत्रफल	अतिक्रमण का प्रकार
चंदनपुरा	73	12.133	काबिल काश्त एवं अन्य शासकीय विभाग	1.236 हे०	वाउण्डीवाल से घेरकर
	84	5.462	वन शासकीय	0.846 हे०	
	92	5.937	अन्य शासकीय विभाग	1.828 हे०	

उक्त अतिक्रमण का पृथक से विधिवत प्रकरण धारा 248 में दर्ज किया जाये। प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल अभिलेखागार हों।



201819
तहसीलदार

टी०टी० नगर भोपाल
तहसीलदार
सह.प्रति.टी.टी. नगर, वृत्त
भोपाल

अध्यक्ष प्रतिनीति
9/2/21
राज. प्रति.टी.टी.नगर
भोपाल



राजस्व आदेश--पत्र अनुवृत्ति--पत्र
गामला कमांक

(2)

प्रकरण तहसीलदार न्यायालय से प्राप्त।

कृपया कलेक्टर कार्यालय द्वारा आयुक्त महोदय भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त-म.प्र. ग्वालियर को लिखे गये पत्र कं. 422/राज.परि.टी.टी. नगर/2018 दिनांक 03/05/2018 का अवलोकन हों। जिसके द्वारा ग्राम चंदनपुरा की शासकीय खसरा नंबर 73, 84 एवं 92 एवं निजी भूमि खसरा नंबर 83/2/ख, 83/2/ग का सीमांकन जी.पी.एस. मशीन से कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए सीमांकन हेतु आवश्यक अमला एवं संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

आयुक्त महोदय भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र. ग्वालियर द्वारा गठित दल द्वारा ग्राम चंदनपुरा स्थित प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किए जाने के पूर्व मौके पर चांदा पत्थर एवं स्थाई चिन्हों के सत्यापन की कार्यवाही कर प्रकरण में दिनांक 11/02/2018 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि उक्त स्थाई सीमा चिन्हों एवं सत्यापित चांदा पत्थरों एवं तैयार की गई शीट के आधार पर सीमांकन किया जा सकता है।

अतएव प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन किए जाने हेतु एक दल का गठन किया गया है। गठित दल को जारी किये जाने वाला आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुशांसा सहित हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

अनुविभागीय अधिकारी
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

कलेक्टर महोदय

384/19

31/1/19

राज.परि.टी.टी.नगर
30/2/19

31/1/19

राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक

(1)

(1)

(2)

(3)

9/03/19

प्रकरण प्रस्तुत।


- कालेक्टर कश्मिर, जिला भोपाल के आदेश क्रमांक 1323/ भूक
 ही.छि.नगर। 19 दिमांक 20। 02। 19 के अनुक्रम में गकि
 सीमांकन दल द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन, फील्ड बुक,
 नक्शा, सूचनापत्र एवं पंचनामा प्रस्तुत किया गया।
 प्रकरण सीमांकन प्रतिवेदन पर दवा-आपत्ति की
 प्रतीक्षा में निपटा

C.f. 08/04/2019

[Handwritten Signature]

384/19
 राज्य प्रशासन

प्रतिनिधिकार
 राज. बरि. टी.टी. नगर
 वृत्त. भोपाल
 30/3/19



12/19

- प्रकटा पेश ।

अधीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित ।
पीठासीन अधिकाारी अन्य शासकीय
कार्य में व्यस्त । प्रकटा पूर्वक
वदाया गया

19/12/19

प्रवाचक

12/11/19
11/11/19
19/12/19

19/12/19


- प्रकटा पेश ।

अधीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित ।
उनके द्वारा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत
किया गया जो कि प्रकटा शाय
संलग्न है । तहशीलदार से प्रतिवेदन
प्राप्त करें ।

C.F- 26/12/19

1648
20/12/19

अनुविभागीय अधिकारी
एन नजूल
टी.टी. नगर वृत्त भोवाल



राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति-पत्र

प्रकरण क्रमांक / वी -121 / 2019-20

15

(2)

(3)

01/20

प्रकरण प्रस्तुत।





प्रकरण क्रमांक 0030/अ-68/2019-20 आदेश दिनांक 28/12/2019

में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है। कि ग्राम चंदनपुरा प0ह0न0 95/40 तहसील हुजूर ख0कें 73, 74, 84, 92 में किए गये अतिक्रमण को हटाने हेतु नायब तहसीलदार राज. परि टी0टी नगर भोपाल राज. निरीक्षक हल्का पटवारी एवं वन विभाग से श्री ताज मो. खान (वनरक्षक) उपस्थित हुए। मौके पर शिकायतकर्ता दिनेश सोलंकी उपस्थित मिले। ग्राम चंदनपुरा की भूमि ख.क. 73 में रकबा 1.236 खसरा क. 74 में 0.027 है. खसरा क. 84 में रकबा 0.846 है. ख.क. 92 में रकबा 1.828 है., ख.क. 94 में रकबा 0.032 है. भूमि को अलग-की दीवार से घेर कर किये अतिक्रमण को मौके पर जे.सी.वी. मसीन की सहायता से हटाया गया मौके पर अत्याधिक घना झाड जंगल होने के कारण जे.सी.वी. मसीन की पहुंच तक बिना पेड़ों को नुकसान पहुंचाए अतिक्रमण हटाया गया एवं रिक्त भूमि को अधिपत्य में लिया गया। मौके पर भूमि ख.क. 73 में रकबा 0.194 है. एवं खसरा क. 84 में रकबा 0.251 है. भूमि पर जागरण वेलफेयर संस्था द्वारा भूमि विनिमय आवेदन श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ प्रस्तुत किया गया था। जिस पर वर्तमान में श्रीमान तहसीलदार महोदय के यहाँ प्रकरण विचाराधीन है। इसलिये उक्त भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। शेष बची सम्पूर्ण भूमि पर से अतिक्रमण हटाकर शासन के अधिपत्य में लिया गया।

अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण प्रेषित है।

राज. तहसीलदार
राज. परि टी0टी नगर वृत्त
भोपाल

नजूल अधिकारी महोदय,



17/01/20


प्रकरण तहसीलदार टी. टी. नगर

के सक्षों से प्रतिवेदन सहित प्राप्त।

प्रकरण अवलोकनार्थ / आदेशार्थ

पक्षि १३/१

अनुविभागीय अधिकारी
एवं नजूल अधिकारी
टी.टी. नगर वृत्त भोपाल



(6)
रेवेन्यू आर्डर शीट (अनुवृत्ति पत्र)

(15)

22/1/20

प्रकरण पेश।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।
आवेदक संस्था जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, 83/2,
श्रीमवाउल, ग्राम चंदनपुरा भोपाल द्वारा-वेयरमैन श्री
हरिमोहन गुप्ता निवासी-जेएसडब्ल्यूएस, भोपाल द्वारा
तहसीलदार टी0टी0 नगर वृत्त भोपाल के प्रकरण
क्रमांक-11/अ-12/2017-18 ग्राम चंदनपुरा में पारित
आदेश दिनांक 19.08.2019 एवं 20.08.2019 से दुखित होकर
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129, -5 म0प्र0-भू राजस्व संहिता
के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में
तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार के
प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

तत्पश्चात प्रकरण में आवेदक संस्था
डायरेक्टर-श्री संजीव सक्सेना जागरण सोशल वेलफेयर
सोसायटी द्वारा दिनांक 23.01.2020 को आवेदन पत्र प्रस्तुत
कर अनुरोध किया गया कि उक्त प्रचलित प्रकरण को अब
आगे नही चलाना चाहते है।

अतः आवेदक संस्था का उक्त आवेदन स्वीकार
किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

- आवेदक संस्था सूचित हो।

- तत्पश्चात प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल रिकार्ड
हो।

सत्य प्रामाणिक
9/11/2020

नजूल अधिकारी
टीटीनगर वृत्त भोपाल



Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-61-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies in between N 23°11'13.961" to N 23°10'24.915" North Latitude and E 77°22' 17.612" to E 77°23'36.423" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Bhopal, Tehsil—Huzur, Forest Division—Bhopal, Forest Range—Samrdha

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Chandnapura	Chandnapura	Chote Bade	73	12.133	North—Protected Forest Block
			Jhad ke	74	11.513	Maindora II Boundary Pillar
			Jungle	75/2	9.228	No. 17 and Protected Forest
			(Revenue	77/2	8.498	Block Artificial Forest
			Land).	78/2	15.558	Boundary from Pillar No.
				79/2	1.882	42 to 62.
				80	32.374	East—Forest Block Artificial Forest
				81/1	1.619	Boundary from Pillar No. 62
				81/2	15.777	to 74
				82/2	17.190	South—Forest Block Artificial Forest
				83/1	21.853	Boundary from Pillar No.
				84	5.462	74 to 82 and Protected Forest
				92	5.937	Block Maindora II Boundary
						from Pillar No. 26 to 21.
				योग ..	159.024	West—Protected Forest Block
						Maindora II Boundary
						Pillar No. 21 and forest
	Chawani	Chote Bade		29/1	79.117	Block Boundary Pillar No. 83
		Jungle ke Jungle				and Protected Forest Block
		(Revenue				Maindora II Boundary from
		Land).				Pillar No. 19 to 17.
				Total ..	238.141	

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र समर्धा, 1

74 बंगला, इंदिरा निकुंज नर्सरी के पास, भोपाल (म.प्र.) फोन नम्बर 0755-

भोपाल, दि

तहसीलदार महोदय
तहसील टी.टी. नगर भोपाल



विषय:- वन विभाग की भूमि खसरा क्रमांक/7384, ग्राम चन्दनपुरा जिला समर्धा रेंज में अवैध कब्जे के संबंध में एवं सी.एम. हेल्पलाईन क्रमांक/3534411 में दर्ज शिकायत का गलत निराकरण करने के संबंध में।

==== oo ====

उपरोक्त विषय में लेख है कि उक्त शिकायत के निराकरण करने हेतु वनपरिक्षेत्र कार्यालय के पत्र क्रमांक/3987 दिनांक 27.12.2017 को आपको भेजा गया था। सुलभ

संदर्भ हेतु पत्र की पावती छायाप्रति संलग्न है।

श्री दिनेश सोलंकी के द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत की गयी है। उनके द्वारा खसरा क्रमांक/7384, ग्राम चन्दनपुर में खसरे पर जागरण सोसायटी द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। उक्त खसरो से संबंधित प्रकरण आपके न्यायालय में विचाराधीन है, या निर्णय हो चुका है। सी.एम. हेल्पलाईन में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु पारित आदेश एवं उससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करे। जिससे की समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत किया जा सकें।

—समर्धा—
वनपरिक्षेत्राधिकारी
समर्धा भोपाल
भोपाल, दिनांक 12-2-18

क्रमांक.....393.....

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान वनसंरक्षक महोदय एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान उपवनमण्डलाधिकारी महोदय सामान्य वन मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. परिक्षेत्र सहायक गोपाल की ओर लेख है कि, वांछित अभिलेख तहसील कार्यालय से सत्यापित प्रमाणित प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

वनपरिक्षेत्राधिकारी
समर्धा भोपाल

महोदय

निम्नलिखित को कार्यालय में भेजा है

VP B/11
21/2/2018

संलग्न संख्या - (5)

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र समर्धा, भोपाल

74 बंगला, इंदिरा निकुंज नर्सरी के पास, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष क्र.-(0755)2552594 ई-मेल: rotsamardha@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 17/6/19

(6)

मात्रा 1817

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील राजधानी परियोजना
टी.टी. नगर भोपाल

विषय- सी.एम.हेल्पलाइन शिकायत क्र.8493543 दिनांक-07.06.2019 शिकायतकर्ता श्री नितिन जी।

00

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सी.एम.हेल्पलाइन शिकायत क्र.8493543 दिनांक-07.06.2019 शिकायतकर्ता श्री नितिन जी द्वारा सी. एम. हेल्पलाइन पर अतिक्रमण संबंधी शिकायत की गई है, कि जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा वन विभाग को राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई भूमि खसरा क्र. 73.84.92 पर अतिक्रमण किया गया है। जिसने सीमांकन संबंधी दस्तावेजों प्रकरण क्र. 11/34/2017-2018 एवं सीमांकन प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न की गई है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का कार्य करें।

संलग्न- प्राप्त शिकायत एवं सहपत्र


वनपरिक्षेत्राधिकारी
समर्धा भोपाल



सी.एम. हेल्पलाइन - शिकायत विवरणी

R-335
23.8.2019

जन हेतु - जन शेतु

(19)

शिकायत क्रमांक 9041545 दिनांक 23/08/2019
विभाग का नाम वन विभाग
शिकायतकर्ता का नाम नितिन जी
पता वार्ड न 26, चन्दन पुरा भोपाल
फोन नंबर 9893054321
जिला भोपाल
क्षेत्र क्षेत्र/ब्लॉक : समरधा

शिकायत का प्रारूप अतिक्रमण / कटाई / परिवहन / आग आदी से सम्बन्धित (वन विभाग)

शिकायत का विवरण

शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि ग्राम चंदनपुरा जिला भोपाल में खसरा क्रमांक 63, 64 एवं 92 जोकि मध्य प्रदेश वन विभाग के अधीन है उस पर जागरण सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अतिक्रमण कर दिवार बना ली गए है उक्त भूमि की राशुम्त नपती (नपती का प्रकरण सलग्न है) 1 मार्च 2019 वन विभाग के बीट के अधिकारी भी मौजूद थे नपती का प्रकरण नो. 11, 31, 12, 16-17 है परन्तु जात होने के बाद में भी वन अधिकारी द्वारा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया नहीं गया है

निराकरण

शिकायत की स्थिति

शिकायत निराकरण अधिकारी (ऐल।) से संपर्क कर शिकायत दे दी गयी है प्रगति विवरण अपेक्षित है

शिकायत की स्थिति

दिनांक

स्थिति

05 Sep 2019

शिकायत निराकरण हेतु (ऐल।) अधिकारी है नाम : श्री अशोक कुमार झालर पद परिक्षेत्र अधिकारी फोन- 9424790553

05 Sep 2019

शिकायत को प्रेषित कर दिया गया है

02 Sep 2019

शिकायत चयनित अधिकारी के कार्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है अतः पुनः उचित अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा

02 Sep 2019

शिकायत कार्यक्षेत्र से बाहर होने के कारण शिकायत का निराकरण नहीं किया जा सकता।

25 Aug 2019

शिकायत निराकरण हेतु (ऐल।) अधिकारी है नाम : नरेंद्र कुमार चौहान पद : परिदेव

संलग्नक-6

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र समर्धा, भोपाल

74 बंगला, इंदिरा निकुज नर्सरी के पास, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष क.-(0755)2920102 ई-मेल: rotsamardha@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक ...

क्रमांक

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील राजधानी परियोजना
टी.टी. नगर भोपाल

विषय- जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 73, 84, 92 पर अतिक्रमण बावत्।
संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/1817, दिनांक 17.06.2019।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि सी.एम. हेल्पलाईन शिकायत क्रमांक-9041545, दिनांक 23.08.2019, में शिकायतकर्ता नितिन जी द्वारा शिकायत की गई है। ग्राम वंदगुपरा जिला भोपाल में राजस्व क्र.- 73, 84, एवं 92, जो कि छोटे-बड़े झाड़ का जंगल म0प्र0 वन विभाग के अधीन है। में उपरोक्त संस्था द्वारा कुछ भूमि पर अतिक्रमण कर वाउण्ट्री वाल बनाई गई है। उक्त अतिक्रमण भूमि की संयुक्त नपती राजस्व विभाग द्वारा कराई गई है। ऐसा शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेख कर संयुक्त सर्वे की छायाप्रति अनुविभागीय अधिकारी के पत्र क्रमांक/148/बी/121/1, संलग्न की है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त संयुक्त सर्वे की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करे जिसमें सी.एम. हेल्पलाईन अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जा सके।

वृत्तान्त
वनपरिक्षेत्राधिकारी
समर्धा भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/9/19

क्रमांक 3158

प्रतिलिपि:-

- 1 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टी. टी. नगर भोपाल की ओर सूचनाार्थ प्रेषित है।
- 2 श्रीमान उपवनमंडलाधिकारी महोदय सामान्य वनमंडल भोपाल की ओर सूचनाार्थ प्रेषित है।
- 3 श्री राजेन्द्र मरावी परिक्षेत्र सहायक भोपाल की ओर सूचनाार्थ प्रेषित है आप अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टी.टी. नगर से संपर्क कर संयुक्त सर्वे की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने एवं इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।



वनपरिक्षेत्राधिकारी
समर्धा भोपाल

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र समर्धा, भोपाल

(21)

74 बंगला, इंदिरा निकुंज नर्सरी के पास, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष क.-(0755) 2920102 ई-मेल: rotsamardha@mp.gov.in

क्रमांक

भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय
सामान्य वनमण्डल, भोपाल

विषय:- ग्राम-चंदनपुरा, जिला-भोपाल में खसरा क्रमांक-73, रकबा 0.194 एवं खसरा क्रमांक-84, रकबा 0.251 पर जागरण वेलफेयर सोसायटी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाने बाबत।

संदर्भ:- श्रीमान का पत्र क/मा.चि./7703, दिनांक 09.12.2021

-----00-----

संदर्भाकित विषय में निवेदन है कि ग्राम-चंदनपुरा के खसरा क्रमांक-73, रकबा 0.194 एवं खसरा क्रमांक-84, रकबा 0.251 पर जागरण वेलफेयर सोसायटी द्वारा अतिक्रमण किये जाने के संबंध में श्री नितिन लाल चंदानी, ब्लाक-ए, प्रथम तल, जी.टी.वी. काम्पलेक्स, न्यू मार्केट भोपाल द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। जिसके तारतम्य में प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

- (i) तहसीलदार टी.टी. नगर भोपाल के राजस्व आदेश पत्र न्यायालय मामला क. 0030/ए-68/2019-2020 अनुसार ग्राम चंदनपुरा स्थित खसरा क्रमांक 73, रकबा 12.1330 हेक्टेयर में से 1.236 हेक्टेयर खसरा क्रमांक 84 रकबा 5.462 हेक्टेयर में से 0.846 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 92, रकबा 5.937 हेक्टेयर में से 1.828 हेक्टेयर पर संस्था जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा हरिमोहन गुप्ता पुत्र स्व. श्री गुरुदेव गुप्ता द्वारा वाउण्डीवाल से घेरकर अतिक्रमण होना बताया गया।
- (ii) यह कि तत्समय दिनांक 21.12.2019 को वन विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा स्थल पंचनामा अनुसार खसरा क्रमांक 73, 84, एवं 92 में अलंगो की दीवार को बनाकर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर भोपाल को प्रतिलिपि पत्र में उल्लेख है, कि जागरण सोशल वेलफेयर संस्था द्वारा भूमि विनियन आवेदन श्रीमान कलेक्टर के यहां प्रस्तुत करने व तहसीलदार टी.टी. नगर भोपाल के यहां प्रकरण विचाराधीन होने से खसरा क्रमांक-73, के रकबा में से 0.194 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 84 में से रकबा 0.251 हेक्टेयर पर से तत्समय राजस्व अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

राजस्व ग्राम-चंदनपुरा द्वारा तहसीलदार टी.टी. नगर भोपाल को प्रतिलिपि पत्र अनुसार 31/3/2011 को खसरा क. 73, व खसरा क. 84 पर हुये अतिक्रमण को राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 21.12.2011 को हटाया गया एवं प्रकरण तहसीलदार टी.टी. नगर न्यायालय में भूमि विनियन आदेश विचाराधीन होने से 73 का 0.194 हेक्टेयर व खसरा 84 का 0.251 हेक्टेयर पर अतिक्रमण मुक्त कराना शेष प्रतिवादिता किया गया।

अतः न्यायालय तहसीलदार टी.टी. नगर भोपाल में विचाराधीन भूमि विनियम प्रकरण समाप्त होने संबंधी कार्यालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं है।


चूंकि उपरोक्तानुसार जागरण वेलफेयर सोसायटी द्वारा जब अतिक्रमण किया गया था, तत्समय उक्त भूमि राजस्व भूमि तथा ^{श्री} दिनांक 21.12.2019 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी राजस्व विभाग द्वारा की गई थी। उक्त खसरे 16 जुलाई 2021 को म०प्र० राजस्व अनुसार संरक्षित वन घोषित है। अर्थात् जुलाई 2021 से वन विभाग को जो खसरे हस्तान्तरित हुये हैं, उनके खसरे का 0.109 हेक्टेयर खसरा नम्बर-84, का 0.251 हेक्टेयर पूर्व से अतिक्रमित है। उक्त खसरे तत्समय वन भूमि न होने वन विभाग द्वारा न तो कोई प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ओर न ही अतिक्रमण हटाने संबंधी धारा-80, का नोटिस जारी किया गया। अतः उक्त अतिक्रमित भूमि को हटाने हेतु राजस्व विभाग को लेख किये जाने का कष्ट करे।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
समर्धा भोपाल
भोपाल, दिनांक 15/12/2021

क्रमांक 2729.

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. श्रीमान उप वनमण्डलाधिकारी महोदय सामान्य वनमण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. तहसीलदार, तहसील नजूल जवाहर चौक, टी.टी. नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
समर्धा भोपाल



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल भोपाल

वनमण्डल अधिकारी, वन, ४, भोपाल, मध्य प्रदेश, ४६१००२ (एन) २०१४०२१ (एन)

E-mail dfotbpl@mnp.gov.in

क्रमांक/मा०चि०/ ११
प्रति,

भोपाल, दिनांक ४ ०१ २०२१

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
टी टी नगर भोपाल


विषय.- ग्राम चंदनपुरा में वन शासकीय खसरा क्रमांक 73 रकबा 0.194 एवं खसरा क्रमांक 84 रकबा 0.251 पर जागरण वेलफेयर सोसायटी द्वारा किये गये अतिक्रमण हटवाने यावत ।

संदर्भ.- सी एम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत क्रमांक 12298840 दिनांक 29.9.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शिकायतकर्ता श्री नितिन वार्ड नं. २६ चंदनपुरा भोपाल द्वारा सी एम हेल्पलाइन में उपरोक्तानुसार शिकायत दर्ज कराई जाकर लेख किया है कि ग्राम चंदनपुरा में वन शासकीय भूमि पर जागरण वेलफेयर सोसायटी द्वारा वाउंड्रीवाल एवं गेट बनाकर अतिक्रमण किया गया है एवं ग्राम चंदनपुरा में वन शासकीय खसरा क्रमांक 73 रकबा 0.194 एवं खसरा क्रमांक 84 रकबा 0.251 पर जागरण वेलफेयर सोसायटी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाया नहीं गया है ।

इस संबंध में लेख है कि उक्त भूमि राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को लोक संरक्षित क्षेत्र योजना के तहत हाईटेक प्लॉटिंग हेतु वर्ष 2003 में दी गई थी जिसमें ग्राम मेंडोरा, मेंडोरी, चंदनपुरा, एवं छावनी के विभिन्न खसरों की कुल 357.813 हेक्टेयर भूमि थी । उक्त भूमि में चंदनपुरा के खसरा क्रमांक 73 की कुल रकबा 12.133 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 84 के रकबा 5.462 हे० भूमि सम्मिलित है । उक्त समस्त भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कर उसका रखरखाव करते हुए फेंसिंग से सुरक्षित किया गया है । जहां तक शिकायत में उल्लेखित भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न है इस संबंध में लेख है कि उक्त खसरा क्रमांक 73 के रकबा 12.133 हे० एवं खसरा क्रमांक 84 के रकबा 5.462 हेक्टेयर में उक्त अतिक्रमण भूमि सम्मिलित है अथवा नहीं । यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है । अतः उक्त खसरों का इस बाबत राजस्व विभाग एवं वन विभाग का संयुक्त दल के माध्यम से सर्वे सीमांकन कराया जाना है जिससे कि अतिक्रमण क्षेत्र की वास्तविकता ज्ञात हो सके ।

अतः उक्त शिकायत के संबंध में भूमि का संयुक्त रूप से सर्वे कराकर प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करें जिससे कि तदनुसार आगामी कार्यवाही की जा सके एवं सी एम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत का निराकरण कराया जा सके ।
संलग्न:- सी एम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत की प्रति



वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल भोपाल
भोपाल, दिनांक 4-01-2021

पृ०क्र०/मा०चि०/ १२
प्रतिलिपि:-

१. उप वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल भोपाल की ओर संदर्भित शिकायत के तारतम्य में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

२. परिक्षेत्र अधिकारी सम्पर्क की ओर शिकायत की प्रति भेजते हुए शिकायत में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में भूमि का संयुक्त सर्वे करावे एवं नियमानुसार कार्यवाही करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल भोपाल

संलग्नक (१)

संलग्नक (१) (२५)

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल भोपाल

74 बंगला, खेल परिसर लिंक रोड, फं.-1 भोपाल फोन नं. 2674359 (कार्या.) मो.नं. 9424790552

E-mail sdo@bhopal@mp.gov.in

(२५)

क्रमांक/शि0लि0-2/ 3385

भोपाल/दिनांक 26/12/23

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी

(राजस्व) टी.टी. नगर भोपाल

विषय :- वन विभाग की भूमि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 ग्राम चंदनपुरा में जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राजपत्र प्रकाशन दिनांक 30 जुलाई 2021 द्वारा ग्राम चंदनपुरा हेतु अधिसूचना क्र./एफ-25-61-दस-3 दिनांक 16.07.2021 रकबा 238.141, से राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को हाई-टेक वृक्षारोपण हेतु शासन ने संरक्षित वन घोषित किया जाकर हस्तांतरित किया है जिसमें ग्राम चंदनपुरा के अन्य खसरों के अलावा खसरा क्रमांक 73 एवं 84 की भूमि को शासन के द्वारा राजस्व विभाग से वन विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। चूंकि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 की भूमि हेतु पूर्व में जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल द्वारा भूमि विनिमय का आवेदन कलेक्टर कार्यालय भोपाल में प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के कारण राजस्व विभाग के द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर अतिक्रमण नहीं हटाया गया था जिस कारण वर्तमान में भी भूमि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 वन विभाग को स्थानांतरित होने के पश्चात जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर अतिक्रमण है। अतः भूमि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 में वन विभाग को मिलने के पूर्व से ही जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल अतिक्रमण था इसलिये उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही आपके स्तर से किया जाना है।

जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल के द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 में किये गये अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही हेतु परिक्षेत्राधिकारी रागर्धा द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/392 दिनांक 12.02.2018, 1817 दिनांक 17.06.2019 एवं 3157 दिनांक 16.09.2019 (पत्र की छायाप्रति संलग्न है) से तहसीलदार,

तहसील टी.टी. नगर भोपाल को पूर्व में लेख किया गया है। इसी प्रकार कार्यालय वनमंडल भोपाल के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./91 दिनांक 04.01.2021 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर भोपाल को ग्राम चंदनपुरा के वन शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर में किये गये अतिक्रमण पर कार्यवाही हेतु संयुक्त सर्वे कराने बावत् लेख किया गया है।

अतः लेख है कि जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल के द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर में किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

उप वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, भोपाल
भोपाल/दिनांक

पृ.क्रमांक/शि0लि0-2/

प्रतिलिपि :- श्रीमान वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, भोपाल

संलग्नक - 10
संलग्नक - 10
26
26

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल भोपाल

74 बंगला, खेल परिसर लिंक रोड, फं.-1 भोपाल फोन नं. 2674359 (कार्या.) मो.नं. 9424790552

E-mail sdoftbhopal@mp.gov.in

क्रमांक/शि0लि0-2/1303

भोपाल/दिनांक 12-04-2024

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी

(राजस्व) टी.टी. नगर भोपाल

विषय :- वन विभाग की भूमि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 ग्राम चंदनपुरा में जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालय वनमण्डल भोपाल का पत्र क्र./मा.वि./91 दिनांक 04.01.2021 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/शि.लि.-2/3385 दिनांक 26.12.2023


---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राजपत्र प्रकाशन दिनांक 30 जुलाई 2021 द्वारा ग्राम चंदनपुरा हेतु अधिसूचना क्र./एफ-25-61-दस-3 दिनांक 16.07.2021 रकबा 238.141, से राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को हाई-टेक वृक्षारोपण हेतु शासन ने संरक्षित वन घोषित किया जाकर हस्तांतरित किया है जिसमें ग्राम चंदनपुरा के अन्य खसरों के अलावा खसरा क्रमांक 73 एवं 84 की भूमि को शासन के द्वारा राजस्व विभाग से वन विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। चूंकि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 की भूमि हेतु पूर्व में जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल द्वारा भूमि विधिमय का आवेदन कलेक्टर कार्यालय भोपाल में प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के कारण राजस्व विभाग के द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर अतिक्रमण नहीं हटाया गया था जिस कारण वर्तमान में भी भूमि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 वन विभाग को स्थानांतरित होने के पश्चात जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर अतिक्रमण है। अतः भूमि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 में वन विभाग को मिलने के पूर्व से ही जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल अतिक्रमण था इसलिये उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही आपके रतार से किया जाना है।

जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल के द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 73 एवं 84 में किये गये अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही हेतु परिक्षेत्राधिकारी समर्था

द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/392 दिनांक 12.02.2018, 1817 दिनांक 17.06.2019 एवं 3157 दिनांक 16.09.2019 से तहसीलदार, तहसील टी.टी. नगर भोपाल को पूर्व में लेख किया गया है। इसी प्रकार कार्यालय वनमण्डल भोपाल के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./91 दिनांक 04.01.2021 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/शि.लि.-2/3385 दिनांक 26.12.2023 द्वारा आपको ग्राम चंदनपुरा के वन शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर में किये गये अतिक्रमण पर कार्यवाही हेतु संयुक्त सर्वे कराने एवं अतिक्रमण हटाने वास्तु पूर्व में लेख किया गया है, परंतु आज दिनांक तक उक्त प्रकरण के संबंध में आपके स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः पुनः लेख है कि जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल के द्वारा भूमि खसरा क्रमांक क्रमांक 73 में रकबा 0.194 हेक्टेयर एवं 84 में रकबा 0.251 हेक्टेयर में किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।


उप वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, भोपाल

O/C

LEADING EDUCATIONAL
GROUP OF CENTRAL INDIA
RANKED NO.5 AMONG
TOP 10 INSTITUTES OF INDIA

RANKED NO.1 IN
MP & BHOPAL

27 Years of Excellence
50,000+ Students Taught
900+ Teachers
11 Institutes


OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
• Neelbad, Bhopal
• Kolar Road, Bhopal
• Nipania, Indore
• Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
• Neelbad, Bhopal
• Rau, Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra
• Nipania, Indore
• Kolar Road, Bhopal



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY

To,

1. One Representative from the Principal Secretary Environment Department, State of MP, Bhopal (M.P.)
2. One Representative from the Principal Chief Conservator of Forest, Bhopal (M.P.)
3. One Representative from the Collector Bhopal
4. One Representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board, (M.P.) (Nodal Agency)

Sub: Factual Statement with respect to Original Application No. 44/2024, pending before Hon'ble NGT (CZ).

Respected Members of the Joint Committee,

The Jagran Social Welfare Society, Bhopal begs to submit as under:-

1. That the present Joint Committee has been constituted by the Hon'ble NGT by way of the order dated 05.03/2024 in OA 44 of 2024 (CZ). In the said OA the following reliefs have been sought:

- I. *The illegal encroachment on over Khasra No. 73, 84 and 92 to the extent of 1.236, 0.846, 1.828 hectares respectively situated in Village*

[Signature]

Service Above Self

Registered & Corporate Office:

83/Z, Chandanpura, Near Kaliyasot Barrage, Bhopal-462044 (M.P.), Ph: 0755-6611120

E-mail: admininfo@jsws.org.in, W: www.jsws.org.in

NATIONAL
CENTRAL INDIA

NO. 5 AMONG
INSTITUTES OF INDIA

RANKED NO. 1 IN
M.P. & BHOPAL

27 Years of Excellence
1,00,000+ Students Taught
900+ Teachers
11 Institutes

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School

- Neelbad, Bhopal
- Kolar Road, Bhopal
- Nipania, Indore
- Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



Igniting minds, changing lives.



JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
• Neelbad, Bhopal
• Rau, Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra

- Nipania, Indore
- Kolar Road, Bhopal



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY

Chandanpura, Tehsil Huzur, District Bhopal, Madhya Pradesh be removed and the same be transferred into the possession of Respondent No. 2 with immediate effect.

- II. *To constitute a joint committee to carry out a factual investigation of the cutting of trees carried out by Respondent No. 6 at Khasra No. 73, 84 and 92 to the extent of 1.236, 0.845, 1.828 hectares respectively situated in Village Chandanpura, Tehsil Huzur, District Bhopal, and appropriate Environmental Madhya Pradesh, Compensation be imposed*
- III. *That, any other or further orders as deemed fit in the facts and circumstances of the case may kindly also be asked in favour of environment and justice be done.*

2. That we have been arrayed as Respondent no. 6 in the aforesaid application. That while order dated 09.05/2024 the Hon'ble NGT pleased to grant an opportunity to make a representation before this joint committee. In furtherance of the said order, we are making the following submission before this Hon'ble joint committee with the intent to bring the actual facts and circumstances as regards the land in question as well as the land owned and occupied by us to bring to the knowledge of the members of this joint committee so that a realistic determination of the present status can be reached by this joint committee.

8/

Registered & Corporate Office:

83/2, Chandanpura, Near Kaliyasot Barrage, Bhopal-462044 (M.P.), Ph: 0755-6611120

E-mail: admininfo@jsws.org.in, W: www.jsws.org.in



NATIONAL
CENTRAL INDIA
RANKED NO.5 AMONG
INSTITUTES OF INDIA

RANKED NO.1 IN
MP & BHOPAL

27 Years of Excellence
50,000+ Students Taught
900+ Teachers
11 Institutes



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY

OUR INSTITUTIONS




Delhi Public School

- Neelbad, Bhopal
- Kolar Road, Bhopal
- Nipania, Indore
- Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra

- Neelbad, Bhopal
- Rau, Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra

- Nipania, Indore
- Kolar Road, Bhopal

3. That the Jagran Social Welfare Society, Bhopal is holding 25 acres of land comprising Khasra no. 83/2/2, 83/2/3, 83/2/4, 83/2/5 which was purchased by the society and its members. **The sale deeds by way of which the said land was procured, the relevant khasra entries and revenue maps of the said Khasra's are being annexed here as Annexure A/1.**
4. That none of the said khasra no's. which are held by Respondent no. 6 are part of the Khasra no. of the forest block Chandanpura which have been declared as protected forest under section 29 of the Indian forest act 1947
5. That the aforesaid land was part of a 30 acer land parcel bearing khasra no. 83/2 out of which 25 acers was purchased and 5 acers of the said khasra no. 83/2 remain in the ownership and possession of the seller Shri Ratan Lalchandani.
6. That after having purchased the above land, since the land was having no direct revenue road access and the only available approach was through an existing forest road which was in a depleted state, we applied for renovation of the same and on our request renovation of the said road on our cost was permitted to be used by us. **A copy of the**

8

Registered & Corporate Office:

83/2, Chandanpura, Near Kaliyasot Barrage, Bhopal-462044 (M.P.), Ph: 0755-6611120

E-mail: admininfo@jsws.org.in, W: www.jsws.org.in

Service Above
Self

NATIONAL
CENTRAL INDIA

NO.5 AMONG
INSTITUTES OF INDIA

RANKED NO.1 IN
MP & BHOPAL

27 Years of Excellence
50,000+ Students Taught
900+ Teachers
11 Institutes

OUR INSTITUTIONS




Delhi Public School
• Neelbad, Bhopal
• Kolar Road, Bhopal
• Nipania, Indore
• Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



inspiring minds, changing lives



JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
• Neelbad, Bhopal
• Rau, Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra
• Nipania, Indore
• Kolar Road, Bhopal



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY

permission for renovation of the existing forest road is being annexed as annexure A/2.

7. That thereafter, having purchased the said 25 acers of land the Respondent no. 6 society obtained the permission dated 09/04/2009 from the Town And Country Planning, Bhopal and the building permission dated 24/04/2009 from the BMC, for the development of an integrated residential management school on the said land and the initiated development on the said land has been undertaken in accordance with the said permission. A copy of the initial TNCP dated 09/04/2009 and the building permission dated 24/04/2009 are being annexed here as ANNEXURE A/3. Subsequently thereafter further T&CP approvals has been obtained on 25/07/2022 a copy of the same are being annexed as ANNEXURE A/4.
8. That during the demarcation exercise which was undertaken by the revenue authorities in presence of forest authority in furtherance of a complaint before the Lokayukt as regards the encroachment on forest lands it was revealed that out of the 25 acers a portion of 1.10 acres on demarcation has been found to be forest land and a part of khasra no. 73 and 84, and a portion and equivalent area of 1.10 acres of khasra no. 82/2/3 which is in the

&

Registered & Corporate Office:

83/2, Chandanpura, Near Kaliyasot Barrage, Bhopal-462044 (M.P.), Ph: 0755-6611120

E-mail: admininfo@jsws.org.in, W: www.jsws.org.in

Service above
Self

ATIONAL
NTRAL INDIA

NO.5 AMONG
STITUTES OF INDIA

ANKED NO.1 IN
MP & BHOPAL

27 Years of Excellence
50,000+ Students Taught
900+ Teachers
11 Institutes

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
• Neelbad, Bhopal
• Kolar Road, Bhopal
• Nipania, Indore
• Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
• Neelbad, Bhopal
• Rau, Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra
• Nipania, Indore
• Kolar Road, Bhopal



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY

ownership of the society has been found in the possession of the forest dept.

9. That, the equivalent portion of land having been exchanged between the respondent society and forest department is not a result of any deliberate encroachment but has taken place owing to wrongful demarcation exercise at the time when the possession of the land was handed over to the Respondent no. 6 by the land owners.
10. That it can be seen from the revenue map that the geometry of the original khasra no. 83/2 admeasuring 30 acres was not a quadrilateral rather the said khasra no. comprises of 5 sides of which the south east side connects the eastern and the southern boundary. Out of the original khasra number 83/2 an area of 25 acres was sold and an area of 5 acres was retained by the landowner. The said retained portion was given the Khasra number 83/2/1, and it can be seen that the Khasra no. 83/2/1 is also having 5 sides.
11. It can be further be seen that the govt land in possession of the respondent society and the Respondent society's land in the possession of the govt. are both triangular in shape wherein the eastern boundary of the land in possession of the govt and the western boundary of the land in possession of the society is co-terminus with the

&

Service Above
Self

NATIONAL
CENTRAL INDIA

NO. 5 AMONG
INSTITUTES OF INDIA

RANKED NO. 1 IN
MP & BHOPAL

27 Years of Excellence
50,000+ Students Taught
900+ Teachers
11 Institutes

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
• Neelbad, Bhopal
• Kolar Road, Bhopal
• Nipania, Indore
• Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



Igniting minds, changing lives



JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
• Neelbad, Bhopal
• Rau, Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra

• Nipania, Indore
• Kolar Road, Bhopal



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY

eastern boundary of Khasra no. 83/2 and the eastern boundary of the land in possession of the society and the western boundary of the land in possession of the government is in a straight line, it is further revealed that this line is terminating on the north eastern corner of the khasra number 83/2/1 retained by the land owner.

12. It is clear from the above that the existence of the government land within the premises of the society and the existence of the society's land in the possession of the government is a result of an error in the demarcation exercise at the time the possession was handed over to the society. It is here also pertinent to mention that when the land was purchased the demarcation was done by way of chain-link demarcation process and the demarcation in the recent years is done by way of Total Station Method (TSM) and other advanced technologies, which may have been the reason for the said anomaly and is not any deliberate action.

13. That it is here pertinent to mention that the area in the ownership of the government which is in the possession of the government has a substantial number of trees and the area in the possession of the society which is in the ownership of the government is having no construction but for an entrance security gate of the University . Due to tiger movement in the area, the campus of the

Registered & Corporate Office:

83/2, Chandanpura, Near Kaliyasot Barrage, Bhopal-462044 (M.P.), Ph: 0755-6611120

E-mail: admininfo@jsws.org.in, W: www.jsws.org.in

Service above
Self

NATIONAL
CENTRAL INDIA

NO. 5 AMONG
INSTITUTES OF INDIA

RANKED NO. 1 IN
M.P. & BHOPAL

27 Years of Excellence
50,000+ Students Taught
900+ Teachers
11 Institutes

OUR INSTITUTIONS




Delhi Public School
• Neelbad, Bhopal
• Kolar Road, Bhopal
• Nipania, Indore
• Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



Igniting minds, changing lives



JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
• Neelbad, Bhopal
• Rau, Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra

• Nipania, Indore
• Kolar Road, Bhopal



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY

university is fenced and the said gate is the only entry/exist gate for the entire campus.

14. That it is here pertinent to further mention that the area in possession of the society which is in the ownership of the government was revenue land till the year 2021 when the said land was transferred to the forest department for the construction of the Nagar Van. The land of the Society which is in the possession of the government has been included in the fencing of the Nagar Van in the area. It is pertinent to mention that no compensation for the said land has been granted to the Society by the Government and no acquisition of the land has also taken place.

15. That on being made aware of the fact that land of the society is in possession of the government and the land of the government is in the possession of the society. The society applied for said lands to be exchanged, however the said process could not be completed owing to some changes in the policy of Govt. of M.P., however the said matter was approved to an advanced stage and inspections were done, the demarcation map and the panchnama and the proposal for the exchange of the said land including the valuation and the public notice of the same issued by the government is being annexed as ANNEXURE A/5.

Registered & Corporate Office:

83/2, Chandanpura, Near Kaliyasot Barrage, Bhopal-462044 (M.P.), Ph: 0755-6611120

E-mail: admininfo@jsws.org.in, W: www.jsws.org.in

Service Above
Self

EDUCATIONAL
CENTRAL INDIA

NO.5 AMONG
INSTITUTES OF INDIA

RANKED NO.1 IN
MP & BHOPAL

27 Years of Excellence
50,000+ Students Taught
900+ Teachers
11 Institutes

OUR INSTITUTIONS




Delhi Public School
• Neelbad, Bhopal
• Kolar Road, Bhopal
• Nipania, Indore
• Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



inspiring minds, changing lives



JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
• Neelbad, Bhopal
• Rau, Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra
• Nipania, Indore
• Kolar Road, Bhopal



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY

16. That from the above mentioned documents for the exchange of the said land the entire ground reality can be ascertained by the committee.

17. That the Respondent most respectfully submits that they are a law abiding society, involved in providing the service of educating the generations and have not indulged in any illegal activities. It is also submitted that if any encroachment is alleged on the Society the same is not correct as the area in possession of the society and the area in ownership of the society is the same which has been duly verified on number of occasions. The only question is with respect of the demarcation of the boundaries, and the construction having been raised on the land which on demarcation is not a part of the land in the ownership of the society with similar area in the ownership of the society being in the possession of the government on which Nagar Van has been developed.

18. That the best solution in the interest of the environment and forest is to enable the exchange of the land in the possession of the society with the land in the possession of the government, as the land of the society has already been developed as a Nagar Van and the said area is adjoining the khasra no 92 on which Nagar Van has been established.

2

Registered & Corporate Office:

83/2, Chandanpura, Near Kaliyasot Barrage, Bhopal-462044 (M.P.), Ph: 0755-6611120
E-mail: admininfo@jsws.org.in, W: www.jsws.org.in

Service above
Self

EDUCATIONAL
CENTRAL INDIA

NO.5 AMONG
INSTITUTES OF INDIA

RANKED NO.1 IN
MP & BHOPAL

27 Years of Excellence
50,000+ Students Taught
900+ Teachers
11 Institutes

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
• Neelbad, Bhopal
• Kolar Road, Bhopal
• Nipanfa, Indore
• Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
• Neelbad, Bhopal
• Rau, Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra
• Nipanfa, Indore
• Kolar Road, Bhopal



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY

19. That having clarified the ground reality is pertinent to bring to the knowledge of the members of the committee that the allegation has regards the first relief being the encroachment on Khasra no 73 admeasuring 1.236, Khasra no 84 admeasuring 0.846, Khasra no 92 admeasuring 1.828 is completely false and the said issue has already been settled before the Lokayukta in presence of the then collector Bhopal , wherein the Society has already stated that the said land is not belonging to the society and the fact is that the wall which was made in the government land was outside the boundary wall of the society and the said wall has been demolished and the said area is already within the fencing of the Nagar Van and in the possession of the government.

20. That as regards the second relief of cutting of trees, it is pertinent to mention that no trees have been felled by the society in the forest areas, and as a matter of fact the society has been vigilant in stopping the illegal felling of trees in the surrounding areas, and have made various complaints to the authorities a copy of which are being annexed as ANNEXURE A/6. It is here pertinent to mention that the landowner from whom the society has purchased the land is involved in various such act of illegal felling and fulfil his vested interest.

EDUCATIONAL
CENTRAL INDIA

NO.5 AMONG
INSTITUTES OF INDIA

RANKED NO.1 IN
MP & BHOPAL

27 Years of Excellence
50,000+ Students Taught
900+ Teachers
11 Institutes

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
• Neelbad, Bhopal
• Kolar Road, Bhopal
• Nipanla, Indore
• Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
• Neelbad, Bhopal
• Rau, Indore


Somvati Devi Shiksha Kendra
• Nipanla, Indore
• Kolar Road, Bhopal



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY

21. It is also pertinent to mention that the present complainant has not revealed the real fact in his Original Application, and has approached the Hon'ble National Green Tribunal with misleading and false averments, which indicated that the said petition is a sponsored litigation.


Bhopal
Dated ..21/6/24


21/6/24
Sanjeev Saxena
President (Project/Legal/PR)

1840 ①

6


भारतीय गैर न्यायिक



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548140

SALE DEED



SALE CONSIDERATION: Rs.15,50,000-00
(RUPEES FIFTEEN LAKHS FIFTY THOUSAND ONLY)

Government Stamps	:	Rs.1,24,000:00
Stamps of Municipal Corpn.	:	Rs. 15,500:00
Stamps of Janpad Panchayat	:	Rs. 15,500:00
Surcharge	:	Rs. 6,200:00

Total Stamps: Rs.1,61,200:00

NAME OF THE VENDOR

Ratan Lalchandani, aged about 32 years, S/o. Shri Chandrabhan Lalchandani, 25/2, Happy Tower, Idgah Hills, Bhopal. PAN No.ABBPL7599R

NAME OF THE VENDEE

Jagran Social Welfare Society, a registered Society under the provisions of M.P. Societies Registration Act, 1973 having its registered Office at 33, Jagran Bhawan, Press Complex, Zone-I, M.P.Nagar, Bhopal through its Authorized representative Shri Hari Mohan Gupta, aged about 51 years, S/o. Late Shri Gurudev Gupta.PAN: AAAAJ0542P

8304 दे 8911
50482 400

20/3/08


Ratan Lalchandani, S/o. Shri Chandrabhan Lalchandani, 25/2, Happy Tower, Idol
Bhopal.

SALE DEED

Jagran Social Welfare Society, a registered Society under the provisions of M.P. Societies Registration Act, 1973 having its registered Office at 33, Jagran Bhawan, Press Complex, Zone-I, M.P.Nagar, Bhopal through its Authorized representative Shri Hari Mohan Gupta S/o. Late Shri Gurudev Gupta.

जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी
एमपी नगर भोपाल द्वारा अधिकृत
प्रति निधि

जिला भोपाल के उप मंजीयक के
कार्यालय में तारीख 27/03/08
को म.प्र. स्व.प्र. द्वारा मंजूर
प्रस्तुत किया गया है।



उप मंजीयक
को

Vardha Koyal
Stamp Vendor
K. K. Nagar Bhopal
L. No. 215/94 95



Dr. Jagran Social Welfare Society
Auth. Signatory



उप मंजीयक
(म.प्र.)

M.V. 2427000-

मुद्रांक शुल्क ..194.160.
नगर निगम शुल्क ..24270..
बंधावत शुल्क ..24270..
उप कर9708..
अतिरिक्त शुल्क.....
अधिक शुल्क

252408

उप मंजीयक
भोपाल



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548141

DETAILS OF THE PROPERTY UNDER SALE

Unirrigated, undulated, rocky and hilly agricultural land of Revenue Survey No.83/2 comprising of an area of 2.00 Acres = 0.809 hectares, situated at Village Chandanpura, Patwari Halka No. 40, Tehsil Huzur, District Bhopal. The area being sold through this deed is bounded as under and more particularly shown in the annexed map, which shall be part of this deed and it is more than 2.5 km away from the road: -

- In East by : Land of other revenue survey number 73,74 and 84
In West by : Land of the Vendee
In North by : Balance land of Revenue Survey No.83/2 which is sold in favour of Smt. Deepa Gupta
In South by : Balance land of Revenue Survey No.83/2

Bhoo Adhikar and Rin Pustika No.1320

OTHER DETAILS

1. That initially the land of Revenue Survey No: 83 total area 84.00 acres situated at Village Chandanpura, Patwari Halka No.40, Tehsil Huzur, Dist. Bhopal was owned and possessed by one Shri Mohammad Asim S/o. Shri Mohammad Hasim Saheb and his name was also recorded as bhoomiswamy in the revenue record even prior to the commencement of M.P.Land Revenue Code, 1959 and his name was also reflected in the revenue records as its owner /bhoomiswamy.

8905+04 / 20/3/08
504 50



रतन लाल चंदाणी SI 0511 चंद्रगान बाल चंदाणी
H/O-25/2 हेषी टावर, इकगाह, हिल्स
ओपाल

स्वीकार करते हैं कि तथा कथित
विषय विलेख का निषादन
विषय गत है, तथा प्रतिफल के
पूर्व ~~1550000~~ K. K. Nagar Bhopal
L. No. 215/94-95

~~प्रदात हो गये है तथा
मेरी उपस्थिति में प्रकाश गये थे।
और प्रतिफल की प्रकृत का
बच गये है जो कि
के बाद प्रकाश गये।~~

- 1) निम्न अम्बा तेलका SI 050001 एन सी अम्बा तेलका
H/O- HX-4 शास्त्री-गल, जवाहर चैंक ओपाल
- 2) चंद्रगान बाल चंदाणी SI 050001 जेठानंद लाल चंदाणी
H/O-25/2 हेषी टावर, इकगाह, हिल्स ओपाल

की जीय पूर्णका निषादक/निषादकी
की निम्नका के विषय में की गई
₹ 1 दिनांक.....22.03.08


रतन लाल चंदाणी
ओपाल

(8)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548142


2. That from this 84.00 acres of land an area of 54.00 acres has been vested with the State of Madhya Pradesh under the provisions of M.P. Agricultural Ceiling and Holding Act, 1961 and its Amended Act of 1972 and the balance land of 30.00 acres remained in the possession of the said Shri Mohammad Asim. The related khasra entry has been made in the revenue record and accordingly the said Revenue Survey No. 83 was further sub-divided into Revenue Survey No.83/1 area 54 acres and 83/2 area 30.00 acres. The said sub-divided Survey No.83/1 area 54.00 acres is recorded in the name of the State Government and Survey No.83/2 area 30.00 acres is recorded in the name of Shri Mohammad Asim.

3. That later on said Shri Mohammad Asim S/o. Shri Mohammad Hasim in order to deal with the entire land empowered Shri Chandrabhan Lalchandani S/o. Late Shri Jethanand Lalchandani and the deed of General Power of Attorney was executed and registered with the Office of Sub-Registrar, Bhopal on 18/2/1997 bearing Registration No.3387 and Vol. No.A-4/740 and thereby empowered him to do all acts, deeds and things enumerated therein.

4. That later on said Shri Mohammad Asim through General Power of Attorney Holder Shri Chandrabhan Lalchandani sold the entire area of 30.00 acres in favour Shri Ratan Lalchandani S/o. Shri Chandrabhan Lalchandani i.e. the Vendor of this Deed and the Sale Deeds of which are executed and registered with the office of Sub-Registrar, Bhopal on 20/5/1999 for an area of 10.00 acres and 20/3/2001 for an area of 20.00 acres and thereby the Vendor derived title over the entire 30.00 acres of land of Revenue Survey No.83/2 and thereby the Vendor got his name mutated in the Revenue records and the correction was made in the same Bhoo Adhikar and Rin Pustika also.

8906+05
507 50

20/3/08



[Handwritten signature]

Varsha Jayal
Stamp Vendor
K. K. Nagar Bhopal
L. No: 215/94 95

भारत सरकार के निष्पादन
रतन... का
मिशन का आज दिनांक... 27/03/08
को प्रेषित किया

[Handwritten signature]
वर्षा जयल
क.क. नगर

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

9



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548143

5. That on getting title by the Vendor, he has neither sold nor mortgaged or gifted or exchanged or otherwise transferred in any way whatsoever in favour of any other person whosoever and he has also not agreed to sell the said total land or any portion therefrom in favour of any other third person prior to the date of this deed.
6. The Vendor further say that the said land or any portion therefrom has also not been reserved for any specific purposes by the Government or Semi-Government or Corporate bodies etc. and no notice for acquisition thereof has so far been issue or received by the Vendor under any act and even otherwise it is not reserved for any acquisition purposes.
7. That the said total land is also not involved in any litigation and no suit or any kind of proceeding is either initiated or pending in any of the Courts.
8. That accordingly the Vendor specifically says that he has got clear marketable and free from all encumbrances title over the aforesaid 30.00 acres and out of which an area of 12.00 acres has already been sold by the Vendor in favour of the Vendee of this deed and the Sale Deed of which is executed and registered on 7/1/2008 of land and over the balance land of 18.00 acres the Vendor has got all the legal rights to deal with the same, as he likes being his self-acquired property.
9. That from the said balance 18.00 acres of land the Vendor has sold an area of 2.00 acres from the land of Revenue Survey No.83/2 situated at Village Chandanpura, Patwari halka No.40, Tehsil Huzur, District Bhopal in favour of the Vendee of this Deed for total sale consideration of Rs.15,50,000/- (rupees fifteen lakhs fifty thousand only) and this sum has been received by him from the Vendee in the following manner, which the Vendor hereby acknowledges of having received the same:-

10



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548144

AMOUNT	CHEQUE NO.	DATED	NAME OF THE BANK
Rs.15,00,000/-	428075	1/3/2008	IDBI, New Market Branch Bhopal
RS. 50,000/-	428079	27/3/2008	
Rs.15,50,000/-	Total		

10 That having received the total sale consideration, the Vendor sold said 2.00 acres of land from revenue survey number 83/2 in favour of the Vendee of this deed, the Vendor has sold all his rights, title and interest over his 2.00 acres of land and has put the Vendee in vacant possession thereon on the date of this Deed itself.

11 That now the Vendee shall be the absolute owner in respect of the said land and shall be free to enjoy the same as it likes and wherein the Vendor or his legal heirs or successors shall have no right or claim or any kind of ownership or title thereon.

12 The Vendor, sold the aforesaid land free from all encumbrances and in case the said land or any part there-from goes away from the ownership and title of the Vendee, due to any defect in the title of the Vendor he shall be liable for making repayments of the total said Sale Consideration including registration charges and/or proportionate amount as the case may be together with the damages equivalent to the then prevailing market value thereof to the Vendee and the Vendee shall also have the right to recover and realize the same from the Vendor and/or his legal heirs and successors, and wherein, if any, objection is raised by the Vendor, or any of his legal heirs or successors, or assignees, the same shall be treated as null, void and inoperative.

11



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548145

13. That the Vendor further says that he has paid all taxes, cesses, assessments, land revenue and all other kind of dues of whatever name they are called, to the departments concerned and no dues of any kind whatsoever is payable by him, till the date of this deed in respect of the said land. However, if any dues are subsequently found payable, but prior to the date of this deed, the Vendor shall be held responsible and liable for making payments thereof to the departments concerned and in case such payments are required to be made by the Vendee, the Vendee shall have the right to receive the same from the Vendor and/or his legal heirs or successors.

14. That the Vendor specifically says that land sold through this Deed is also not effected with the provisions of Bhoodan Yagya Adhinyam and also not hit by any of the provisions of any other law of land including of M.P. Agricultural Ceiling and Holding Act, 1961 and its Amended Act of 1972.

15. That the Vendor has executed this Sale Deed on the herein below mentioned covenants that the Vendee shall construct the approach road and shall also provide related other infrastructure like electricity line, water supply line and sewage system within one year at his own expenses up to the remaining land of the Vendor. It is further agreed that the Vendor shall have right to take the Power Connection on his expenses from the sub-station established by the Vendee and the Vendor shall also use all such infrastructures without paying any amount.

16. That the said total land was also not involved under the provisions of Urban Land Ceiling and Regulations Act, 1976.

12




मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548146


IN WITNESS WHEREOF THIS SALE DEED is executed and signed on this 27TH day of March, 2008 here at Bhopal in presence of the following witnesses:-


Witnesses


1. Nitin Ambaselkar,
S/o. Late Shri N.D.Ambaselkar
R/o. HX-4, Shastri Nagar,
Lawahar chowk, Bhopal
2. Chandrabhan Lalchandani,
S/o. Late Shri Jethanand Lalchandani,
R/o. 25/2, Happy Tower, Idgah Hills, Bhopal

VENDOR


Note: There is no cutting in this document.

VENDOR


Drafted by me;

(C.M. RAWTIYA)
Advocate



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

261344



SALE DEED

SALE CONSIDERATION: Rs. 93, 00, 000-00

(RUPEES NINETY-THREE LAKHS 'ONLY)

Government Stamps	:	Rs. 7,44,000:00
Stamps of Municipal Corpn.	:	Rs. 93,000:00
Stamps of Janpad Panchayat	:	Rs. 93,000:00
Surcharge	:	Rs. 37,200:00

Total Stamps: Rs. 9,67,200:00

NAME OF THE VENDOR

Ratan Lalchandani, aged about 32 years, S/o. Shri Chandrabhan Lalchandani, 25/2, Happy Tower, Idgah Hills, Bhopal

PAN

NAME OF THE VENDEE

Jagran Social Welfare Society, a registered Society under the provisions of M.P. Societies Registration Act, 1973 having its registered Office at 33, Jagran Bhawan, Press Complex, Zone-I, M.P. Nagar, Bhopal through its Authorized representative Shri Hari Mohan Gupta, aged about 51 years, S/o. Late Shri Gurudev Gupta.

PAN: AAAAJ0542P

63072 8314

4/1/08

10000 x 8 = 80000

श्री रतन लालचंदाजी शिंदे चंदा लालचंदाजी

श्रीर देवी टॉवर रीवाइलर सोसायटी

देवघर

जागरण लोकल वेलफेयर सोसायटी एनपी मुम्बई सोसायटी

वायव्य अडिबन प्रॉपर्टी 9 हरमोहन गुलाबी लॉन्ग मुम्बई

मुम्बई

जागरण सोसायटी वेलफेयर सोसायटी कापलिंग

33 जगदान भवन प्रेस कॉम्प्लेक्स फ्लोर 1

एनपी नगर सोसायटी द्वारा अधिस्त

प्रतिनिधि श्री हरमोहन अण्णा शिंदे लॉन्ग मुम्बई मुम्बई

जिला भापाल के उप पंजीयक के

कार्यालय में तारीख 9 JAN 2008

को मद्र लम्बे..... बजे

प्रस्तुत किया गया 4/1/08

उप पंजीयक
भापाल




सोसायटी

श्री रतन लालचंदाजी शिंदे

M.V. 14574000-

मुद्रांक शुल्क	1165920-
नगर निगम शुल्क	145740-
विकास शुल्क	145740-
उब कर	58296-
अतिरिक्त शुल्क	104-
अधिक शुल्क	1515800-

उप पंजीयक
भापाल



261345

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

DETAILS OF THE PROPERTY UNDER SALE

Unirrigated, undulated, rocky and hilly agricultural land of Revenue Survey No.83/2 comprising of an area of 12.00 Acres = 4.858 hectares, situated at Village Chandanpura, Patwari Halka No. 40, Tehsil Huzur, District Bhopal. The area being sold through this deed is bounded as under and more particularly shown in the annexed map, which shall be part of this deed and it is more than 2.5 km away from the road: -


In East by : Balance land of Revenue Survey No.83/2
In West by : Land of Revenue Survey No.83/1
In North by : Balance land of Revenue Survey No.83/2
In South by : Land of Revenue Survey No.95

Bhoo Adhikar and Rin Pustika No.1320

OTHER DETAILS

1. That initially the land of Revenue Survey No. 83 total area 84.00 acres situated at Village Chandanpura, Patwari Halka No.40, Tehsil Huzur, Dist. Bhopal was owned and possessed by one Shri Mohammad Asim S/o. Shri Mohammad Hasim Saheb and his name was also recorded as bhoomiswamy in the revenue record even

G.308467
 /unt/low
 41/108



Varsha Nayal
 Sub Postmaster
 K. K. Nagar, Bhopal
 L.No. 215/94-95


रतन लाल चैदानी 510001 चंद्रभान लाल चैदानी
 No-25/2 हेलपी टावर, इकाए हिल्स भोपाल

स्वीकार करते हैं कि तब तक कबित्त
 वि. 05/09... विलेट का निष्पादन
 किया गया है, तथा प्रतिफल दो
 पुरे/आंशिक रु. 93,00,000/-
 प्राप्त हो गये है तथा.....
 भेरी उपस्थिति में चुकाए गये थे।
 और प्रतिफल की बसतया रुकन तथा
 जब गई है जो पंजीयन
 के बाद प्राप्त होगी।

- ① नितिन अम्बासेलकर 510 स्व० 01 एन०डी अम्बासेलकर
 No-MX-पथास्त्री नगर जवाहर चौक भोपाल
- ② नितिन लाल चैदानी 510 स्व० 01 ले० नं०
 लाल चैदानी No-25/2 हेलपी टावर इकाए
 हिल्स भोपाल

की जांच पूर्णतः निष्पादित/निष्पादकी,
 की शिनास्ता के विषय में की गई
 है। दिनांक 9 JAN 2008

उप. प्रमुख
 भोपाल



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

261346

prior to the commencement of M.P.Land Revenue Code, 1959 and his name was also reflected in the revenue records as its owner /bhoomiswamy.


2. That from this 84.00 acres of land an area of 54.00 acres has been vested with the State of Madhya Pradesh under the provisions of M.P.Agricultural Ceiling and Holding Act, 1961 and its Amended Act of 1972 and the balance land of 30.00 acres remained in the possession of the said Shri Mohammad Asim. The related khasra entry has been made in the revenue record and accordingly the said Revenue Survey No. 83 was further sub-divided into Revenue Survey No.83/1 area 54 acres and 83/2 area 30.00 acres. The said sub-divided Survey No.83/1 area 54.00 acres is recorded in the name of the State Government and Survey No.83/2 area 30.00 acres is recorded in the name of Shri Mohammad Asim.

3. That later on said Shri Mohammad Asim S/o. Shri Mohammad Hasim in order to deal with the entire land empowered Shri Chandrabhan Lalchandani S/o. Late Shri Jethanand Lalchandani and the deed of General Power of Attorney was executed and registered with the Office of Sub-Registrar, Bhopal on 18/2/1997 bearing Registration No.3387 and Vol. No.A-4/740 and thereby empowered him to do all acts, deeds and things enumerated therein.

6305408
Kantlaw
41/08



Varsha Jayal
Stamp Vendor
K. K. Nagar, Bhopal
L.No. 215/94-95



इस वस्तुपत्र के निष्पादन
रत 09 JAN 2000
निकाल का कार्य किया गया
की दिनांक

प्रति मंजूर
गोपाल

Netra Kalchandani




मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

261347

4. That later on said Shri Mohammad Asim through General Power of Attorney Holder Shri Chandrabhan Lalchandani sold the entire area of 30.00 acres in favour Shri Ratan Lalchandani S/o. Shri Chandrabhan Lalchandani i.e. the Vendor of this Deed and the Sale Deeds of which are executed and registered with the office of Sub-Registrar, Bhopal on 20/5/1999 for an area of 10.00 acres and 30/3/2001 for an area of 20.00 acres and thereby the Vendor derived title over the entire 30.00 acres of land of Revenue Survey No.83/2 and thereby the Vendor got his name mutated in the Revenue records and the correction was made in the same Bhoo Adhikar and Rin Pustika also.

5. That on getting title by the Vendor, he has neither sold nor mortgaged or gifted or exchanged or otherwise transferred in any way whatsoever in favour of any other person whosoever and he has also not agreed to sell the said total land or any portion therefrom in favour of any other third person prior to the date of this deed.

6. The Vendor further say that the said land or any portion therefrom has also not been reserved for any specific purposes by the Government or Semi-Government or Corporate bodies etc. and no notice for acquisition thereof has so far been issue or received by the Vendor under any act and even otherwise it is not reserved for any acquisition purposes.



261348

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH


7. That the said total land is also not involved in any litigation and no suit or any kind of proceeding is either initiated or pending in any of the Courts.

8. That accordingly the Vendor specifically says that he has got clear marketable and free from all encumbrances title over the aforesaid 30.00 acres of land and he has got all the legal rights to deal with the same as he likes being his self acquired property.

9. That from the said 30.00 acres of land the Vendor has sold an area of 12.00 acres from the land of Revenue Survey No.83/2 situated at Village Chandanpura, Patwari halka No.40, Tehsil Huzur, District Bhopal in favour of the Vendee of this Deed for total sale consideration of Rs.93,00,000/- (rupees ninety three lakhs only) and this sum has been received by him from the Vendee in the following manner, which the Vendor hereby acknowledges of having received the same:-

CHEQUE NO.	DATED	AMOUNT	NAME OF THE BANK
943141	18/12/2007	Rs.24,00,000/-	IDBI, New Market Branch
943143	07/01/2008	Rs.69,00,000/-	--do--
	Total	Rs.93,00,000/-	

10. That having received the total sale consideration, the Vendor sold said 12.00 acres of land from revenue survey number



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

261349

83/2 in favour of the Vendee of this deed, the Vendor has sold all his rights, title and interest over his 12.00 acres of land and has put the Vendee in vacant possession thereon on the date of this Deed itself.

11. That now the Vendee shall be the absolute owner in respect of the said land and shall be free to enjoy the same as it likes and wherein the Vendor or his legal heirs or successors shall have no right or claim or any kind of ownership or title thereon.

12. The Vendor, sold the aforesaid land free from all encumbrances and in case the said land or any part therefrom goes away from the ownership and title of the Vendee, due to any defect in the title of the Vendor he shall be liable for making repayments of the total said Sale Consideration including registration charges and/or proportionate amount as the case may be together with the damages equivalent to the then prevailing market value thereof to the Vendee and the Vendee shall also have the right to recover and realize the same from the Vendor and/or his legal heirs and successors, and wherein, if any, objection is raised by the Vendor, or any of his legal heirs or successors, or assignees, the same shall be treated as null, void and inoperative.

13. That the Vendor further says that he has paid all taxes, cesses, assessments, land revenue and all other kind of dues of



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

261350

whatever name they are called, to the departments concerned and no dues of any kind whatsoever is payable by him, till the date of this deed in respect of the said land. However, if any dues are subsequently found payable, but prior to the date of this deed, the Vendor shall be held responsible and liable for making payments thereof to the departments concerned and in case such payments are required to be made by the Vendee, the Vendee shall have the right to receive the same from the Vendor and/or his legal heirs or successors.

14. That the Vendor specifically says that land sold through this Deed is also not effected with the provisions of Bhoodan Yagya Adhinyam and also not hit by any of the provisions of any other law of land including of M.P. Agricultural Ceiling and Holding Act, 1961 and its Amended Act of 1972.

15. That the Vendor has executed this Sale Deed on the herein below mentioned covenants that the Vendee shall construct the approach road and shall also provide related other infrastructure like electricity line, water supply line and sewage system within one year at his own expenses up to the remaining land of the Vendor. It is further agreed that the Vendor shall have right to take the Power Connection on his expenses from the sub-station established by the Vendee and the Vendor shall also use all such infrastructures without paying any amount.



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

261351

16. That the Vendor declared and assured to the Vendee that as on today land being sold through this deed is not earmarked for the purpose of reserved forest.

17. That the said total land was also not involved under the provisions of Urban Land Ceiling and Regulations Act, 1976.

IN WITNESS WHEREOF THIS SALE DEED is executed and signed on this 7th day of January, 2008 here at Bhopal in presence of the following witnesses:-

VENDOR

Witnesses

1. Nitin Ambaselkar,
S/o. Late Shri N.D. Ambaselkar
R/o. HX-4, Shastri Nagar,
Jawahar chowk, Bhopal

2. NITIN LALCHANDANI
Chandrabhan Lalchandani,
S/o. Late Shri Jethanand Lalchandani,
R/o. 25/2, Happy Tower, Idgah Hills, Bhopal

Note: There is no cutting in this document.

VENDOR

Drafted by me:
(C.M. RAWTIYA)
Advocate


18350

6

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548130

SALE DEED

SALE CONSIDERATION: Rs.38,75,000-00
(RUPEES THIRTY EIGHT LAKHS SEVENTY FIVE THOUSAND ONLY)

Government Stamps	:	Rs.3,10,000:00
Stamps of Municipal Corpn.	:	Rs. 38,750:00
Stamps of Janpad Panchayat	:	Rs. 38,750:00
Surcharge	:	Rs. 15,500:00

Total Stamps: Rs.4,03,000:00

NAME OF THE VENDOR

Ratan Lalchandani, aged about 32 years, S/o. Shri Chandrabhan Lalchandani, 25/2, Happy Tower, Idgah Hills, Bhopal. PAN No.ABBPL7599R

NAME OF THE VENDEE

Shri Hari Mohan Gupta, aged about 51 years, S/o. Late Shri Gurudev Gupta, R/o. B-22, 74 Bungalows, South T.T.Nagar, Bhopal PAN: ABCPG1137B

8312 वे 8319
50482 400

20/3/08

Ratan Lalchandani, S/o. Shri Chandrabhan Lalchandani, 25/2, Happy Tower, Idgar
Bhopal.

SALE DEED

Shri Hari Mohan Gupta, S/o. Late Shri Gurudev Gupta, R/o. B-22, 74 Bungalows, South
T.T.Nagar, Bhopal

श्री हरीमोहन गुप्ता
S/o स्व. श्री गुरुदेव

जिला भोपाल के उप मंजीतर के
कार्यालय में तारीख... 22/03/08
को म.प्र. अधिनियम... द्वारा
प्रस्तुत किया गया। 300



Varsha Jayal
Stamp Vendor
K. K. Nagar Bhopal
L. No. 215/94 95

M.V. - 6072000



[Handwritten signature]




विक्रेता (स.प.)

दस्तावेज शुल्क ... 485760 -
नगर निगम शुल्क ... 60720 -
पंचायत शुल्क ... 60720 -
उप कर ... 24288 -
अतिरिक्त शुल्क ... 2 -
अधिक शुल्क
631490 -

उप मंजीतर
भोपाल

7



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548132

DETAILS OF THE PROPERTY UNDER SALE

Unirrigated, undulated, rocky and hilly agricultural land of Revenue Survey No.83/2 comprising of an area of 5.00 Acres = 2.024 hectares, situated at Village Chandanpura, Patwari Halka No. 40, Tehsil Huzur, District Bhopal. The area being sold through this deed is bounded as under and more particularly shown in the annexed map, which shall be part of this deed and it is more than 2.5 km away from the road: -

In East by : Balance land of Revenue Survey No.83/2 which is sold in favour of Smt. Deepa Gupta

In West by : Land of Revenue Survey No.80 and 83/1

In North by : Land of Revenue Survey No.78

In South by : Land of Jagran Social Welfare Society

Bl 00 Adhikar and Rin Pustika No.1320

OTHER DETAILS

1. That initially the land of Revenue Survey No. 83 total area 84.00 acres situated at Village Chandanpura, Patwari Halka No.40, Tehsil Huzur, Dist. Bhopal was owned and possessed by one Shri Mohammad Asim; S/o. Shri Mohammad Hasim Saheb and his name was also recorded as bhoomiswamy in the revenue record even prior to the commencement of M.P.Land Revenue Code, 1959 and his name was also reflected in the revenue records as its owner /bhoomiswamy.

8913412
70400
20/01/08



रतन लाल चंदाणी s/o श्री यंत्रकान लाल चंदाणी
H/o- 25/2 हप्पी टावर, इंदुगाह हिल्स भोपाल

नि ०५०
3875000/-

Varsha Boyal,
Stamp Vendor
K. K. Nagar Bhopal
L. No. 215/94 95

- ① निलि अम्बासेलकर s/o स्व० श्री रतन डी अम्बासेलकर
H/o- MX-4 शास्त्री नगर भोपाल
- ② यंत्रकान लाल चंदाणी s/o स्व० श्री जेठानंद लाल चंदाणी
H/o- 25/2 हप्पी टावर इंदुगाह हिल्स भोपाल


की जाय पूर्वोक्त निधादक/निधादको
की दिशाओं के विषय में की गई
दिनांक... 27.03/08

8

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548133

2. That from this 84.00 acres of land an area of 54.00 acres has been vested with the State of Madhya Pradesh under the provisions of M.P. Agricultural Ceiling and Holding Act, 1961 and its Amended Act of 1972 and the balance land of 30.00 acres remained in the possession of the said Shri Mohammad Asim. The related khasra entry has been made in the revenue record and accordingly the said Revenue Survey No. 83 was further sub-divided into Revenue Survey No.83/1 area 54 acres and 83/2 area 30.00 acres. The said sub-divided Survey No.83/1 area 54.00 acres is recorded in the name of the State Government and Survey No.83/2 area 30.00 acres is recorded in the name of Shri Mohammad Asim.

3. That later on said Shri Mohammad Asim S/o. Shri Mohammad Hasim in order to deal with the entire land empowered Shri Chandrabhan Lalchandani S/o. Late Shri Jethanand Lalchandani and the deed of General Power of Attorney was executed and registered with the Office of Sub-Registrar, Bhopal on 18/2/1997 bearing Registration No.3387 and Vol. No.A-4/740 and thereby empowered him to do all acts, deeds and things enumerated therein.

4. That later on said Shri Mohammad Asim through General Power of Attorney Holder Shri Chandrabhan Lalchandani sold the entire area of 30.00 acres in favour Shri Ratan Lalchandani S/o. Shri Chandrabhan Lalchandani i.e. the Vendor of this Deed and the Sale Deeds of which are executed and registered with the office of Sub-Registrar, Bhopal on 20/5/1999 for an area of 10.00 acres and 30/3/2001 for an area of 20.00 acres and thereby the Vendor derived title over the entire 30.00 acres of land of Revenue Survey No.83/2 and thereby the Vendor got his name mutated in the Revenue records and the correction was made in the same Bhoo Adhikar and Rin Pustika also.

871417
26/10
20/3/08



Signature



Varsha Loyal
Stamp Vendor
K. K. Nagar Bhopal
L, No. 215/94 95

इस दस्तावेज़ के निष्पादक
श. न. बाल योशनी का
मिशन का कार्य निम्न
को विज्ञापित

27/03/08


Signature

श. न. बाल योशनी
भोपाल

Signature

Signature

9



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548134

5. That on getting title by the Vendor, he has neither sold nor mortgaged or gifted or exchanged or otherwise transferred in any way whatsoever in favour of any other person whosoever and he has also not agreed to sell the said total land or any portion therefrom in favour of any other third person prior to the date of this deed.

6. The Vendor further say that the said land or any portion therefrom has also not been reserved for any specific purposes by the Government or Semi-Government or Corporate bodies etc. and no notice for acquisition thereof has so far been issue or received by the Vendor under any act and even otherwise it is not reserved for any acquisition purposes.

7. That the said total land is also not involved in any litigation and no suit or any kind of proceeding is either initiated or pending in any of the Courts.

8. That accordingly the Vendor specifically says that he has got clear marketable and free from all encumbrances title over the aforesaid 30.00 acres and out of which an area of 12.00 acres has already been sold by the Vendor in favour of the Jagran Social Welfare Society and the Sale Deed of which is executed and registered on 7/1/2008 and the over the balance land of 18.00 acres the Vendor has got all the legal rights to deal with the same, as he likes being his self-acquired property.

9. That from the said balance 18.00 acres of land the Vendor has sold an area of 5.00 acres from the land of Revenue Survey No.83/2 situated at Village Chandanpura, Patwari halka No.40, Tehsil Huzur, District Bhopal in favour of the Vendee of this Deed for total sale consideration of Rs.38,75,000/- (rupees thirty eight lakhs seventy five thousand only) and this sum has been received by him from the Vendee in the following manner, which the Vendor hereby acknowledges of having received the same:-

10



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548135

AMOUNT	CHEQUE NO.	DATED	NAME OF THE BANK
Rs.28,75,000/-	636493	27/3/2008	IDBI, New Market Branch Centurion Bank of Punjab Ltd.
Rs.10,00,000/-	002878	27/3/2008	
Rs.38,75,000/-	Total		


10 That having received the total sale consideration, the Vendor sold said 5.00 acres of land from revenue survey number 83/2 in favour of the Vendee of this deed, the Vendor has sold all his rights, title and interest over his 5.00 acres of land and has put the Vendee in vacant possession thereon on the date of this Deed itself.

11. That now the Vendee shall be the absolute owner in respect of the said land and shall be free to enjoy the same as it likes and wherein the Vendor or his legal heirs or successors shall have no right or claim or any kind of ownership or title thereon.

12 The Vendor, sold the aforesaid land free from all encumbrances and in case the said land or any part there-from goes away from the ownership and title of the Vendee, due to any defect in the title of the Vendor he shall be liable for making repayments of the total said Sale Consideration including registration charges and/or proportionate amount as the case may be together with the damages equivalent to the then prevailing market value thereof to the Vendee and the Vendee shall also have the right to recover and realize the same from the Vendor and/or his legal heirs and successors, and wherein, if any, objection is raised by the Vendor, or any of his legal heirs or successors, or assignees, the same shall be treated as null, void and inoperative.

13 That the Vendor further says that he has paid all taxes, cesses, assessments, land revenue and all other kind of dues of whatever name they are called, to the departments concerned and no dues of any kind whatsoever is payable by him, till the

11



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548136

date of this deed in respect of the said land. However, if any dues are subsequently found payable, but prior to the date of this deed, the Vendor shall be held responsible and liable for making payments thereof to the departments concerned and in case such payments are required to be made by the Vendee, the Vendee shall have the right to receive the same from the Vendor and/or his legal heirs or successors.

14. That the Vendor specifically says that land sold through this Deed is also not effected with the provisions of Bhoodan Yagya Adhiniyam and also not hit by any of the provisions of any other law of land including of M.P. Agricultural Ceiling and Holding Act, 1961 and its Amended Act of 1972.

15. That the Vendor has executed this Sale Deed on the herein below mentioned covenants that the Vendee shall construct the approach road and shall also provide related other infrastructure like electricity line, water supply line and sewage system within one year at his own expenses up to the remaining land of the Vendor. It is further agreed that the Vendor shall have right to take the Power Connection on his expenses from the sub-station established by the Vendee and the Vendor shall also use all such infrastructures without paying any amount.

16. That the said total land was also not involved under the provisions of Urban Land Ceiling and Regulations Act, 1976.

12



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548137

IN WITNESS WHEREOF THIS SALE DEED is executed and signed on this 27TH day of March, 2008 here at Bhopal in presence of the following witnesses:-

Witnesses

1. Nitin Ambaselkar,
S/o. Late Shri N.D. Ambaselkar
R/o. HX-4, Shastri Nagar,
Jawahar chowk, Bhopal
2. Chandrabhan Lalchandani,
S/o. Late Shri Jethanand Lalchandani,
R/o. 25/2, Happy Tower, Idgah Hills, Bhopal

VENDOR

Note: There is no cutting in this document.

Drafted by me:
Maustya
(C.M. RAWTIYA)
Advocate

VENDOR



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548150

SALE DEED

SALE CONSIDERATION: Rs.46,50,000-00
(RUPEES FORTY SIX LAKHS FIFTY THOUSAND ONLY)

Government Stamps	: Rs.2,79,000:00
Stamps of Municipal Corpn.	: Rs. 46,500:00
Stamps of Janpad Panchayat	: Rs. 46,500:00
Surcharge	: Rs. 13,950:00

Total Stamps: Rs.3,85,950:00

NAME OF THE VENDOR

Ratan Lalchandani, aged about 32 years, S/o. Shri Chandrabhan Lalchandani, 25/2, Happy Tower, Idgah Hills, Bhopal. PAN No.ABBPL7599R

NAME OF THE VENDEE

Smt. Deepa Gupta, aged about 47 years, W/o. Shri Hari Mohan Gupta, R/o. B-22, 74 Bungalows, South T.T.Nagar, Bhopal PAN: ABCPG1136A

88942 8903
5048=400 20/3/08

Ratan Lalchandani, S/o. Shri Chandrabhan Lalchandani, 25/2, Happy Tower, Idgan
Bhopal.

SALE DEED

Smt. Deepa Gupta, W/o. Shri Hari Mohan Gupta, R/o. B-22, 74 Bungalows, South T.T. Nagar
Bhopal.

श्रीमती दीपा गुप्ता
व/र/श्री श्रीमोहन गुप्ता

जिला न्यायालय के जज श्रीमती सुषमा क
कार्यालय में तारीख 20/03/08
को नं. 115/08
संस्तुत किया गया है

श्रीमती सुषमा क
जिला न्यायालय
बोम्बे

Varsha Jayal
Stamp Vendor
K. K. Nagar Bhopal
L. No. 115/08 95
M.V. 7287000 -



Signature

जिज्याक
भोपाल (म.प्र.)

मुद्रांक शुल्क 437220
नगर निगम शुल्क 72870
संचायक शुल्क 72870
सप कर 21865
अतिरिक्त शुल्क
अधिक शुल्क


604825

श्रीमती सुषमा क
जिला न्यायालय
बोम्बे

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548151

DETAILS OF THE PROPERTY UNDER SALE

Unirrigated, undulated, rocky and hilly agricultural land of Revenue Survey No.83/2 comprising of an area of 6.00 Acres = 2.429 hectares, situated at Village Chandanpura, Patwari Halka No. 40, Tehsil Huzur, District Bhopal. The area being sold through this deed is bounded as under and more particularly shown in the annexed map, which shall be part of this deed and it is more than 2.5 km away from the road: -

In East by : Land of other revenue survey number 73,74 and 84
In West by : Land of Jagran Social Welfare Society and Shri H.M.Gupta
In North by : Land of Revenue Survey No.78
In South by : Land of Jagran Social Welfare Society

Bhoo Adhikar and Rin Pustika No.1320

OTHER DETAILS

1. That initially the land of Revenue Survey No. 83 total area 84.00 acres situated at Village Chandanpura, Patwari Halka No.40, Tehsil Huzur, Dist. Bhopal was owned and possessed by one Shri Mohammad Asim S/o. Shri Mohammad Hasim Saheb and his name was also recorded as bhoomiswamy in the revenue record even prior to the commencement of M.P.Land Revenue Code, 1959 and his name was also reflected in the revenue records as its owner /bhoomiswamy.

(8)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548152

2. That from this 84.00 acres of land an area of 54.00 acres has been vested with the State of Madhya Pradesh under the provisions of M.P.Agricultural Ceiling and Holding Act, 1961 and its Amended Act of 1972 and the balance land of 30.00 acres remained in the possession of the said Shri Mohammad Asim. The related khasra entry has been made in the revenue record and accordingly the said Revenue Survey No. 83 was further sub-divided into Revenue Survey No.83/1 area 54 acres and 83/2 area 30.00 acres. The said sub-divided Survey No.83/1 area 54.00 acres is recorded in the name of the State Government and Survey No.83/2 area 30.00 acres is recorded in the name of Shri Mohammad Asim.
3. That later on said Shri Mohammad Asim S/o. Shri Mohammad Hasim in order to deal with the entire land empowered Shri Chandrabhan Lalchandani S/o. Late Shri Jethanand Lalchandani and the deed of General Power of Attorney was executed and registered with the Office of Sub-Registrar, Bhopal on 18/2/1997 bearing Registration No.3387 and Vol. No.A-4/740 and thereby empowered him to do all acts, deeds and things enumerated therein.
4. That later on said Shri Mohammad Asim through General Power of Attorney Holder Shri Chandrabhan Lalchandani sold the entire area of 30.00 acres in favour Shri Ratan Lalchandani S/o. Shri Chandrabhan Lalchandani i.e. the Vendor of this Deed and the Sale Deeds of which are executed and registered with the office of Sub-Registrar, Bhopal on 20/5/1999 for an area of 10.00 acres and 30/3/2001 for an area of 20.00 acres and thereby the Vendor derived title over the entire 30.00 acres of land of Revenue Survey No.83/2 and thereby the Vendor got his name mutated in the Revenue records and the correction was made in the same Bhoo Adhikar and Rin Pustika also.

8896+95 20/3/08
50 170



Varsha Jayal
Stamp Vendor
K. K. Nagar Bhopal
L. No. 215/94 95

इस दस्तावेज को निष्पादन
के लिए आवश्यक है
कि इन दो अर्थों में
की किया गया 27/03/08

एन पीजीएल
केयल

Shasika
Bhatnagar



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548153

5. That on getting title by the Vendor, he has neither sold nor mortgaged or gifted or exchanged or otherwise transferred in any way whatsoever in favour of any other person whatsoever and he has also not agreed to sell the said total land or any portion therefrom in favour of any other third person prior to the date of this deed.
6. The Vendor further say that the said land or any portion therefrom has also not been reserved for any specific purposes by the Government or Semi-Government or Corporate bodies etc. and no notice for acquisition thereof has so far been issue or received by the Vendor under any act and even otherwise it is not reserved for any acquisition purposes.
7. That the said total land is also not involved in any litigation and no suit or any kind of proceeding is either initiated or pending in any of the Courts.
8. That accordingly the Vendor specifically says that he has got clear marketable and free from all encumbrances title over the aforesaid 30.00 acres and out of which an area of 12.00 acres has already been sold by the Vendor in favour of the Jagran Social Welfare Society and the Sale Deed of which is executed and registered on 7/1/2008 and the over the balance land of 18.00 acres the Vendor has got all the legal rights to deal with the same, as he likes being his self-acquired property.
9. That from the said balance 18.00 acres of land the Vendor has sold an area of 6.00 acres from the land of Revenue Survey No.83/2 situated at Village Chandanpura, Patwari halka No.40, Tehsil Huzur, District Bhopal in favour of the Vendee of this Deed for total sale consideration of Rs.46,50,000/- (rupees forty six lakhs fifty thousand only) and this sum has been received by him from the Vendee in the following manner, which the Vendor hereby acknowledges of having received the same:-



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548154

AMOUNT	CHEQUE NO.	DATED	NAME OF THE BANK
Rs. 1,50,000/-	cash		
Rs. 20,00,000/-	931824	07/01/2008	IDBI Bank, New Market Branch, Bhopal
Rs. 25,00,000/-	625257	27/3/2008	
Rs. 46,50,000/-		Total	

10. That having received the total sale consideration, the Vendor sold said 6.00 acres of land from revenue survey number 83/2 in favour of the Vendee of this deed, the Vendor has sold all his rights, title and interest over his 6.00 acres of land and has put the Vendee in vacant possession thereon on the date of this Deed itself.

11. That now the Vendee shall be the absolute owner in respect of the said land and shall be free to enjoy the same as it likes and wherein the Vendor or his legal heirs or successors shall have no right or claim or any kind of ownership or title thereon.

12. The Vendor, sold the aforesaid land free from all encumbrances and in case the said land or any part there-from goes away from the ownership and title of the Vendee, due to any defect in the title of the Vendor he shall be liable for making repayments of the total said Sale Consideration including registration charges and/or proportionate amount as the case may be together with the damages equivalent to the then prevailing market value thereof to the Vendee and the Vendee shall also have the right to recover and realize the same from the Vendor and/or his legal heirs and successors, and wherein, if any, objection is raised by the Vendor, or any of his legal heirs or successors, or assignees, the same shall be treated as null, void and inoperative.

11



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548155

13. That the Vendor further says that he has paid all taxes, cesses, assessments, land revenue and all other kind of dues of whatever name they are called, to the departments concerned and no dues of any kind whatsoever is payable by him, till the date of this deed in respect of the said land. However, if any dues are subsequently found payable, but prior to the date of this deed, the Vendor shall be held responsible and liable for making payments thereof to the departments concerned and in case such payments are required to be made by the Vendee, the Vendee shall have the right to receive the same from the Vendor and/or his legal heirs or successors.

14. That the Vendor specifically says that land sold through this Deed is also not effected with the provisions of Bhoodan Yagya Adhiniyam and also not hit by any of the provisions of any other law of land including of M.P. Agricultural Ceiling and Holding Act, 1961 and its Amended Act of 1972.

15. That the Vendor has executed this Sale Deed on the herein below mentioned covenants that the Vendee shall construct the approach road and shall also provide related other infrastructure like electricity line, water supply line and sewage system within one year at his own expenses up to the remaining land of the Vendor. It is further agreed that the Vendor shall have right to take the Power Connection on his expenses from the sub-station established by the Vendee and the Vendor shall also use all such infrastructures without paying any amount.


16. That the said total land was also not involved under the provisions of Urban Land Ceiling and Regulations Act, 1976.

(12)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 548156

IN WITNESS WHEREOF THIS SALE DEED is executed and signed on this 27th day of March, 2008 here at Bhopal in presence of the following witnesses:-

Witnesses

Ambaselkar

1. Mitin Ambaselkar,
S/o. Late Shri N.D. Ambaselkar
R/o. HX-4, Shastri Nagar,
Jawahar chowk, Bhopal

2. Chandrabhan Lalchandani,
S/o. Late Shri Jethanand Lalchandani,
R/o. 25/2, Happy Tower, Idgah Hills, Bhopal

VENDOR

[Signature]

Note: There is no cutting in this document.

Drafted by me:
[Signature]
(C. A. RAWTIYA)
Advocate

VENDOR

[Signature]



ग्राम: चन्दनपुर भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	पटवारी हल्का: चंदनपुर 1. क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	तहसील: हुजूर			जिला: भोपाल	वर्ष: 2024-2025
					माली का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	माली का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलगम तथा प्रभार		
1096/5763/83/25 (S)			दीपा गुप्ता पत्नी श्री हरिमोहन गुप्ता पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. शसकीय भूमि	कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	कसल के व्योरे कसल का अंश 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के/सीआई संबंध पांशियति 2. भूमि पर सर्वेक्षण/वृक्ष 3. अन्य अभियंतियों 4. वर्ष में दौरान कॉवेंट्स जस्ट्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
			शैक्षणिक		3. पट्टे के अधीन क्षेत्र				पडती 4 बरस से ज्यादा 2.4290
			₹.48580.00						प्रकरण क्र. 0105/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 11/12/2021 के अनुसार पूर्व में एमसा नं.83/2/5 से 83/2/5 में परिवर्तित। प्रकरण क्र. 0105/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 11/12/2021 के अनुसार पूर्व में एमसा नं.83/2/5 से 83/2/5 में परिवर्तित।
									नामा.प.क्र.41आ.दि.15.10.2008 के अनुसार



कार्यालय वनमण्डल भोपाल

वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल-462003 दूरभाष 2674322 (कार्या.) 2672323 (नि.)

कर्मक/मा.चि./
प्रति,

515

/भोपाल/दिनांक/ 3/3/09

अध्यक्ष,

जागरण सोशल बेलयफेयर सोसायटी
डी0पी0एस0 कैम्पस भदगदा रोड भोपाल

विषय-

ग्राम चंदनपुरा भोपाल के खसरा कमांक 83/2 पर जागरण सोशल बेलयफेयर सोसायटी की प्रस्तावित आवासीय एकीकृत मैनेजमेंट स्कूल की महत्वकांक्षी योजना में 33 को0डो0 विजली की लाईन डालने एवं पहुँच मार्ग निर्धारण व उसके उन्नयन की अनुमति बाबत ।

संदर्भ :-

(1) आपका आवेदन दिनांक 22.8.08

(2) अपर मुख्य सचिव, वन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 13.2.09 का कार्यवाही विवरण एवं म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल का ज्ञापन कमांक/डी.619/295/2009/10-3 दिनांक 3/03/09

—0000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित आवेदन पत्र में ग्राम चंदनपुरा के खसरा कमांक 73 एवं 84 से गुजरने वाले मार्ग के उन्नयन की अनुमति वांछित है। तहसीलदार राजधानी परियोजना टी0टी0 नगर के पत्र कमांक 2362 दिनांक 13.2.09 के अनुसार उन्नयन हेतु वांछित मार्ग संयुक्त निरीक्षण के समय सर्वे न0 73 व 84 चंदनपुरा से होकर कच्चा मार्ग पाया गया है। तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक/डी-619/295/2009/10-3 दिनांक 3/03/09 के पालन में उक्त मार्ग उन्नयन की अनुमति म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक /5/6/2005 /10.-3 दिनांक 17.5.05 में निहित प्रवाधान अनुसार विद्यमान चौड़ाई में करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाती है।

- (1) मार्ग की विद्यमान चौड़ाई में ही उन्नयन कार्य किया जावेगा। यदि चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्र शासन से पूर्व अनुमति ली जायेगी।
- (2) कोलतार को पिघलाने एवं भित्ताने के लिये अग्नि वृक्षों से एक सुरक्षित दूरी पर लगाई जायेगी। किसी भी स्थिति में आग क्षेत्र में न फैले यह सुनिश्चित करना क्रियान्वयन एजेंसी का दायित्व होगा।
- (3) कार्यान्वित करने वाली एजेंसी इस कार्य हेतु जलाऊ लकड़ी पूर्व में राज्य शासन तथा वन विकास निगम के डिपो से कय करेगा।
- (4) वन क्षेत्रों के अन्दर पत्थरों को तोड़ने की कोई अनुमति नहीं होगी। पूर्व से ही निर्मित सामग्री का सड़क के उन्नयन हेतु उपयोग किया जावेगा।
- (5) उन्नयित सड़क के दोनों किनारे ईट / पत्थर से सुदृढ किये जायेगे तथा भू-क्षरण को रोकने के लिये क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी के परामर्श से बेजीटेडिब कार्य परियोजना लागत पर किया जायेगा।
- (6) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
- (7) वन क्षेत्र को कही भी तोड़ा नहीं जायेगा।
- (8) किसी भी वृक्ष को काटा नहीं जायेगा।
- (9) वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जावेगे।
- (10) सूर्यास्त के पश्चात कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
- (11) वन भूमि के आस-पास कोई भी प्लॉट / मशीनरी नहीं लगाई जायेगी।

03-Mar-2009

- 317 - geeta dm 1

TRUE COPY

PA

उप वन मण्डलाधिकारी (स.म.)
वन मण्डल, भोपाल

(12) क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी समय-समय पर स्थानीय पौधे एवं जन्तुओं के संरक्षण व विकास के लिये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कोई नई शर्त लगाने के लिये सक्षम रहेंगे ।

(13) सड़क का उन्नयन कार्य के कारण यदि वन क्षेत्र में कोई नुकसान होता है, तो कार्यान्वित करने वाली एजेंसी परियोजना लागत पर ऐसे नुकसान की भरपाई करेगी । नुकसान का निर्धारण क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(14) इस उन्नयित की गई सड़क पर अथवा उन्नयन के अधीन सड़क पर स्थायी चेक पोस्ट उपयुक्त स्थानों पर शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाये जायेंगे ।

(15) आवेदक / आवेदक संस्थान इस आशय का लिखित वचन पत्र प्रस्तुत करे । कि यदि भविष्य में भारत सरकार राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म०प्र० क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक वनमण्डल द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्तें उन्हे मान्य होगी । कार्य करने के पूर्व वांछित प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करे ।

शर्त क्रमांक 1 से 15 का कड़ाई से पालन किया जावे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात संबंधित परिक्षेत्राधिकारी को लिखित सूचना देना अनिवार्य है ।

उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करने पर 25.10.80 के पूर्व निर्मित मार्ग के उन्नयन कार्य करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है ।

वन संरक्षक

वनमण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ० क्रमांक/मा०चि०/

प्रतिलिपि-

(1) अपर सचिव म०प्र० शासन वन विभाग भोपाल की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक /डी.619/295/2009/10-3 दिनांक 3/03/09 के प्रकाश में सूचनार्थ प्रेषित ।

(2) मुख्य वन संरक्षक (नू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल

(3) मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल

(4) कलेक्टर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

(5) उ०व०म०अ० भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित ।

(6) परिक्षेत्राधिकारी समर्धा की ओर सूचनार्थ एवं आप उक्त कार्य का समय-समय पर निरीक्षण करते रहे उक्त कार्य के दौरान यदि किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो वन अपराध दर्ज कर विधि अनुकूल कड़ी कार्यवाही करे तथा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

से।

वन संरक्षक

वनमण्डल, भोपाल

TRUE COPY

उप वन मण्डलाधिकारी (रा.म.)
वन मण्डल, भोपाल

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

कमांक 146 / एल.पी. 97/29/नग्रानि/जिका/2008-09 "कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेश कालोनी, भोपाल
प्रति, भोपाल, दिनांक 9/4/2009

द्वारा मेसर्स जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी,
श्री हरिमोहन गुप्ता सुपुत्र श्री गुरुदेव गुप्ता,

पता-33 जागरण भवन, प्रेस काम्पलेक्स, एम. पी. नगर, भोपाल.

विषय :- ग्राम चन्दनपुरा तहसील हज़ूर, जिला भोपाल खसरा कमांक 83/2/ख, 83/2/ग पर रकबा 5.66 हेक्टर पर एकीकृत प्रबंधन आवासीय विद्यालय हेतु विकास अनुज्ञा बाबत ।

सन्दर्भ :- मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का पत्र कमांक 23.6.2005 एवं माननीय न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक-51/अपील/08-09 में पारित आदेश दिनांक 17.3.2009 एवं आपका आवेदन दिनांक 25.3.2009.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में ग्राम चन्दनपुरा तहसील हज़ूर, जिला भोपाल खसरा कमांक 83/2/ख, 83/2/ग पर रकबा 5.66 हेक्टर जिसका भूमि उपयोग भोपाल विकास योजना 2005 में सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक के अंतर्गत प्रशासकीय प्रतिष्ठान/संस्थान निर्दिष्ट है, पर संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त मेसर्स जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल के आवेदन के संबंध में एकीकृत प्रबंधन आवासीय विद्यालय हेतु विकास की अनुज्ञा भोपाल विकास योजना 2005 के पैरा 4.61 के अनुसार "सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक के अंतर्गत प्रशासकीय प्रतिष्ठान/संस्थान" भूमि उपयोग में "एकीकृत आवासीय विद्यालय" हेतु मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 31 के प्रावधानान्तर्गत माननीय न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल (अपील प्राधिकारी) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.3.2009 के परिप्रेक्ष्य में "कार्यालय के पत्र कमांक 355 दिनांक 2.8.2009 द्वारा जारी विकास अनुज्ञा के स्थान पर आवेदित संस्था के अभिन्यास दर्शित क्षेत्र में नदीन अनुज्ञा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27(1) के अधीन विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है ।

(1) निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-

1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959
2. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 एवं तत्संबंधी नियम
3. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल ।
4. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
5. भू अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल
6. नजूल अधिकारी, राजधानी परियोजना, भोपाल
7. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल.
8. झील संरक्षण प्राधिकरण, भोपाल (बड़े तालाब तथा छोटे तालाब के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित भूमि के विकास हेतु) .
9. जल संसाधन विभाग (बांध, नहर व नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु).
10. वन मण्डलाधिकारी (वन विभाग) के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिए भोपाल वृत्त जिला भोपाल
11. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह अनिवार्य रूप से प्राप्त करें ।

Ref

- (2) इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगा।
- (3) भवन का भू-तल निर्मित क्षेत्र 26 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा।
- (4) भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार एम. ओ. एस. रखे जायें।
- (5) एफ. ए. आर. 1:1.0 (एक अनुपात एक दशमलव शून्य) अधिकतम तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार भवन की अधिकतम ऊँचाई 18.0 मीटर से अधिक न हो।
- (6) पार्किंग हेतु व्यवस्था भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4-सा-16 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 81 के प्रावधानों के अनुरूप करना होगा। 70 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर एक कार पार्किंग (25.0 वर्गमीटर खुला पार्किंग क्षेत्र)
- (7) भोपाल विकास योजना 2005 के पैरा 1.14 की सारणी 1-सा-3 के अनुसार कंडिका कर्मांक-1 में उल्लेखानुसार 8⁰ अधिक ढलाव में कोई भवन निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
- (8) आपके द्वारा प्रस्तुत अवसा/बटान में किसी भी प्रकार की विरागति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी।
- (9) प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं भूखण्डों का समायोजन किया जाये।
- (10) नियमानुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। स्थल पर उपरोक्त मान के अनुसार वृक्षारोपण कर लिया गया हो यह सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही भवन अनुज्ञा संबंधित स्थानीय संस्था द्वारा दी जाये।
- (11) स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।
- (12) किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
- (13) जल-गल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे।
- (14) भूमि का सक्षम कार्यालय से सीमांकन करवाने के पश्चात अनुमोदित विकास अनुज्ञा को स्थल पर चिन्हित करवाकर अनुमोदित विकास अनुज्ञा का स्थल पर सत्यापन इस कार्यालय से एक माह की अवधि के भीतर करवाना आवश्यक होगा जिसके आधार पर ही स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा अन्यथा नहीं।
- (15) इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जाये।
- (16) अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
- (17) यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
- (18) संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
- (19) स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 x 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
- (20) किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
- (21) संस्था एवं नगर पालिका नियम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
- (22) प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्डों पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
- (23) प्रश्नाधीन परिसर के भीतर अधिकतम स्वीकार्य नियोजन मानकों के अनुसार ही विकास कार्य किया जावे। इस हेतु पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

Ref

- (24) निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यों को सम्पूर्ण करने के पश्चात् ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें ।
- (25) मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी ।
- (26) आवेदक संस्था को स्वयं के व्यय से न्यूनतम 12 मीटर चौड़ा पहुँच मार्ग का निर्माण करना होगा ।
- (27) स्थल पर स्थित समस्त पेड़ों को यथावत रखना होगा एवं भूमि के विकास में समायोजित किया जाना होगा ।
- (28) परिसर से जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा ।
- (29) रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी । उसके पश्चात् ही मूडण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा ।
- (30) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1924 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी ।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल

/एल.पी. 97/29/नग्रानि/जिका/2008-9

भोपाल, दिनांक

/2008

पृ. क्रमांक
प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हजूर, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर इस अनुज्ञा की शर्तों तथा संबंधित नियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने तथा प्रश्नाधीन भूमि पर भवन अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजने का कष्ट करें ।
3. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. श्री संजीव सक्सेना, निदेशक योजना मेसर्स जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल को सूचनार्थ ।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION
BUILDING PERMISSION SECTION
PERMISSION CERTIFICATE



PERMISSION NO. : NC316-72-42009

DATE : 24-Apr-2009

Shri/Smt/Miss. **JAGRAN SOCIAL WELFARE SOCIETY**

S/o,D/o,W/oShri

is allowed to re-erect or alter of on

the land possessed by the applicant situated at **83/2,CHANDANPURA,**

City **BHOPAL** ward no. **31** zone no. **6** estimated cost of which comes to Rs. for which the B.P.
amounting Rs. **18,800.00** has been deposited vide receipt **1904/ R1** date **24-Apr-2009**

in accordance with the enclosed plan and technical sheet subject to the condition below.

Under Power Delegated by the
Commissioner. (4) of
MP Mpl Corp. Act (1956)


CITY PLANNER
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION

Condition :

1. This is not a ownership/property document.
2. The permission has been granted on the basis of the affidavit filed by applicant.
3. Construction should not be made on the land marked crossed in the sanctioned plan.
4. Note given on the plan are to be followed stricity.
5. Valid period of permission is one year from the date of the issue of this permission.
6. After the completion of construction a note should be given to this office for information of completion of the work. within a month as required under section 301 of the M.P. Municipal corporation Act. 1956 for which a completion Certificated shall be issued from this office.
7. No building shall be occupied for residential or commercial purpose before a Completion Certificate is obtained from the Corporation as desired under Section 301 (4) of the M.P. Municipal Corporation Act. 1956.
8. Violation of any of the above conditions will lead to automatic cancellation of this permission.

कार्यालय सयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल मध्य प्रदेश
E-mail: bhopal@mpmptownplan.gov.in
क्रमांक BPLLP300622723/ दिनांक / 25/JUL/2022

प्रति,

JAGRAN SOCIAL WELFARE SOCIETY AND OTHERS
01 kerwa dam road, mendori huzur bhopal 462044
Bhopal, म.प्र.

विषय:- ग्राम- Chandanpura तहसील Huzur जिला Bhopal स्थित भूमि खसरा क्रमांक 83/2/4,83/2/5,83/2/2 कुल रकबा 9.311 हेक्टेयर (93110.000) वर्गमीटर पर UNIVERSITY AND SPECIALISED EDUCATIONAL INSTITUTE विकास हेतु अनुज्ञा बावत।

परियोजना का नाम- "JAGRAN SOCIAL WELFARE SOCIETY INTEGRATED EDUCATIONAL COMPLEX"

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 07/JUL/2022 एवं आपके द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत जानकारी

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि ग्राम- Chandanpura तहसील- Huzur जिला- Bhopal स्थित खसरा क्रमांक 83/2/4,83/2/5,83/2/2 कुल रकबा 9.311 हेक्टेयर (93110.000) वर्गमीटर भूमि जिसका पत्र क्रमांक दिनांक द्वारा विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी। अधिनियम की धारा 29(3) में संदर्भित आवेदन के परिपेक्ष्य में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 14(3)(तीन) के अंतर्गत दिनांक, को दो दैनिक समाचार पत्र एवं में निर्धारित प्रारूप में सूचना का प्रकाशन किया गया। सूची में उल्लिखित कालावधि में कोई आक्षेप, सुझाव या दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। परीक्षणोपरान्त भुखण्डीय विकास हेतु विकास योजना 2005 एवं मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1)(ख) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 (1) के प्रावधानानुसार विकास अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जा रही है

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:-
 - (1)जल संसाधन विभाग (बांध, नहर व नदियों से लगी भूमि होने की स्थिति में)
 - (2)म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
 - (3)मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल।
 - (4)उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त की जावे।
 - (5)मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959
 - (6)मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956
2. प्रश्नाधीन भूमि पर संलग्न मानचित्रानुसार नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार मान्य होंगे।
 - (1)एफ.ए.आर. F1.0 अधिकतम।
3. आवेदक द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अभिन्यास के आधार पर परियोजना का नाम "JAGRAN SOCIAL WELFARE SOCIETY INTEGRATED EDUCATIONAL COMPLEX" रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
4. यह अभिन्यास म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानान्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) में दर्शित माप स्थिति एवं सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक के आधार पर अनुमोदित किया गया है। यदि मौके पर विकास कार्य के दौरान भूमि की चतुर्सीमा में परिवर्तन होता है तो संशोधित अभिन्यास पुनः इस कार्यालय से विधिवत अधिनियम की धारा 29 (3) के अंतर्गत अनुमोदित कराना होगा।
5. भू-स्वामित्व के संबंध में वाद-विवाद, न्यायालय संबंधी वाद की स्थिति में अथवा आवेदन के साथ दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर अथवा उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा का प्रतिसंहरण किया जा सकेगा जिसकी जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
6. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिपेक्ष्य में आवेदन हेतु शुल्क रूपये 50000/- रसीद क्रमांक-

Signature valid

Digitally Signed by SANJAY
MISHRA
Date: 25-07-2022 16:50:42

JIN000615902171202202115664 दिनांक 05/JUL/2022 एवं विकास अनुज्ञा शुल्क रूपये 516075.00 /- रसीद

क्रमांक-22072513743105328425 दिनांक 25/JUL/2022 द्वारा जमा किये गये एवं अंतिम सत्यापन के अध्याधीन है। यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

7. आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.एक्ट के तहत संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

8. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी। उक्त समयावधि में, संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त कर विकास कार्य, प्रारंभ करना अनिवार्य होगा। समयावधि समाप्त होने के पूर्व यदि विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है आवेदक संस्था द्वारा आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एक-एक वर्ष) के लिये बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

9. मध्य प्रदेश आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में उल्लेखित अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई 2004 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट के तहत संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इंवायरमेंट इंपैक्ट्स असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्य प्रदेश ाण नियंत्रण मण्डल से इस प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे निर्माण से पूर्व ई.आई.ए. क्लियरेंस लेना अनिवार्य होगा। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की अनुसूची की कंडिका 8 (क) के अनुसार 20,000 वर्गमीटर या अधिक किंतु 150000 वर्गमीटर से कम भवन एवं सहनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8(ख) के अनुसार 50 हे० क्षेत्र या उससे अधिक या 1.5000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरीय और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है।

10. ब्लाको के मध्य भवन के अधिकतम उंचाई वाले ब्लाक का साईड सीमान्त खुला क्षेत्र की दूरी रखना आवश्यक होगा।

11. पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 308 अनुसार यदि स्थल पर कोई अनाधिकृत निर्माण हुआ है तो उसका परीक्षण सुनिश्चित करने के उपरांत ही विकास/निर्माण अनुज्ञा जारी करें।

सयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला भोपाल म.प्र.

क्रमांक BPLLP300622723/ दिनांक / 25/JUL/2022

प्रतिलिपि-

1. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, Bhopal को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील Huzur (संबंधित वृत्त), जिला Bhopal की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है" की टिप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3. आयुक्त नगर पालिका निगम, भोपाल की ओर इस अनुज्ञा की शर्तों तथा संबंधित नियम के प्रावधानों का पालन एवं भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने उपरांत प्रश्नाधीन भूमि अनुमति जारी कर भवन अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख करने का कष्ट करें।

4. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, इन्दौर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

5. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल 74, बंगले इंदिरा निकुंज खेल परिसर भोपाल

सयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला भोपाल म.प्र.

Signature valid

Digitally Signed by SANJAY
MISHRA
Date: 25-07-2022 16:50:42

जा.प्र. 41/16 (शि.पं.835/20.06.16) विरुद्ध कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल।

13अ- कृपया एन. 38 पर हुए निर्देश के पालन में, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर की ओर से डी.एस.एल.आर. श्रीमति सविता झानिया एवं कलेक्टर, भोपाल श्री तरुण पिथोड़े ने समक्ष में उपस्थित होकर जानकारी प्रस्तुत की।

1ब- आज शिकायतकर्ता श्री दिनेश सोलंकी ने समक्ष में उपस्थित होकर जानकारी मय दस्तावेजों के प्रस्तुत की जिसके अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा श्री रतनलाल चंदानी, श्री नितीन लालचंदानी एवं श्री चंदरलाल चंदानी के कार्यालय में कार्यरत रहते हुए उनके कहे अनुसार जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के विरुद्ध शिकायतों की थी जिसमें जाँच प्रकरण दर्ज होने के पश्चात् किए गए सीमांकन के पश्चात् सीमांकन किया गया। उसके द्वारा की गई शिकायतें श्री रतनलाल चंदानी, श्री नितीन लालचंदानी एवं श्री चंदरलाल चंदानी की दुर्भावना से प्रेरित हैं। शिकायतकर्ता ने प्रार्थना की है कि, उसकी शिकायत नस्तीबद्ध की जावे (पृ.392-409/सी)।

1स- आज जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के संचालक श्री संजीव सक्सेना एवं आवेदक श्री नितीन लालचंदानी भी समक्ष में उपस्थित।

2- समक्ष में आवेदक श्री नितीन लालचंदानी द्वारा यह प्रकट किया गया है कि, उसके एवं जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के मध्य रास्ते का विवाद है एवं समक्ष में श्री संजीव सक्सेना द्वारा प्रकट किया गया कि, इस संबंध में आवेदक द्वारा जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में जो प्रकरण संस्थित किए थे वो निरस्त हो चुके हैं।

3- जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी एक अशासकीय संस्था है, जिसके विरुद्ध रास्ते के विवाद के संबंध में आवेदक श्री नितीन लालचंदानी को राजस्व न्यायालय/सिविल न्यायालय में कार्यवाही का उपचार उपलब्ध है। अशासकीय संस्था के विरुद्ध कार्यवाही का दायित्व संगठन का नहीं है। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही संगठन स्तर पर अपेक्षित नहीं है।

4अ- समक्ष में उपस्थित कलेक्टर, भोपाल श्री तरुण पिथोड़े द्वारा जानकारी के साथ सैटेलाईट से लिए गए प्रश्नाधीन स्थल के छायाचित्र प्रस्तुत कर बताया कि, खसरा नंबर 73, 74, 84, 92 शासकीय है एवं इस संबंध में संबंध में खसरा पंचशाला की प्रतियां भी पेश की गई हैं तथा यह प्रकट किया गया कि, उक्त शासकीय भूमि पर नूनी पट्टार सुझा के अधिकार के की बाउण्ड्रीवाल के संबंध में जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी से पूछताछ कस्मोर्सर प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

जा.प्र. 41/16 (शि.पं.835/20.06.16) विरुद्ध कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल।

उनके द्वारा यह बताया गया कि, पत्थर की बाउण्ड्रीवाल उनकी नहीं एवं उनकी सीमा में भी नहीं है (पृ.381-391, 391A व 410-424/सी)।

4ब- समक्ष में यह भी प्रकट किया गया है कि, शासकीय खसरा नंबर 73, 74, 84, 92 की भूमि पर बनी पत्थर की बाउण्ड्रीवाल हटाया जाना है तथा जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी का कुछ शासकीय भूमि पर कब्जा होना पाया गया है एवं शासकीय भूमि से लगी जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी की भूमि है जिसे जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी ने छोड़ दिया है, इस संबंध में जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा शासकीय भूमि जिस पर उनका कब्जा है, के बदले में उनकी भूमि जो शासकीय भूमि से लगी है के मुबादले/विनियम (Exchange) की कार्यवाही हेतु मौखिक प्रार्थना की है। इस संबंध में जागरण वेलफेयर सोसायटी से आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें समय लगने की संभावना है। इस हेतु समय दिए जाने की प्रार्थना की।

5- माननीय द्वारा प्रार्थना स्वीकार कर, (i) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को साक्ष्य हेतु एवं (ii) कलेक्टर, जिला भोपाल को उक्त पैरा-4अ व 4ब अनुसार की जा रही कार्यवाही की जानकारी के साथ समक्ष में दिनांक 08.01.20 सनय 11.30 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए।

कृपया अवलोकनार्थ।

V. Sasm
11.12.19
(कृ.जसवीर कौर सासन)
विधि सलाहकार-द्वितीय

माननीय लोकायुक्त महोदय

Ar or AI above

LA/2

5.12.19

V. Sasm
5.12.19

उत्ते जाते वाले पत्रों के जरूर अनुमोदन एवं मान्य हेतु कृपया उचित उपायों से ध्यानपूर्वक प्रतिक्रिया दें।

पुनः के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

10.12.19

97089 12.12.19

LA/2

लोक सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी लोक आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश, भोपाल

V. Sasm
11.12.19

A

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
Bhopal

Delhi Public School
Kolar Road, Bhopal

Delhi Public School
Indore

Delhi Public School
Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and Management



Jagran Lakshmi University
Bhopal

JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
Bhopal

Somvati Devi Shiksha Kendra
Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra
Kolar Road Bhopal

RANKED AMONG TOP 10
INSTITUTES OF INDIA

21+ Years of Excellence

35000+ Students Taught

600+ Teachers

9 Institutes

दिनांक 10 दिसम्बर, 2019

प्रति,
कलेक्टर महोदय,
जिला भोपाल।

विषय:- ग्राम चंदनपुरा की शासकीय भूमि एवं जागरण सोशल वेलफेयर
सोसायटी भोपाल की भूमि का विनिमय करने बाबत।

संदर्भ:- मान. लोकायुक्त महोदय द्वारा निम्न प्रकरणों में निर्देश
दिनांक 05.12.19 के संदर्भ में :-

1. जा.प्र.1287/17 (शि.पं.8085/03.01.18)
2. जा.प्र.41/16 (शि.पं. 835/20.06.16)

--- 000 ---

महोदय,

दिनांक: 11.12.19
कलेक्टर, कोयंबूर, महाराष्ट्र

यह विदित है कि मान लोकायुक्त महोदय की बैठक दिनांक
04.12.19 में जिला कलेक्टर, भोपाल, आयुक्त भू-अभिलेख बंदोबस्त
ग्वालियर की ओर से डी.एस.एल.आर.-श्रीमती सविता झानिया
शिकायतकर्ता-श्री दिनेश सोलंकी, आवेदक-श्री नितिन लालचंदानी पुत्र
श्री चंदर लालचंदानी एवं संजीव सक्सेना संचालक जागरण सोशल
वेलफेयर सोसायटी लोकायुक्त के समक्ष में उपस्थित हुए।

सीमांकन दल द्वारा ग्राम चंदनपुरा के खसरा क्रमांक 73, 74,
84, 92 एवं जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी की निजी भूमि के
खसरा नंबर 83/2ख, 83/2ग, 83/2घ एवं 83/2ङ कुल रकबा
25.00 एकड़ के संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, आवेदक,
शिकायतकर्ता एवं जिला कलेक्टर भोपाल द्वारा इसके समर्थन में दिये
गये विस्तृत तर्क एवं जानकारी के उपरांत माननीय लोकायुक्त द्वारा
दिनांक 05.12.19 को निम्नलिखित निर्देश पारित किये गये एवं
आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त को साक्ष्य हेतु तथा कलेक्टर जिला

२



OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
Bhopal

Delhi Public School
Kolar Road, Bhopal

Delhi Public School
Indore

Delhi Public School
Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and Management



Jagran Lakecity University
Bhopal

JSWS FREE SCHOOLS



Garudev Shiksha Kendra
Bhopal

Somvati Devi Shiksha Kendra
Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra
Kolar Road Bhopal

RANKED AMONG TOP 10
INSTITUTES OF INDIA

21+ Years of Excellence

35000+ Students Taught

600+ Teachers

9 Institutes

भोपाल को आदेश में उल्लेखित पैरा 4-अ तथा 4-ब अनुसार की गई कार्यवाही पूर्ण करने एवं उससे अवगत कराने हेतु माननीय लोकायुक्त के समक्ष 08.01.2020 को उपस्थित होने के निर्देश हैं।

यह भी निर्देश है कि पैरा 4-अ अनुसार जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि शासकीय भूमि पर बनी पत्थर की बाउण्ड्री वाल उनकी नहीं है एवं उनकी सीमा में भी नहीं है। संस्था की बाउण्ड्री वाल पत्थर की दीवार के समानांतर प्रीकास्ट सीमेंट की पृथक से बनी है।

माननीय लोकायुक्त द्वारा प्रार्थना स्वीकार कर ली गई कि जो भूमि जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी को लेना शेष है शासन उस भूमि को अधिग्रहण कर ले एवं जिस भूमि पर उन्हें काबिज किया गया था उसे शासन अपनी शासकीय भूमि से अदला-बदली की कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे मौके पर वर्तमान स्थिति भी एक हो जावेगी व यथास्थिति बनी रहेगी जो संस्था द्वारा पूर्व में विकसित की जा चुकी है।

मौके पर वस्तुस्थिति निम्नानुसार है : -

1. उक्त दोनों भूमियां एक ही ग्राम की है और एक ही चक के रूप में स्थित है और दोनों एक-दूसरे से लगी हुई है।
2. दोनों भूमि की स्थिति समान है।
3. विनिमय की जा रही दोनों भूमियों का कलेक्टर रेट भी समान है।

h

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
Bhopal

Delhi Public School
Kolar Road, Bhopal

Delhi Public School
Indore

Delhi Public School
Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and Management



Jagran Lakshya University
Bhopal

JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
Bhopal

Somvati Devi Shiksha Kendra
Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra
Kolar Road Bhopal

RANKED AMONG TOP 10
INSTITUTES OF INDIA

21+ Years of Excellence

35000+ Students Taught

600+ Teachers

9 Institutes

अतः विनम्र निवेदन है कि विनिगय की कार्यवाही पूर्ण होने तक मौके पर कब्जा अनुसार भूमि की रिथति यथावत रखी जाये तथा अन्य कोई कार्यवाही न की जाये।

प्रार्थना

माननीय कलेक्टर, भोपाल से विनम्र प्रार्थना है कि ग्राम चंदनपुरा की भूमि के खसरा नंबर 83/2 ख, 83/2 ग, 83/2घ, 83/2 इ कुल रकबा 25.00 एकड़ का शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 73, 84, 92 में से मौके पर कब्जा अनुसार जो भूमि जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी को लेना शेष है शासन उस भूमि को अधिग्रहण कर ले एवं जिस भूमि पर उन्हें काबिज किया गया था उसे शासन अपनी शासकीय भूमि से अदला-बदली की कार्यवाही करने की कृपा करें।

5/11/19
संजीव सक्सेना
संचालक-प्रोजेक्ट

o/c

प्रतिलिपि

1. अनुविभागीय अधिकारी राज.परि.टी.टी. वृत्त, भोपाल।
2. तहसीलदार, राज.परि.टी.टी. वृत्त, भोपाल।

5/11/19
संजीव सक्सेना
संचालक-प्रोजेक्ट

o/c



न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त टी0टी0नगर भोपाल

प्रकरण क्रमांक 0435/बी-121/19-20

// इशतहार //

आवेदक संस्था जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी की ओर से श्री संजीव सक्सेना संचालक प्रोजेक्ट द्वारा ग्राम चंदनपुरा के जागरण सोशल वेलफेयर भोपाल की निजी भूमि खसरा क्रमांक 83/2/ख, 83/2/ग, 83/2/घ, 83/2/ङ कुल रकबा 25.00 एकड़ का शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 73, 84, 92 में से मीके पर कब्जा अनुसार जो भूमि जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी को लेना शेष है। शासन उस भूमि को अधिग्रहण करलें एवं जिस भूमि पर उन्हें काबिज किया गया है। उक्त शासकीय भूमि से अदला-बदली की कार्यवाही करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त आवेदन पत्र के आधार पर जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी की निजी भूमि खसरा क्रमांक 83/2/ग कुल रकबा 0.809 हेक्टर में से रकबा 0.445 हेक्टर के बदले शासकीय भूमि खसरा 73 कुल रकबा 12.133 हेक्टर में से रकबा 0.251 हेक्टर एवं खसरा क्रमांक 84 कुल रकबा 5.462 हेक्टर में से रकबा 0.154 हेक्टर भूमि के विनिमय का प्रकरण प्रचलित है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इस उद्घोषणा के जारी होने के 15... दिवस में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक
को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय
की पदमुद्रा से जारी किया गया


तहसीलदार
टी0टी0नगर वृत्त भोपाल

प्रतिवेदन

प.क. 435/बी-121/2019-20

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
नजूल टी.टी. नगर भोपाल

सत्य प्रतिलिपि प्रकरण

प.क. 435/बी-121/19-20

जमाता

तहसील-टी.टी. नगर

विषय:- ग्राम चंदनपुरा की शासकीय भूमि का जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी भोपाल की भूमि से विनिमय करने वाबत।

संदर्भ:- प्रकरण क्रमांक 0435/बी-121/2019-20।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में लेख है कि ग्राम चंदनपुरा प.ह.न. 95/40 स्थित जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी की भूमि जो कि वर्तमान में प्रीकास्ट सीमेंट की वाउन्ड्री वॉल के बाहर हैं। एवं शासन की भूमि जो कि संस्था के कब्जे में हैं। जिस पर वर्तमान में संस्था का गेट रास्ता व पार्किंग हैं। उक्त भूमि के अदला-बदली (विनिमय) की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में जांच की गई।

स्थल निरीक्षण के दौरान जागरण वेलफेयर संस्था से श्री संजीव सक्सेना (डायरेक्टर), श्री फौज कुरैशी (ऑफिस असिस्टेंट) मौके पर उपस्थित मिलें। मौके पर जांच करने पर पाया गया कि संस्था के कब्जे की शासकीय भूमि जिसका संस्था के कब्जे की निजी भूमि से विनिमय किया जाना है, पर वर्तमान में संस्था का मेन गेट, पार्किंग व रास्ता बना है। एवं संस्था के कब्जे की भूमि, जो शासन को अदला-बदली में प्राप्त होगी उस पर वर्तमान में झाड़-जंगल खड़ा है। संलग्न नक्शे में विनिमय की जाने वाली भूमि खसरा क्रमांक 73 को हरे रंग से, खसरा क्रमांक 84 को नीले रंग से एवं खसरा क्रमांक 83/2/ग को लाल रंग से दर्शाया गया है। मौके पर बताये कब्जे अनुसार भूमि अदला-बदली (विनिमय) का प्रस्ताव तैयार किया गया जो निम्नानुसार हैं।

718/507

सत्य प्रतिलिपि

जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के कब्जे की भूमि

क्र.सं.	ख.क्र.	रकबा	नोईयत
1.	83/2/ग	0.809 है.	जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा हरीमोहन गुप्ता पुत्र स्व. श्री गुरुदेव गुप्ता द्वारा एम.पी. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 कार्यालय 33 जागरण भवन

(Signature)
40/11/20

संस्था के कब्जे की भूमि जो शासन को अदला-बदली में प्राप्त होने वाली हैं, का वर्ष 2019-20 की कलेक्टर गाइड लाईन अनुसार मूल्यांकन

क्र.	ख.क्र.	रकबा	विनिमय हेतु प्रस्तावित रकबा	विवरण
1.	83/2/ग में से	0.809 है.	0.445 है.	वर्ष 2019-20 की कलेक्टर गाइड लाईन अनुसार ग्राम चंदनपुरा में सड़क से हटकर भूमि का मूल्य 88,00,000/- (अठ्ठासी लाख) रुपये हैं। जिसके अनुसार गणना निम्नानुसार हैं:- $0.445\text{ है.} \times 88,00,000 = 39,16,000/-$ (उन्चालीस लाख सोलह हजार मात्र) होता है।

शासन की भूमि

क्र.	ख.क्र.	रकबा	नोईयत	कैफियत
1.	73	12.133 है. काविल काश्त	शासकीय	म.प्र. शासन वन विभाग हाईटेक प्लांटेशन सीलिंग भूमि
2.	84	15.462 है. वन	शासकीय	म.प्र. शासन वन विभाग हाईटेक प्लांटेशन

शासन की भूमि जो संस्था को अदला-बदली में प्राप्त होने वाली हैं, का वर्ष 2019-20 की कलेक्टर गाइड लाईन अनुसार मूल्यांकन

क्र.	ख.क्र.	रकबा	विनिमय हेतु प्रस्तावित रकबा	विवरण
1.	73 में से	12.133 है.	0.251 है.	वर्ष 2019-20 की कलेक्टर गाइड लाईन अनुसार ग्राम चंदनपुरा में सड़क से हटकर भूमि का मूल्य 88,00,000/- (अठ्ठासी लाख) रुपये हैं। जिसके अनुसार गणना निम्नानुसार हैं:- $0.251\text{ है.} \times 88,00,000 = 22,08,800/-$ (बाईस लाख आठ हजार आठ सौ रुपये मात्र)
2.	84 में से	5.462 है	0.194 है.	$0.194\text{ है.} \times 88,00,000 = 17,07,200/-$ (सत्रह लाख सात हजार दो सौ रुपये मात्र) कुल मूल्य $22,08,800 + 17,07,200 = 39,16,000/-$ (उन्चालीस लाख सोलह हजार मात्र) होता है।

सत्य प्रमाणित


राज. पंचायत, चंदनपुरा

R. Singh

इस प्रकार शासन को खसरा क्रमांक 83/2/ग रकबा 0.805 है, भूमि में से 0.445 है. अर्थात् 1.10 एकड़ भूमि प्राप्त होगी एवं जागरण संस्था को खसरा क्रमांक 73 रकबा 12.133 है. में से 0.251 है. एवं खसरा क्रमांक 84 रकबा 5.62 है. में से 0.194 है. कुल रकबा 0.445 है. अर्थात् 1.10 एकड़ प्राप्त होगी। जिसकी वर्ष 2019-20 की कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार चंदनपुरा सड़क से हटकर 88,00,000/- (अठ्ठासी लाख रुपये) प्रति हैक्टेयर हैं। जिसके अनुसार विनिमय किये जाने वाली भूमि की कीमत 39,16,000/- (उन्चातीस लाख सोलह हजार मात्र) होता हैं।

प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु मय पंचनामा, खसरा नकल एवं नक्शा अक्स (तीन प्रति) सहित अवलोकनार्थ प्रस्तुत।


राजेश निरीक्षक
राज. परि. टी.टी. नगर
भोपाल


पटवारी
राज. परि. टी.टी. नगर
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि


राज. परि. टी.टी. नगर
भोपाल



पंचनामा

हम हस्ताक्षरकर्ता पंचागण मह तसदीक करते हैं, कि
ग्राम चन्दनपुरा प.ट.न. स्थित आगरण सौशल वेल्फेयर
सोसायटी द्वारा ग्राम चन्दनपुरा की शासकीय भूमि एवं
आगरण सौशल वेल्फेयर सोसायटी की भूमि का विनिमय
करने वास्तु भाषेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संस्कार
में जांच करने हेतु मौके पर उपस्थित हुए।

मौके पर आगरण सौशल वेल्फेयर सोसायटी
से श्री संजीव लक्सेना (जम्बरेक्टर), श्री फैज खुरैशी
(आफिस असिस्टेंट), उपस्थित मिले। मौके पर उनके द्वारा
कतामा गमा कि, उनकी प.ट.न. 83/2/ग, रकबा 0.84
0.809 हे. में से 0.445 हे. (1.10 रकबा) शासन की
भूमि प.क्र. 73 रकबा 12.133 हे. एवं प.क्र. 84
15.682 हे. में से 0.445 हे. अत्रि 1.10 रकबा भूमि
के बदला-बदली (विनिमय) किया जाता है। मौके पर
उक्त भूमि की जांच करने पर पामा गमा कि शासन
की भूमि जिस पर संस्था का रास्ता, मेन गेट, व पार्किंग
वनी है। उक्त भूमि से संस्था की भूमि प.क्रमांक
83/2/ग, जिस पर साइ जंगल खड़ा है। उक्त भूमि
का विनिमय किया जाता है। पंचनामा स्थल पर तैयार
किया गया, चढ़ा हुआ वाद हस्ताक्षर किया।



सत्य प्रतिनिधि

[Signature]
संजय लक्सेना


[Signature]
फैज खुरैशी

[Signature]

[Signature]
27/12/19

R. Singh
27/12/2019





क्र.सं.	मूल्यांकन दिनांक	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन
	१९९९/१०/१०	१९९९/१०/१०	१९९९/१०/१०	१९९९/१०/१०
	१९९९/१०/१०	१९९९/१०/१०	१९९९/१०/१०	१९९९/१०/१०

सर्वेक्षण दिनांक १९९९/१०/१०

LEADING EDUCATIONAL GROUP OF CENTRAL INDIA
RANKED NO.5 AMONG TOP 10 INSTITUTES OF INDIA

RANKED NO.1 IN MP & BHOPAL

25 Years of Excellence
35000+ Students Taught
900+ Teachers
9 Institutes



JAGRAN SOCIAL WELFARE SOCIETY



दिनांक 2 जून, 2022

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School,
• Neelbad, Bhopal
• Kolar Road, Bhopal
• Nipania, Indore
• Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



Jagran Lakshmi University
Bhopal

JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
Bhopal

Somvati Devi Shiksha Kendra
• Nipania, Indore
• Kolar Road, Bhopal

प्रति,

श्रीमान प्रमुख सचिव (वन विभाग), वल्लभ भवन, भोपाल।

श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक रातपुड़ा भवन भोपाल।

श्रीमान मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त, भोपाल।

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी सगान्य वनमण्डल, भोपाल।

श्रीमान आयुक्त, नगर पालिका निगम, भोपाल।

श्रीमान कलेक्टर, भोपाल।

श्रीमान संभागायुक्त, भोपाल।

विषय: राजधानी भोपाल में भू-माफिया द्वारा वृक्षों की अवैध कटाई पर शासन मौन।

संदर्भ: 1. भूमि खसरा क्रमांक 81/1/1/1 ख, 81/1/1/1/2/ख एवं 81/1/1/ख/1 स्थित ग्राम चंदनपुरा भोपाल की भूमि स्वामी श्रीमती माया पत्नी श्री चंदर तथा पुत्र श्री रतन एवं नितिन लालचंदानी द्वारा की गई वृक्षों की अवैध कटाई।

2. भूमि खसरा क्रमांक 78/1 स्थित ग्राम चंदनपुरा भोपाल के भूमि स्वामी श्री नितिन एवं रतन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी एवं श्रीमती माया लालचंदानी द्वारा की गई आगजनी।

6-6-22 महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त प्रभावशाली शासकीय ठेकेदार, राजनैतिक पहुंच वाले एवं भोपाल शहर के बड़े भू-माफिया लालचंदानी परिवार के द्वारा वर्तमान में गंभीर अपराध जो किये गये हैं वह निम्नानुसार है :-

मान. एन.जी.टी. भोपाल के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कलेक्टर महोदय द्वारा ग्राम चंदनपुरा क्षेत्र में स्थित वनों/वृक्षों की मैपिंग के लिये दिनांक 07.01.2021 को आदेशित किया गया था।

6.6.22
आयुक्त, नगर पालिका
कार्यालय, नगर पालिका
भोपाल

महोदय,
नगर पालिका
भोपाल

Service Above Self

Registered & Corporate Office:
83/2, Chandanpura, Near Kallyasot Barrage, Bhopal-462044 (M.P.), Ph: 0755-6611120
E-mail: admininfo@jsws.org.in, W: www.jsws.org.in

EDUCATIONAL
CENTRAL INDIA

RANKED NO.5 AMONG
INSTITUTES OF INDIA

RANKED NO.1 IN
MP & BHOPAL

25 Years of Excellence
35000+ Students Taught
900+ Teachers
9 Institutes

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
• Neelbad, Bhopal
• Kolar Road, Bhopal
• Nipania, Indore
• Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



Jagran Lakecity University
Bhopal

JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
Bhopal

Somvati Devi Shiksha Kendra

• Nipania, Indore
• Kolar Road, Bhopal



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY



2. आदेश के अनुपालन में वन विभाग, नगर पालिका निगम, भोपाल एवं राजस्व विभाग का संयुक्त दल श्रीमती माया, श्री रतन एवं नितिन पुत्र श्री चंदर लालचंदानी द्वारा धारित भूमि ग्राम चंदनपुरा तहसील हुजूर, जिला भोपाल पर वृक्षों की गणना हेतु पहुंचे, तो उनके द्वारा पाया गया कि श्रीमती माया लालचंदानी द्वारा अपनी भूमि खसरा क्रमांक 81/1/1/1ख, 81/1/1/1/2/ख पर 122 वृक्षों को काटा गया है एवं श्री रतन लालचंदानी द्वारा भी अपनी भूमि खसरा क्रमांक 81/1/1/ख/1 पर 59 वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया है। संयुक्त दल के ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों द्वारा मौके पर ही पंचनामा बनाया गया और अवैध रूप से काटे गये वृक्षों की एक सूची तैयार की गई।

इसके बाद भी आज दिनांक तक वन विभाग द्वारा श्री रतन लालचंदानी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया एवं न ही कोई कार्यवाही की गयी। यह विचारणीय प्रश्न है। कतिपय भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी को इंगित करता है। सुलभ संदर्भ हेतु पंचनामों तथा काटे गये वृक्षों की सूचियां एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रकाशन की छायाप्रतियां संलग्न है।

3. राजस्व विभाग द्वारा श्रीमती माया एवं श्री रतन लालचंदानी के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार, राज.परि.टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल में वृक्षों को काटने के संबंध में प्रकरण क्रमांक 601/बी-121/20-21 पंजीबद्ध भी किया गया है। छायाप्रति संलग्न।

Registered & Corporate Office:
83/2, Chandanpura, Near Kallyasot Barrage, Bhopal-462044 (M.P.), Ph: 0755-6611120
E-mail: admininfo@jsws.org.in, W: www.jsws.org.in

Service Above
Self

EDUCATIONAL
CENTRAL INDIA

RANKED NO. 5 AMONG
INSTITUTES OF INDIA

RANKED NO. 1 IN
MP & BHOPAL

25 Years of Excellence
15000+ Students Taught
900+ Teachers
9 Institutes

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
• Neelbad, Bhopal
• Kolar Road, Bhopal
• Nipania, Indore
• Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



Ugran Lakecity University
Bhopal

SHS FREE SCHOOLS



Surudev Shiksha Kendra
Bhopal

Mvati Devi Shiksha Kendra
• Nipania, Indore
• Kolar Road, Bhopal



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY



4. श्री रतन लालचंदानी द्वारा अपनी भूमि खसरा क्रमांक 81/1/1/ख/1 पर पहुंच गार्ग हेतु वन विभाग से सड़क बनाने की अनुमति मांगी जा रही है, जिसका प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/Road/147130/2021 है। अपने स्वार्थ के लिये भूमि को दो भागों में बांटा जा रहा है, जिस कारण से जानवरों का आवागमन नहीं हो पायेगा। इसे Green Highway के नागपुर जैसा बनाना चाहिए। विभाग द्वारा अनुशासित करके शासन तक भिजवाया गया है।

अतः निवेदन है भू-माफिया को वन विभाग सड़क निर्माण की अनुमति प्रदान न करें अन्यथा यह व्यक्ति वनों को ओर अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। छायाप्रति संलग्न है

शासन इसको संज्ञान में ले और इस प्रस्ताव को निरस्त करने की कृपा करें।

5. श्री नितिन एवं रतन भू-माफिया तथा श्रीमती माया लालचंदानी द्वारा अपने स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 78/1 स्थित ग्राम चंदनपुरा में वर्षों पुराने सघन वृक्षों में दिनांक 20.04.2021 को आग लगा दी गई थी, जिससे वर्षों पुराने वृक्ष एवं वन्य प्राणियों की कई प्रजातियां जलकर खाक हो गई थी।

इसकी सूचना एवं घटना के संबंध में विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुखता से खबरे प्रकाशित होने के पश्चात् भी वन विभाग, नगर पालिका

Registered & Corporate Office:
83/2, Chandanpura, Near Kaliyasot Barrage, Bhopal-462044 (M.P.), Ph: 0755-6611120
E-mail: admininfo@jsws.org.in, W: www.jsws.org.in

*Serve Above
Self*

Scanned with CamScanner

EDUCATIONAL
CENTRAL INDIA
RANKED NO.5 AMONG
INSTITUTES OF INDIA
RANKED NO.1 IN
MP & BHOPAL
25 Years of Excellence
35000+ Students Taught
900+ Teachers
9 Institutes

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
• Neelbad, Bhopal
• Kolar Road, Bhopal
• Nipania, Indore
• Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and
Management, Bhopal



Jagran Lakshya University
Bhopal

JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
Bhopal

Somvati Devi Shiksha Kendra
• Nipania, Indore
• Kolar Road, Bhopal



JAGRAN SOCIAL
WELFARE SOCIETY




निगम, भोपाल एवं राजस्व विभाग की ओर से सूचना/घटना के संबंध में कोई संज्ञान तक नहीं लिया गया। दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रकाशन की छायाप्रतियां संलग्न है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नग्न निवेदन है कि निम्नलिखित नियम विरुद्ध कार्यों पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें :-

- (1) (अ) भू-माफिया श्री रतन लालचंदानी द्वारा ग्राम चंदनपुरा स्थित खसरा कमांक 81/1/1/ख/1 पर 59 वृक्षों को काटने के संबंध में।
- (ब) श्रीमती माया लालचंदानी के द्वारा ग्राम चंदनपुरा स्थित भूमि खसरा कमांक 81/1/1/1 ख, 81/1/1/1/2/ख पर 122 वृक्ष वृक्षों को काटने के संबंध में।
- (स) भू-माफिया श्री नितिन लालचंदानी द्वारा खसरा कमांक 78/1 ग्राम चंदनपुरा में की गयी आगजनी के संबंध में किये गये अवैध कृत्यों के लिये प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने एवं आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही समय-सीमा में किये जाने के संबंध में।
- (2) श्री रतन लालचंदानी द्वारा वन विभाग में पहुंच मार्ग आवेदित प्रस्ताव कमांक FP/MP/Road/147130/2021 को निरस्त करने की कृपा करें अन्यथा यह व्यक्ति वनों को ओर अधिक नुकसान पहुंचा सकता है।

8/c
(संजीव सक्सेना)
प्रेसिडेंट
(प्रोजेक्ट/लीगल/पी.आर.)



Registered & Corporate Office:
83/2, Chandanpura, Near Kallyasot Barrage, Bhopal-462044 (M.P.), Ph: 0755-6611120
E-mail: admininfo@jsws.org.in, W: www.jsws.org.in

Scanned with CamScanner

दिनांक 30 जून, 2021

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
Bhopal

Delhi Public School
Kolar Road, Bhopal

Delhi Public School
Indore

Delhi Public School
Rau, Indore

Jagran Institute of
Communication and Management

Jagran Lakecity University
Bhopal

JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
Bhopal

Somvati Devi Shiksha Kendra
Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra
Kolar Road Bhopal

RANKED AMONG TOP 10
INSTITUTES OF INDIA

23+ Years of Excellence

35000+ Students Taught

1000+ Teachers

9 Institutes

प्रति,

1. श्रीमान संगभाग्युक्त महोदय, भोपाल।
2. श्रीमान फलेक्टर महोदय, भोपाल।
3. श्रीमान आयुक्त महोदय, नगर पालिका निगम, भोपाल।
4. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त, भोपाल।
5. श्रीमान वनगण्डलाधिकारी महोदय रागान्य वनगण्डल, भोपाल।



राजधानी भोपाल में भू-माफिया द्वारा की गई वृक्षों की अवेध केन्द्र की शिकायत।

1. भूमि खसरा क्रमांक 81/1/1/2/ख स्थित ग्राम चंदनपुरा भोपाल की भूमि स्वामी श्रीमती गाया लालचंदानी पत्नी श्री चंदर लालचंदानी द्वारा की गई वृक्षों की अवेध कटाई।
2. भूमि खसरा क्रमांक 81/1/1/ख/1 स्थित ग्राम चंदनपुरा भोपाल के भूमि स्वामी श्री रतन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी द्वारा की गई वृक्षों की अवेध कटाई।
3. भूमि खसरा क्रमांक 78/1 स्थित ग्राम चंदनपुरा भोपाल के भूमि स्वामी श्री नितिन लालचंदानी, श्री रतन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी एवं श्रीमती माया लालचंदानी द्वारा की गई आगजनी।

महोदय,

यह सर्वविदित है कि श्रीमती माया लालचंदानी पत्नी श्री चंदर लालचंदानी एवं श्री रतन लालचंदानी तथा श्री नितिन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी राजधानी भोपाल के प्रभावशाली परिवार से है, जो कि अपने राजनैतिक दबाव और पैसे के लेन-देन से शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं करते। शासन भी उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नियमानुसार करने में अत्यधिक संकोच करते हैं या चिलंब करते हैं। वह अपने निजी लाभ के लिये शासन पर दबाव भी बनाते हैं।

उपरोक्त तीनों के द्वारा वर्तमान में गंभीर अपराध जो किया है वह निम्नानुसार है :-

1. ग्राम चंदनपुरा भोपाल में स्थित वनों, वृक्षों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिये मान. नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, (N.G.T.) भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई याचिका O.A. 159/2014 (CZ) में मान. N.G.T. द्वारा दिनांक 06.02.2020 को आदेश पारित करते हुए ग्राम चंदनपुरा क्षेत्र में स्थित विभिन्न खसरों की मैपिंग के आदेश दिये गये थे, ताकि ग्राम चंदनपुरा में स्थित वृक्षों की संख्या के आधार पर वन की सीमा को निर्धारित किया जा सके और वनों सहित वन्य प्राजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

01/07/21
आयुक्त लिपिक
राजधानी नगर पालिका
भोपाल, भोपाल

01/07/21
Self

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
Bhopal

Delhi Public School
Kolar Road, Bhopal

Delhi Public School
Indore

Delhi Public School
Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and Management



Jagran Lakshmi University
Bhopal

JAWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
Bhopal

Somvati Devi Shiksha Kendra
Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra
Kolar Road Bhopal

RANKED AMONG TOP 10
INSTITUTES OF INDIA

23+ Years of Excellence

35000+ Students Taught

1000+ Teachers

9 Institutes

2. मान. एन.जी.टी. भोपाल के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कलेक्टर महोदय द्वारा ग्राम चंदनपुरा क्षेत्र में स्थित वनों/वृक्षों की नैपिण के लिये दिनांक 07.01.2021 को आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में जय वन विभाग, नगर पालिका विभाग, भोपाल एवं राजस्व विभाग का संयुक्त दल श्रीमती माया लालचंदानी एवं श्री रतन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी द्वारा धारित भूमि पर वृक्षों की गणना हेतु पुनः पहुंचे, तो उनके द्वारा पाया गया कि श्रीमती माया लालचंदानी द्वारा अपनी भूमि पर 122 वृक्षों को काटा गया है। (सुलभ संदर्भ हेतु पंचनामा एवं काटे गये वृक्षों की सूची संलग्न है) श्री रतन लालचंदानी द्वारा भी अपनी भूमि पर 59 वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया है। संयुक्त दल द्वारा मौके पर ही पंचनामा बचाया गया और अवैध रूप से काटे गये वृक्षों की एक सूची तैयार की गई। (सुलभ संदर्भ हेतु पंचनामा एवं काटे गये वृक्षों की सूची संलग्न है)
3. उपरोक्त वर्णित घटना के उपरंत श्री नितिन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी भू-नाफिया एवं श्रीमती माया लालचंदानी द्वारा अपने स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि खराब क्रमांक 78/1 स्थित ग्राम चंदनपुरा में वर्षों पुराने राखल वृक्षों में दिनांक 20.04.2021 को आग लगा दी गई थी, जिससे वर्षों पुराने वृक्ष एवं वन्य प्राणियों की कई प्रजातियां जलकर खाक हो गई थी। इस घटना की सूचना एवं घटना के संबंध में दिभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुखता से खदरे प्रकाशित होने के पश्चात् भी वन विभाग, नगर पालिका विभाग, भोपाल एवं राजस्व विभाग की ओर से घटना के संबंध में कोई संज्ञान तक नहीं लिया गया। आरोपीगण श्री नितिन लालचंदानी तथा श्री रतन लालचंदानी एवं श्रीमती माया लालचंदानी के खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई।
4. श्रीमती माया लालचंदानी पत्नी श्री चंदर लालचंदानी एवं श्री रतन लालचंदानी द्वारा ग्राम चंदनपुरा में स्थित अपने उपरोक्त संदर्भित भूमि को वृक्षों से आवृष्टित न दर्शाने के दृष्टिकोण से अपनी भूमि पर स्थित वनों की निरंतर कटाई की जा रही है या उन्हें आग लगाकर नष्ट करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उक्त भू नाफिया से कतिपय कर्मचारी/अधिकारियों की संलिप्तता है और वह अपने राजनैतिक व पैसे के लेन-देन से उक्त कार्य को राजधानी, भोपाल में धासन की मंशा के विरुद्ध बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं।
5. उपरोक्तानुसार आरोपीगण श्री नितिन लालचंदानी, श्री रतन लालचंदानी एवं श्रीमती माया लालचंदानी के द्वारा मान. एन.जी.टी. भोपाल सहित कलेक्टर भोपाल के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 05/अजदि/एनजीटी/2021 भोपाल दिनांकित 07.01.2021 के क्रियावचन को वाधित किया जा रहा है, संरेआन उल्लंघन किया जा रहा है और अपनी भूमि को वृक्षों/वनों से नुकत दर्शाने के लिये अपनी भूमियों पर स्थित वृक्षों की निरंतर कटाई की जा रही है और उन्हें आग लगाकर नष्ट किया जा रहा है।
6. आरोपीगण नितिन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी, श्री रतन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी एवं श्रीमती माया लालचंदानी लालचंदानी पत्नी श्री चंदर लालचंदानी द्वारा वृक्षों की कटाई एवं आगजनी का अवैध कार्य वन विभाग, नगर पालिका विभाग, भोपाल एवं राजस्व विभाग के कतिपय कर्मचारियों से सांठगांठ करते हुए किया जा रहा है, इससे विभाग के कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार कर्मचारियों का मनोदल भी टूट रहा है।

OUR INSTITUTIONS



Delhi Public School
Bhopal

Delhi Public School
Kolar Road, Bhopal

Delhi Public School
Indore

Delhi Public School
Rau, Indore



Jagran Institute of
Communication and Management



Jagran Lakecity University
Bhopal

JSWS FREE SCHOOLS



Gurudev Shiksha Kendra
Bhopal

Somvati Devi Shiksha Kendra
Indore

Somvati Devi Shiksha Kendra
Kolar Road Bhopal

RANKED AMONG TOP 10
INSTITUTES OF INDIA

23+ Years of Excellence

35000+ Students Taught

1000+ Teachers

9 Institutes

Registered & Corporate Office: 83/2, Chandanpura, Near Kallyasot Barrage, Bhopal-462044 (M.P.), Ph: 0755-6611120
E-mail: admininfo@jsws.org.in, W: www.jsws.org.in

जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल की ओर से अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करते हुए अवैध कटाई एवं आगजनी की रूचनाएं समय-समय पर वन विभाग, नगर पालिका निगम, भोपाल एवं राजस्व विभाग को दी जाती रही है, परंतु संबंधित विभागों द्वारा आरोपीगण के खिलाफ कभी भी कोई कठोर दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते आरोपीगण के हौराले इतने बुलंद हैं कि वे बे-झौफ होकर न्यायालयीन एवं प्रशासकीय आदेशों के खिलाफ जाते हुए वनों की कटाई का अवैध कार्य निरंतर कर रहे हैं।

7. आरोपीगण द्वारा अपनी ग्राम चंदनपुरा, भोपाल स्थित अपनी स्वत्व भूमियों तक एक डामरीकृत मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में आरोपीगण द्वारा नगर पालिका निगम, भोपाल/राजधानी परियोजना भोपाल के कतिपय अधिकारियों से सांठगांठ करते हुए सड़क निर्माण का टेण्डर जारी करवाया गया और स्वयं की भूमि तफ सड़क निर्माण का देयता स्वीकृत करवा लिया गया। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये भूमि पर स्थित वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही है एवं उन्हें आग लगाकर नष्ट किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि भू-माफिया एवं आरोपीगण श्री नितिन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी, श्री रतन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी एवं श्रीमती माया लालचंदानी के विरुद्ध उनके द्वारा वनों की अवैध कटाई एवं आगजनी के संबंध में किये गये अवैध कृत्यों के लिये प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने एवं आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही समय-सीमा में किये जाने के संबंध में अपने अधीनस्थों को उचित निर्देश देने की कृपा करें।

3/16/21
संजीव सकसैना
संचालक
जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल

संलग्न : -

1. श्री रतन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी द्वारा अपनी भूमि पर की गई वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में बनाया गया पंचनामा एवं अवैध रूप से काटे गये वृक्षों की सत्यापित प्रतिलिपि सूची।
2. श्रीमती माया लालचंदानी पत्नी श्री चंदर लालचंदानी द्वारा अपनी भूमि पर की गई वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में बनाया गया पंचनामा एवं अवैध रूप से काटे गये वृक्षों की सत्यापित प्रतिलिपि सूची।
3. आरोपीगण नितिन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी, श्री रतन लालचंदानी पुत्र श्री चंदर लालचंदानी एवं श्रीमती माया लालचंदानी पत्नी श्री चंदर लालचंदानी द्वारा अपनी भूमियों पर की गई वृक्षों की आगजनी की घटनाओं के संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार।

Service Above
Self

सर्व प्रतिनिधि प्रकरण क्रमांक 0604/21/2020-21
 न्यायालय अ. 0604/21/2020-21 सी. टी. नगर, भा. वा. 8

(परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिए)
राजस्व आदेश-पत्र(रिक्वेन्यु ऑर्डर शीट)

1

तहसीलदार टी0टी0नगर वृत्त भोपाल के न्यायालय में मामला क्रमांक 0604/21/2020-21

विषय वृक्षों का काटा प्रकरण की श्रेणी

ग्राम - चन्दनपुरा वन्दोवस्त क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील हुजूर कलेक्टर का क्रमांक सन् 20 अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक

तहसीलदार का क्रमांक सन् 20 नायब

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश-पत्र अथवा कार्यवाही	जहाँ आवश्यक हो या अथवा वकीलों के हस्त आदेशों का पालन करने लिपिक के सशिक्षित हस्त और समन्ता की तारी (3)
(1) 24/3/21	<p style="text-align: center;">0228RD32 APP-</p> <p style="text-align: center;">(2)</p> <p>हल्का पटवारी ग्राम चन्दनपुरा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया है कि ग्राम चन्दनपुरा प.ह.नं. 95 में श्रीमान वनमंडल अधिकारी महोदय भोपाल के आदेश क्रमांक/स्था./2020-21 दिनांक 07/01/2021 के अनुपालन में वन विभाग व राजस्व के संयुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति में वृक्षों की गणना के दौरान खसरा क्रमांक 81/1/1/2/ख रकवा 1.011 हे. एवं खसरा क्रमांक 81/1/1/2/ख रकवा 1.214 हे. कुल रकवा 2.225 हे. जो कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में मामालाल चंदानी आ. चन्दर लाल चंदानी के नाम दर्ज है। जिस पर विभिन्न प्रजाति के 122 वृक्षों को काटा गया है। प्राप्त दूठों पर नंबर मलकर मौके पर सूची तैयार की गई एवं ग्राम चन्दनपुरा प.ह.नं. 95 में श्रीमान वन मंडल अधिकारी महोदय भोपाल के आदेश क्रमांक/स्था./2020/21 दिनांक 7/01/2021 के अनुपालन में वन विभाग व राजस्व विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में वनों में लगे वृक्षों की गणना के दौरान खसरा क्रमांक 80/1/1/ख/1 जो कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में रतन लाल चन्दानी पिता चन्दर लाल चंदानी के नाम दर्ज है। इसमें 59 वृक्षों को काटा गया है। प्राप्त दूठों पर नंबर डालकर मौके पर सूची तैयार की गई।</p> <p>- प्रकरण दर्ज हो। - भूमिस्वामी को नोटिस जारी हो।</p> <p style="text-align: center;">C.F. 30/3/21</p> <p style="text-align: center;">सत्य प्रतिलिपि 15/6/21 का.ज. परि.टी.टी.नगर भोपाल</p>	<p style="text-align: right;">नोटिस जारी</p> <p style="text-align: center;">राज. परि. टी. टी. नगर वृत्त भोपाल</p>

S
15/6/21

0718/7732



30/3/21

प्रकरण प्रस्तुत।

- प्रकरण में भूमि स्वामी को ओर से अधिवक्ता श्री अतुल धारीवाल उपस्थित उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु दस्तावेजों को प्रेषित किया जा चुका है। जो कि प्रमाण को है।

- प्रकरण वारन्ते जवाब।

C.F. 12/4/21

सहायक
राजधानी परिसंचन
सचिव सोपान

12/4/21

प्रकरण प्रस्तुत। अद्य अधि उपस्थित।

- पीठासीन अधिकारी कोर्ट-19 लीक्सनेशन कार्य में व्यस्त होने से प्रकरण आगामी पेशी हेतु निम्न।

C.F. 28/04/21

प्रवापक

02/6/21

प्रकरण लॉकडाउन उपरांत प्रस्तुत।

- प्रकरण पूर्ववत्। भूमि स्वामी द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्न।

C.F. 16/06/21

राज्य प्रतिलिपि
16/6/21
श.ज. परि.टी.टी.नगर
सोपान

सहायक
राजधानी परिसंचन
सचिव सोपान



प्रति;

श्रीमान तहसीलदार महीदम
राज. परि. टी.टी. नगर एन
भोपाल (म. प्र.)

विषय।- अर्पण कटारि के संख्या में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का मत।

महीदम,

उपरोक्त विषय में लेख है कि ग्राम चन्दनपुरा प.ह. न. 95 में श्रीमान वनमण्डल अधिकारी महीदम भोपाल के आदेश क्रम 1/2020-21 दिनांक 7/1/2021 के अनुषंग में वन विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त कार्यालयों की उपस्थिति में एडों की गणना के बयान खसरा क्रम 81/1/1/1/ख रकम 01.011 हे० एवं खसरा क्रम 81/1/1/2/ख रकम 1.244 हे० कुल रकम 2.255 हे० जो कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में मामालाल चन्वानी आ० चन्दर लाल चन्वानी के नाम दर्ज है जिस पर विभिन्न प्रकार के 122 एडों को काटा गया है। प्राप्त वूठों पर नम्बर मलकर मीठे पर सूची तैयार की गई।


प्रतिवेदन उचित कार्रवाई हेतु मम पंचनाम्य, एडों की संख्या सहित आवलोकनार्थ प्रस्तुत।

R. Singh
प.ह.न. 95

संलग्न

- Ⓐ पंचनाम्य
- Ⓑ कटे एडों की सूची।

तय प्रतिलिपि
15/6/21
राज. परि. टी.टी. नगर
भोपाल



कै. नृशो के नृशो की जमाना

दिनांक - 19/02/2021

08/13

नाणदामी

| क्र. प्रजाति गो. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 खैर 26 | 27 गुर्जन 52 | 57 खैर 30 | 87 कैम 104 | 117 डूबई 32 |
| 2 -11- 28 | 28 डूबई 30 | 58 गुर्जन 70 | 88 गुर्जन 24 | 118 तैन्डू 36 |
| 3 गुर्जन 26 | 29 गुर्जन 44 | 59 खैर 30 | 89 -11- 26 | 119 पलाश 46 |
| 4 खैर 52 | 30 फौसी 32 | 60 गुर्जन 40 | 90 पलाश 38 | 120 तैन्डू 24 |
| 5 -11- 24 | 31 -11- 30 | 61 खैर 30 | 91 गुर्जन 50 | 121 लैडिगा 24 |
| 6 -11- 28 | 32 डूबई 38 | 62 -11- 44 | 92 कैम 72 | 122 -11- 36 |
| 7 जमरामी 30 | 33 गुर्जन 72 | 63 पलाश 80 | 93 लैडिगा 26 | |
| 8 तैन्डू 24 | 34 डूबई 56 | 64 गुर्जन 54 | 94 पलाश 72 | |
| 9 गुर्जन 40 | 35 गुर्जन 66 | 65 खैर 72 | 95 गुर्जन 40 | |
| 10 डूबई 26 | 36 खैर 34 | 66 गुर्जन 60 | 96 खैर 36 | |
| 11 बीजा 52 | 37 -11- 30 | 67 खैर 34 | 97 -11- 26 | |
| 12 गुर्जन 26 | 38 गुर्जन 40 | 68 गुर्जन 42 | 98 कैम 34 | |
| 13 -11- 26 | 39 -11- 34 | 69 -11- 40 | 99 गुर्जन 64 | |
| 14 -11- 28 | 40 -11- 60 | 70 -11- 24 | 100 -11- 44 | |
| 15 डूबई 36 | 41 जमरामी 24 | 71 तैन्डू 24 | 101 तैन्डू 40 | |
| 16 -11- 30 | 42 खैर 24 | 72 खैर 24 | 102 गुर्जन 48 | |
| 17 तैन्डू 24 | 43 -11- 26 | 73 गुर्जन 44 | 103 पलाश 80 | |
| 18 डूबई 26 | 44 गुर्जन 88 | 74 जमरामी 26 | 104 गुर्जन 50 | |
| 19 गुर्जन 26 | 45 -11- 42 | 75 -11- 24 | 105 खैर 24 | |
| 20 -11- 24 | 46 डूबई 38 | 76 गुर्जन 26 | 106 गुर्जन 40 | |
| 21 पलाश 44 | 47 गुर्जन 60 | 77 -11- 28 | 107 पलाश 24 | |
| 22 -11- 28 | 48 -11- 30 | 78 -11- 24 | 108 गुर्जन 50 | |
| 23 डूबई 28 | 49 पलाश 70 | 79 कैम 50 | 109 कैम 32 | |
| 24 खैर 26 | 50 खैर 44 | 80 गुर्जन 28 | 110 गुर्जन 60 | |
| 25 गुर्जन 40 | 51 गुर्जन 36 | 81 कैम 50 | 111 कैम 60 | |
| 26 -11- 44 | 52 पलाश 38 | 82 डूबई 30 | 112 डूबई 40 | |
| | 53 जमरामी 70 | 83 कैम 40 | 113 गुर्जन 50 | |
| | 54 गुर्जन 32 | 84 डूबई 36 | 114 पलाश 54 | |
| | 55 -11- 66 | 85 खैर 26 | 115 -11- 70 | |
| | 56 पलाश 36 | 86 गुर्जन 24 | 116 तैन्डू 34 | |

Handwritten signature and text.

Handwritten signature: RA Bhopal

Handwritten signature: (Raj) Kemal Dastgir
जनशक प्रमारी

सत्य प्रतिलिपि
13/6/21
राज. परि. टी. टी. नगर
नोपाल



श्रीमान तटसीलदास महोदय
राज. परि. टी. टी. नगर हुल
भोपाल (म.प्र.)

5

विषय!- श्रद्धा कर्तार के सम्बन्ध में रिपोर्ट करने का
महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत सम्बन्ध में लेम्ब है, कि

उत्तम चण्डनपुरा प.स. नं. 95 में श्रीमान सन मण्डल अधिकारी
महोदय भोपाल के आदेश क्रमंक/स.प्र.नं/2020-21 दिनांक
7/1/21 के अनुसार भोपाल में सन विभाग व राजस्व विभाग के
कार्यविधि की शपथित्री में सन में लगे दसों की गणना के
दौरान सनका क्रमंक 88/1/1/70/1, 89/1 और 90/1 के अन्तर्गत सनका
अभिलेख में सन लाल चण्डानी पिता चण्डलाल चण्डानी
के नाम दर्ज है। इसमें 59 दसों को काटा गया है। प्राप्त
दसों पर नंबर डालकर सैठे पर सूची प्रेषित की
गयी।


प्रतिवेदन उचित कार्यविधि देत मम. पंचनाम, दसों की
संख्या सहित अपलोकनाभि सम्पत् प्रकृत।

संलग्न

- (1) पंचनाम
- (2) कटे दसों की सूची।

P. Singh
प.स. नं. 95

तय प्रतिलिपि
1/5/21
राज. परि. टी. टी. नगर
भोपाल



पंचनामा

स्थान - चण्डीगढ़

दिनांक - 23/1/21

समय - 5 pm

हम नीचे लिखे पंचनामा उस बात की तस्दीक करते हैं कि

आज दिनांक 23/1/2021 को श्रीमान वग 2103 लाहौरवासी

अशोक मोपाल के अदेश क्रमांक/2021/01 दिनांक 7/01/21

के पालन में चण्डीगढ़ स्थित अशोक मोपाल के

एवं राजस्व विभाग के रशॉप की उपस्थिति में

प्रमाणों की जांच के दौरान निम्नलिखित प्रमाणों के द्वारा

कैद पाई गए जिस पर क्रमांक व से 58 तक के

पर नम्बर डालकर सूची तैयार की गई।

इस बात में पंचनामा बनाना पड़ा हुआ

तब ध्यान दिया।

पंचनामा मेरे हाथ लेख किया गया।

W/-
Rajesh

पंचनामा के नाम पर

1) रावेंद्र सिंह र. मोपाल


2) राजेश कुमार सिंह

3) सुनील कुमार सिंह

इति अंशोत्तर

चण्डीगढ़

तय प्रतिलिपि
न 3/1/21
परि टी. टी. नगर
मोपाल



बाघ भ्रमण क्षेत्र में आग, पेड़ काटने का आरोप

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। भोपाल से सटे चंबलपुरा इलाके में गंगलवार सुबह 10:30 बजे निजी भूमि पर आग लग गई। देखते ही देखते आग बाघ भ्रमण वाले क्षेत्र तक पहुंच गई और करीब तीन हेक्टेयर जंगल जलकर خاک हो गया। सूचना पर वन विभाग का अमला भीकेपर पहुंचा और फायर विगैड की मदद से आग पर कब्ज आया है। हालांकि आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। घटना में किसी वन्यप्राणी के प्रभावित होने की खबर भी नहीं है।

इस आग लगने के मामले में आरटीआई कर्यकर्ता गणेश नर खान का कहना है कि भोपाल के जंगल में पेड़ों की गिनती का काम चल रहा है, उसके पहले ही चंबलपुरा समेत अन्य क्षेत्रों में



चंदनपुरा में गंगलवार की जंगल से लगी निजी भूमि पर आग लग गई। ● नवदुनिया

माफियाओं ने पेड़ों को काट दिया था। यह बटाई निजी व सरकारी जमीन पर की गई, ताकि संरक्षित जंगल में जमीन को जाने से बचाया जा सके। करीब 400 पेड़ कटे गए हैं। खान ने आरोप लगाया कि

पूर्व से संरक्षित वन के लिए की जा रही गिनती में पेड़ कम आ रहे थे, इसलिए सुनियोजित ढंग से आग लगा दी गई है, ताकि साक्ष्य मिट सके। उन्होंने मामले की शिक्कापत राज्य सरकार से करते हुए जंच

बाघ व शावकों का है मूवमेंट


चंदनपुरा इलाके में जहां आग लगी थी, उस इलाके में बाघ और शावकों का मुवमेंट है। आग की घटना से दोनों दोनों के जीवन पर विपरीत असर पड़ना व है। खाद्य श्रृंखला में बाधा उत्पन्न करने वाले दूसरे वन्यजीवों पर भी असर पड़ेगा। शिशु पीढ़ी को नुकसान की बात भी सामने आई है।

की मांग की है। इस घटना के संबंध में भोपाल सामान्य जन मंडल की समरथा रैज के रोजर एके इंक् ने कहा कि लोग निजी जमीन में बाघ साफ करने के लिए आग लगा देते हैं जो जंगल तक पहुंच जाती है। ऐसे लोगों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करेंगे।



पेड़ों को काटने के बाद इसे छिपाने के लिए आग लगाए जाने की भी आशंका कलियासोत के जंगल से सटी निजी जमीन पर आग, बाघ भ्रमण वाले क्षेत्र में पहुंची लपटें, तीन हेक्टेयर जंगल साफ

भोपाल. कलियासोत से सटे चंदनपुरा इलाके में मंगलवार सुबह 10.30 बजे निजी जमीन पर लगे पेड़ों में आग लग गई। जो बाघ भ्रमण वाले क्षेत्र तक पहुंच गई और करीब तीन हेक्टेयर जंगल जलकर गया। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। विभाग को आग लगने का कारण का पता नहीं चल पाया है। घटना में किसी वन्यप्राणी के प्रभावित होने की खबर भी नहीं है। बताया कि एक महीने पहले कटारा हिल्स क्षेत्र के लखारपुर संरक्षित वन में आग लग गई थी। इसका कारण अब तक सामने नहीं आया है। आग लगने से वनों को नुकसान पहुंचा है।



कलियासोत के जंगल में लगी आग।

आग लगाने का अंदेशा

करवा-कलियासोत क्षेत्र के जंगलों को बचाने के लिए एनजीटी में यादिका लगाने वाले राशिद नूर खान ने बताया जहां आग लगी है, वहां पर बड़ी संख्या में पेड़ों को कटवाई की गई है। इन कटे हुए पेड़ों को छिपाने जानबूझकर आग लगाई है। इसमें वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भी मना नहीं किया जा सकता है। एनजीटी के निर्देश पर अभी इस क्षेत्र में पेड़ों की गणना चल रही है। पेड़ों का घनत्व कम करने की भी यह साजिश हो सकती है।

बाघ व शावकों का है मूवमेंट

चंदनपुरा इलाके में जहां आग लगी थी वहां बाघ व शावकों का मूवमेंट है। इससे दोनों के जीवन पर विपरीत असर पड़ना तय है। खाद्य श्रृंखला में योगदान करने वाले बूत्तरे वन्यजीवों पर भी असर पड़ेगा। छोटे पौधों को भी नुकसान हुआ है।

आग लगाने का अंदेशा

करवा-कलियासोत क्षेत्र के जंगलों को बचाने के लिए एनजीटी में याचिका लगाने वाले राशिव नूर खान ने बताया जहां आग लगी है, वहां पर बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई है। इन कटे हुए पेड़ों को छिपाने जानबूझकर आग लगाई है। इसमें वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भी मना नहीं किया जा सकता है। एनजीटी के निर्देश पर अभी इस क्षेत्र में पेड़ों की गणना चल रही है। पेड़ों का घनत्व कम करने की भी यह साजिश हो सकती है।

बाघ व शावकों का है मूवमेंट

चंदनपुरा इलाके में जहां आग लगी थी वहां बाघ व शावकों का मूवमेंट है। इससे दोनों के जीवन पर विपरीत असर पड़ना तय है। खाद्य श्रृंखला में योगदान करने वाले दूसरे वन्यजीवों पर भी असर पड़ेगा। छोटे पौधों को भी नुकसान हुआ है।

VAKALATNAMA
[Rule 4(1) of the Rules framed under Advocates Act, 1961]
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ORIGINAL APPLICATION 44/2024
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

AVADHESH SINGH

.....APPLICANT

Versus

STATE OF MP. & ORS

..... RESPONDENT



I **Brijesh Sharma , Regional Officer Bhopal , MPPCB** named below do hereby appoint, engage, and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead as aforesaid case proceedings which shall include application for restoration, setting aside of ex- party orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this court or any other court in which the same may be tried/ heard/proceeded and also in appellate. Revisional and executing court in respect of proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, applications, affidavit or other documents as may be deemed necessary for the proper prosecution/defence of the case in all its stages and also agree to ratify and confirm act done by him/them as if done by me.

In witness whereof i/we do hereunto set my/our hand to the presents, the contents of which have been duly understood by me /us this **04 July 2024 at Bhopal.**

PARTICULARS OF EACH PARTY EXECUTING VAKALATNAMA

Name	Registered Address	E-Mail Add & Telephone (If any)	Status in case	Signature
Brajesh Sharma , Regional Officer Bhopal , MPPCB	E5, Arera Colony Paryawaran Parisar Regional Office MPPCB Bhopal - 462016	9893002888 romppcb_bpl@rediff.com	Officer-in-Charge	 Regional Officer M.P Pollution Control Board BHOPAL.

Accepted

Name & Enrollment. No.	Address (If any) E-Mail Add.	Telephone (If any)	Full Signature
PARUL BHADORIA 1587-2012	parul.bhadoria04@gmail.com	8085977111	
PRANJAL PANDEY MP 2881-2021	advocatepranjalpandey@gmail.com	9340657120	
SHIVAM DWIVEDI MP 3857-2023	advshivamdwwivedi20@gmail.com	8878471359	